एम.ए.एच.आई. -03

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

एम.ए. पाठ्यक्रम

(इतिहास)

एम.ए.एच.आई. -03- आधुनिक विश्व का इतिहास - 5
(युद्ध एवं औद्योगिक समाज-1917-1945)

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

एम.ए. पाठ्यक्रम
(इतिहास)

खण्ड-5

इकाई संख्या

इकाई 21	
विश्व राजनीति में नाजियों के उद्देश्य	5–14
इकाई 22	
अर्द्ध सशस्त्र क्रान्ति-आस्ट्रिया का अन्त	15–27
इकाई 23	
समझौतों, हमलों की घोषणा-1939 में शान्ति का विनाश	28–41
इकाई 24	
अफ्रीका संकट-अबीसीनिया का मुद्दा	42–52
इकाई 25	
स्पेन का गृह युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में महान युद्ध नीतियां	53–59

पाठ्यक्रम विकास समिति

प्रो. बी.एस. शर्मा, कुलपति (अध्यक्ष)

प्रो. रविन्द्र कुमार
निदेशक, नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं
पुस्तकालय, नई दिल्ली

प्रो. एस.पी. गुप्ता
इतिहास विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम
विश्वविद्यालय, अलीगढ़ (उ.प्र.)

प्रो. के.एस. गुप्ता
पूर्व इतिहास विभागाध्यक्ष,मोहन लाल
सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर

डा. कमलेश शर्मा
इतिहास विभाग, कोटा खुला
विश्वविद्यालय, कोटा

प्रो. बी.आर. ग्रोवर
पूर्व निदेशक, भारतीय इतिहास
अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली

प्रो. जे.पी. मिश्रा
पूर्व इतिहास विभागाध्यक्ष, काशी हिन्दू
विश्वविद्यालय, वाराणसी

डा. बी.के. शर्मा
इतिहास विभागाध्यक्ष, कोटा
खुला विश्वविद्यालय, कोटा (राज.)

डा. याकूब अली खान
इतिहास विभाग कोटा खुला
विश्वविद्यालय, कोटा

पाठ्यक्रम निर्माण दल

डा.एच.सी. जैन
इतिहास विभाग, राज. महाविद्यालय,
कोटा

डा. मकसूद अहमद खान
इतिहास विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम
विश्वविद्यालय, अलीगढ़

डा. पी.एम. जैन
प्राचार्य, आचार्य तुलसी महाविद्यालय
गंगापुर, जि. भीलवाड़ा(राजस्थान)

डा. बेनी गुप्ता
पूर्व विभागाध्यक्ष
राज. महाविद्यालय,कोटा

पाठ्यक्रम प्रभारी एवं सम्पादक

डा. याकूब अली खान्
इतिहास विभाग, कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा

अकादमिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था

प्रो.(डॉ.) नरेश दाधीच
कुलपति
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

प्रो.(डॉ.)एम.के. घड़ोलिया
निदेशक(**अकादमिक**)
संकाय विभाग

योगेन्द्र गोयल
प्रभारी अधिकारी
पाठ्य सामग्री उत्पादन एवं वितरण विभाग

पाठ्यक्रम उत्पादन

योगेन्द्र गोयल
सहायक उत्पादन अधिकारी,
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

पुनः उत्पादन -मार्च 2011 MAHI-03/ISBN No.-13/978-81-8496-262-8

इस सामग्री के किसी भी अंश को व. म. खु. वि., कोटा की लिखित अनुमति के बिना किसी भी रूप मे 'मिमियोग्राफी' (चक्रमुद्रण) द्वारा या अन्यत्र पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।

व. म. खु. वि., कोटा के लिये कुलसचिव व. म. खु. वि., कोटा (राज.) द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित।

इकाई- 21
विश्व राजनीति में नाजियों के उद्देश्य

इकाई की रूपरेखा

21.0 उद्देश्य

21.1 प्रथम महायुद्ध के पश्चात् जर्मनी का परिदृश्य

21.2 नाजीवाद: दर्शन एवं विचारधारा

21.3 नाजीवाद के उत्कर्ष के कारण

21.3.1 वर्साय संधि

21.3.2 आर्थिक कारण

21.3.3 वाइमर गणतन्त्र के प्रति असंतोष

21.3.4 साम्यवाद का भय

21.3.5 हिटलर का व्यक्तित्व

21.4 नाजीवाद के अन्तर्गत जर्मनी

21.4.1 गृह नीति के सन्दर्भ में

21.4.2 विदेश नीति के सन्दर्भ में

21.5 सार संक्षेप

21.6 सन्दर्भ ग्रंथ

21.0 उद्देश्य

प्रथम महायुद्ध के पश्चात् यूरोप की गति बहुत तेज रही और इतनी तीव्र एवं दूरगामी घटनाएं घटित हुई कि उनको ठीक से समझ पाना आसान नहीं है क्योंकि गुत्थियां परस्पर उलझी हुई है । महायुद्धों के बीच के 20 वर्षों में सर्वसत्तावाद का उदय हुआ जिन्होंने लोगों के असंतोष को उकेरा, भड़काया एवं उसका लाभ उठाया । उन्होंने एक नयी शासन पद्धति, सिद्धान्त, दर्शन और आदर्श अपनाया किंतु ये मोहक सिद्धान्त यूरोप में केवल इटली एवं जर्मनी में ही पुष्पित हुए । इस सबके बावजूद सर्वसत्ता शासन प्रणाली ने एक ऐसी विचारधारा का सूत्रपात किया, जिससे विश्व के कई देश प्रभावित हुए बिना न रह सके । आओ, हम ऐसे महत्वपूर्ण पक्ष पर विचार करें । इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप जान सकेंगे कि :

नाजीवाद की क्या पृष्ठभूमि रही?

नाज़ीवाद से क्या अभिप्राय है?

नाज़ीवाद दर्शन क्या है?

नाज़ीवाद के उत्कर्ष के कारण क्या रहे?

नाज़ीवाद के अन्तर्गत - जर्मनी की क्या स्थिति रही?

21.1 प्रथम महायुद्ध के पश्चात् जर्मनी का परिदृश्य

जर्मनी की प्रथम महायुद्ध में पराजय के परिणाम कितने भयावह होंगे इसका अंदाजा युद्ध के पूर्व जर्मन सत्ताधारियों को नहीं था । विजयी मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी को हर तरफ से कमजोर बनाने की कोशिश की । फ्रांस शांति संधि के बावजूद अपनी सुरक्षा के प्रश्न को लेकर सर्वाधिक चिंतित रहा और ऐसा लगने लगा जैसे उसे कोई स्थायी रोग हो गया हो । रूस की क्रांति के पश्चात् साम्यवाद के भय ने मित्र राष्ट्रों को एक दूसरी चिंता में डाल दिया था । विजयी राष्ट्र क्षतिपूर्ति के दलदल में आंकडों का अनुमान लगा रहे थे । परन्तु इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं थी क्योंकि प्रथम महायुद्ध की समाप्ति से कुछ समय पूर्व अपने विजय अभियान में मदहोश जर्मन सत्ताधारी खुद इसी प्रकार की मनोवृत्ति के वशीभूत होकर नवोदित सोवियत रूस के साथ ऐसा ही दुर्व्यवहार कर चुके थे । 1917 से ही मित्र राष्ट्रों की नाकाबन्दी एवं फसलों के खराब हो जाने के कारण जर्मनी की जनता को गम्भीर अन्न संकट का सामना करना पड़ रहा था । ऐसी परिस्थितियों में जर्मन सेनाओं की पराजय के समाचारों ने उनके आत्मबल को तोड़ दिया था । कई स्थानों पर मजदूरों ने हड़तालें करना प्रारम्भ कर दिया था । युद्ध में हारकर जर्मनी का भविष्य खतरे में पड़ गया था । युद्ध में विजयी शक्तियों ने जर्मनी की सैनिक शक्ति एवं सामुद्रिक भविष्य पर निगाहें गढ़ाई थी और पूरी तरह से प्रयत्न किया कि उसके संसार का नेता बनने का आधार सदैव के लिए समाप्त प्राय हो जाये। जर्मनी का साम्राज्य भंग कर दिया गया । मित्र राष्ट्रों ने उसके 1/8 प्रदेशों पर अपना वर्चस्व कायम कर लिया । जर्मनी के संसाधनों पर अपना कब्जा करने से वे पीछे नही रहे । राइनलैण्ड के क्षेत्र का विसैन्यीकरण कर दिया गया । उसकी नदियों को अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण में लाकर उसे प्राय: हर तरह से पंगु कर दिया गया । इसके अलावा उसे युद्ध का अपराधी घोषित किया गया । इस प्रकार युद्ध में हार कर जर्मनी विदेश में लगी अपनी पूंजी खो बैठा, अपने उपनिवेश खो बैठा, अल्सास-लोरेन खो बैठा और उनके साथ ही 'सार' पर अपना अधिकार भी खो बैठा जिससे उसके औद्योगिक उत्पादन को भारी क्षति हुई । अब जर्मनों के सामने न केवल देश के पुनर्निर्माण की समस्या उठी, बल्कि यह भी कि अपनी सिमटी-कटी भूमि पर बिना विदेशी विनियोग, उपनिवेश इत्यादि के किस प्रकार उत्पादन इतनी मात्रा में बढ़ा सकें कि सामान्य स्थिति बहाल हो सके । जर्मनी ने इस संकट का समाधान जिस तरीके से किया, उससे पूरी दुनिया प्रभावित हुए बिना न रह सकी, बीस वर्षों के पश्चात् उनकी छाती के सामने महाप्रलय खड़ा था ।

21.2 नाज़ीवाद: दर्शन एवं विचारधारा

नाज़ीवाद फासिज़्म का अधिक व्यापक, अधिक आक्रामक, अधिक नस्लवादी और अधिक गतिमान जर्मन संस्करण है । ल्यूडविग हैम्बर्गर का विश्लेषण है कि “प्रथम महायुद्ध ने यद्यपि जर्मन नगरों का विनाश नहीं किया लेकिन जर्मन मस्तिष्क को पूरी तरह नष्ट-भ्रष्ट कर दिया था । इसके विपरीत द्वितीय महायुद्ध ने जर्मन नगरों को तबाह तो कर दिया था लेकिन उसके मस्तिष्क को निरोगी एवं स्वस्थ कर दिया ।" शार्ल मैन के साम्राज्य और अपनी परम्पराओं से प्रेरित जर्मन अहम् फिक्टे, हिगेल और नीत्शे जैसे विचारकों के प्रभाव में कट्टर राष्ट्रवादिता की ओर बढ़ता रहा । जिस जर्मनी के विगत में बिस्मार्क एवं विलियम द्वितीय जैसे प्रभावशाली

व्यक्तित्व रहे हों, वह प्रथम विश्वयुद्ध एवं तदन्तर हुए हादसों को कब तक बर्दाश्त करता । जर्मनी एक कमजोर, महत्वहीन एवं अपमानित देश बना तो दिया था परन्तु वह कैसे और कब तक स्वीकार करता । अत: जर्मनी में नाज़ीवाद के रूप में तानाशाही संस्कृति का उदय हुआ ।

राष्ट्रीय समाजवाद या नाज़ीवाद बीसवीं सदी के विवेक, बुद्धि तथा तर्क विरुद्ध कटु विद्रोह का प्रतीक था । यह व्यक्तिवादी, जनतान्त्रिक उदारवाद, साम्यवाद एवं अन्तर्राष्ट्रीयता या विश्वबन्धुत्व के विरुद्ध था । के. एस. पिनसान ने अपनी पुस्तक 'माडर्न जर्मनी' में लिखा है..... "राष्ट्रीय समाजवादी (नाज़ी) दर्शन मुख्यत: विविध रंगों का समन्वय था जो म्यूनिख के चित्रकार ने एक साथ जोड़े थे । ये रंग फादरलैंड पार्टी, सर्व-जर्मन रूमानवाद, समाजवाद, परम्परावाद, राष्ट्रवाद तथा प्रशियनवाद आदि से प्राप्त हुए थे । यह एक हिंसक, यहूदी विरोधी तथा गणतन्त्र विरोधी आन्दोलन था, जो विवेक-विरोध की नींव पर खड़ा था । विवेक के स्थान पर इसका पूर्ण विचार-तन्त्र भावना तथा शक्ति की अपील पर आधारित था । यह वाद बोल्शेविज्म एवं पूँजीवाद का विरोधी था ।

नात्सीवाद या नाज़ीवाद के पास कोई सुनिश्चित एवं व्यवस्थित दर्शन का अभाव था परन्तु इसका दर्शन बड़ा मोहक एवं आकर्षक था । यह वाद हिटलर के स्वभाव के अनुकूल था क्योंकि उसका दृढ़ मत था 'स्पष्ट वचन विभाजित करते है ओर सामान्यत: अस्पष्ट घोषणाएं संगठित करती है ।' नाज़ीवाद का प्रवक्ता एडोल्फ हिटलर की धारणा थी कि "झूठी बात को इतना दोहराओ कि वह सत्य का रूप धारण कर ले ।" वह नीतियों के प्रचार में बहुत विश्वास रखता था । यही कारण है कि यदि कोई व्यक्ति नाज़ीवाद के गंभीर दर्शन की खोज का प्रयास भी करे तो उसे गम्भीर सिद्धान्तों के स्थान पर प्रचार सामग्री ही अधिक मिलती है । हिटलर के प्रचार-मंत्री जोसेफ गोवल्स ने अपनी पुस्तक 'ए शार्ट ए० बी० सी० ऑफ नेशनल सोशलिज्म' में पहला प्रश्न किया है, 'नेशनल सोशलिज्म क्या नही है ।' प्रत्युत्तर में बताया गया है 'नेशनल सोशलिज्म का अर्थ संघर्ष (काम्फ़ या कैम्फ़), निष्ठा (ग्लाडबे), कार्य (आरबाईट) तथा त्याग (ओपफर) के अलावा कुछ नहीं है ।

नाज़ीवाद की बाईबिल 'मेरा संघर्ष' (मैन कैम्फ) है । इसकी रचना हिटलर ने कारावास (1923-28) में अपनी आत्मकथा के रूप में की थी । इसमें उसने बहुमत शासन की संसदीय प्रणाली की आलोचना करते हुए, विशुद्ध जर्मन प्रजातंत्र की अपनी कल्पना प्रस्तुत की, जिसका अर्थ था- "जनता द्वारा स्वतन्त्रतापूर्वक अपने नेता का निर्वाचन और अलग-अलग प्रश्नों पर मत संग्रह के स्थान पर एक व्यक्ति (नेता) का शासन । इस पुस्तक में उसने नात्सीवाद पर प्रकाश डाला है । इस सबके बावजूद नाज़ीवाद को परिभाषित करना सरल नहीं है । इसका कारण यह है कि हिटलर ने अपनी आत्मकथा में जीवन दर्शन के प्रति दृष्टिकोण (वेल्ट एन शाउंग) पर लिखा तो पर्याप्त है, परन्तु उनसे भी नाज़ीवाद का दर्शन स्पष्ट नहीं होता है । इसके अतिरिक्त, नाज़ीवाद के समर्थकों ने भी इसे स्पष्ट करने का प्रयास नहीं किया । अत: दल के कार्यक्रम के नाम पर हमें इसके 25 सिद्धान्त प्राप्त होते है, जिनमें प्रमुख अग्रलिखित है :

1. हम मांग करते है कि सभी जर्मनों को आत्म-निर्णय के अधिकार के अन्तर्गत एक महान् जर्मन राज्य में संगठित किया जावे ।

2. हम मांग करते है कि जर्मन जनता के अन्य राष्ट्रों के समान अधिकार हों तथा वर्साय की सन्धि तथा सेंट जर्मन की सन्धियां समाप्त की जावें ।

3. जो हमारे देश के निवासी है, वे ही हमारे राज्य के नागरिक होंगे । केवल जर्मन-रक्त के लोगों को ही देशवासी माना जावेगा । अत: कोई भी यहूदी जर्मन का नागरिक नहीं समझा जावेगा ।

4. हम मांग करते है कि राज्य के प्रत्येक नागरिक के लिए सन्तोषजनक आजीविका कमाने का अवसर उपलब्ध हो ।

5. हम मांग करते है कि जनकल्याण के विरुद्ध निरन्तर कार्यवाही की जावे । देशद्रोही, सूदखोरों व मुनाफाखोरों को मृत्युदण्ड दिया जावे ।

6. हम मांग करते है कि जर्मनी में रोमन कानून के स्थान पर जर्मन कानून लागू किये जावें ।

7. हम मांग करते है कि राष्ट्र की आवश्यकता के अनुपात में कृषि क्षेत्र में सुधार करके उत्पादन बढ़ाया जावे ।

8. राष्ट्रीय सेना का गठन किया जावे ।

9. राष्ट्र की समस्त सांस्कृतिक व्यवस्था को पूर्णत: संगठित किया जावे ताकि प्रत्येक प्रतिभा सम्पन्न एवं परिश्रमी जर्मन युवक को उन शिक्षा प्राप्ति का अवसर मिल सके ।

10. सरकार के निर्वाचन एवं कानून बनाने में देश के नागरिक ही भाग ले सकेंगे ।

11. एक सुदृढ़ मध्यम वर्ग के निर्माण के लिए प्रोत्साहन दिया जावे ।

12. सभी नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्य समान होंगे ।

13. राज्य विशाल उद्योगों में लाभ प्राप्त करे ।

14. अनागरिकों को जर्मनी में विदेशियों की भाँति रहना होगा ।

उक्त सिद्धान्तों से स्पष्ट झलकता है कि हिटलर किसी भी स्थिति में दोहरी स्वामिभक्ति को सहन नहीं कर सकता था ।

हिटलर ने आत्मनिर्णय के सिद्धान्त की दुहाई देते हुए लिखा था, "जर्मन राज्य में समस्त जर्मन-भाषियों को शामिल होना चाहिए । आत्मनिर्णय के सिद्धान्त के साथ ही शाश्वत न्याय के सिद्धान्त का भी उसने प्रतिपादन किया, जिसका अर्थ था कि जर्मनों के लिए 'रहने के लिए स्थान' होना चाहिए । इस सिद्धान्त के अनुसार उसे जर्मन-भाषी लोगों का जर्मन साम्राज्य में शामिल करने में कोई संकोच नहीं था । उसने अपने राष्ट्रीय समाजवाद के लक्ष्य को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि- राष्ट्र के लिए इतना प्रादेशिक विस्तार होना चाहिए, जिसमें हमारे लोग निवास कर सकें । अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वर्साय की अपमानजनक संधि और जर्मनी के निशस्त्रीकरण का पूरा-पूरा लाभ उठाया जाना चाहिये और जर्मन जनता के दिमाग में वाइमर गणतंत्र के प्रति विरोध एवं घृणा की ज्वाला धधका कर उसे नाज़ी पार्टी के अनुकूल बनाने का प्रयास करना चाहिए ।"

नाज़ीवाद वस्तुत: फासीवाद का सबसे बर्बर एवं घिनौना रूप था । इटली के फासीवाद की तरह नाज़ीवाद भी लोकतन्त्र और नागरिक स्वाधीनता से घृणा करता था तथा युद्ध की महिमा का मण्डन करता था । जैसे इटली के फासीवादी रोमन साम्राज्य के गौरव को लौटाने के अभिलाषी थे, उसी प्रकार जर्मनी के नाज़ी टेम्पटोनिक साम्राज्य की महानता को पुनरूज्जीवित करना चाहते थे । नाज़ीवाद लोग सामी विरोधी (एंटी सेमटिक) भावनाओं को उकेर कर यहूदियों के विरुद्ध घृणा के प्रचार को अपने अभियान का एक अंग मानने थे और गैर यहूदी जर्मन लोगों में इस बात का प्रचार किया जाता था कि जर्मनी की पराजय के तलिए यहूदी लोग जिम्मेदार है । जर्मनवासियों के सारे दु:ख-दर्दों के लिए यहूदियों को उत्तरदायी माना जाने लगा था । उन्होंने जर्मन जाति की शुद्धता का गुणगान किया । इसे उन्होंने 'शुद्ध सौम्य आर्य' की संज्ञा से अभिहित किया और जर्मनेत्तर लोगों से जर्मनों को श्रेष्ठ माना और इसलिए भी माना कि दूसरों पर शासन करने का इस जाति को अधिकार है । जर्मन जाति के लोगों को एक राज्य में संगठित करना अपना लक्ष्य माना । नाजियों की दृष्टि में साम्यवाद (कम्यूनिज्म) सबसे बड़ा दुश्मन था और इसका विनाश उनका मुख्य उद्देश्य था । नाजियों ने वायदा किया कि वे जर्मन जनता का खोया हुआ राष्ट्रीय सम्मान उन्हें वापस दिलाएंगे । इन विचारों को सेना में भी काफी समर्थन मिला क्योंकि इसके बड़े अधिकारी अधिकांशत: बड़े जमींदार परिवारों के हुआ करते थे । वे अपनी हार का बदला लेना चाहते थे । नाजियों के जर्मनी के उद्योगपतियों का भी पूरा समर्थन मिला क्योंकि वे समाजवादी तथा कम्युनिस्ट पार्टियों की बढ़ती हुई ताकत से चौक गये थे । इनसे नाज़ी समर्थक ही उनकी रक्षा कर सकते थे ।

नाज़ीवाद की ऐतिहासिक जड़ें 19वीं शताब्दी के रूमानवाद (रोमान्टसिज्म) की परम्परा में दिखाई देती है । उसी के आधार पर 20वीं शताब्दी का नव-रूमानवाद जनसाधारण के सामने प्रस्तुत हुआ । प्रत्येक जर्मन की यही अभिलाषा थी कि जर्मनी समस्त विश्व पर शासन करे । जर्मनवासी अपने पुरातन साम्राज्य को भूले नहीं थे । उनकी स्मृतियों में शार्ल मेन था, जिसे पोप ने नवी सदी में नाज़ पहनाया था । राज्य की सर्वोच्चता का विचार हीगल के दर्शन एवं बिस्मार्क की उपलब्धियों ने साकार किया था ।

21.3 नाज़ीवाद के उत्कर्ष के कारण

नात्सीवाद का उत्कर्ष इतना तेजी से हुआ कि यह वाद शीघ्र ही जर्मनी का जीवन दर्शन बन गया । प्रश्न उठता है कि इसके उत्कर्ष के क्या कारण थे?

21.3.1 वर्साय संधि- नाज़ीवाद के उदय के लिए वर्साय संधि को इसका प्रत्यक्ष कारण माना जाता है । यह संधि पराजित जर्मनी के लिए कठोर तथा अपमानजनक थी । हिटलर का स्वयं नारा था, "वर्साय सन्धि का अन्त हो ।" उसने अपना उद्देश्य वर्साय सन्धि की व्यवस्था को भंग करना था । रूर प्रदेश पर फ्रांस एवं बेल्जियम का अधिकार, जबरन नि:शस्त्रीकरण, अपने भू-भागों को खोना आदि सब न भुलाने वाली घटनायें थी । वर्साय सन्धि को नाज़ीवाद के उदय के कारण बताने पर गौथोन हार्डी, ई० लिप्सन जैसे इतिहासकारों को आपत्ति है । उनका तर्क है कि यदि हिटलर या नाज़ी दल का उत्कर्ष वर्साय सन्धि का परिणाम होता तो उसका उदय संधि के 3 या 4 वर्ष पश्चात् ही हो जाता । 14 वर्ष पश्चात् हिटलर के उत्कर्ष के लिए

वर्साय सन्धि को कारण बताना उचित नहीं है । इतना ही नहीं 1927 ई. में जर्मनी को राष्ट्रसंघ की सदस्यता प्रदान कर दी गई थी । 1930 में विदेशी सेना जर्मनी से हटा ली गई थी । डावेस यंग योजना तथा लोजान सम्मेलन के अन्तर्गत जर्मनी की क्षतिपूर्ति की राशि कम कर दी गई थी । इन तर्कों के बावजूद यह कहना होगा कि यह सन्धि शत्रु की प्रतिहिंसा पूर्ण नीति का परिणाम थी । इस कठोर संधि का यह परिणाम निकला कि उग्रराष्ट्रवादी सहजता से नाज़ीवाद के प्रशंसक हो गये ।

21.3.2 आर्थिक कारण : नाज़ीवाद के उत्कर्ष में आर्थिक कारणों का महत्वपूर्ण योगदान था । 1929 - 30 के विश्व व्यापी आर्थिक संकट ने जर्मनी को व्यथित कर दिया । बुरी तरह से अस्त-व्यस्त हुई आर्थिक स्थिति की प्रत्येक स्थान पर आलोचना की जा रही थी । जनता नई व्यवस्था की इच्छुक थी । जून 1931 तक जर्मनी के किसान लगभग तीन अरब डालर के ऋण के भार से दबे थे । हिटलर ने उन्हें ऋण भार से मुक्ति का आश्वासन दिया । बड़े-बड़े पूँजीपति साम्यवाद के भय से आतंकित होकर हिटलर का समर्थन कर रहे थे । आर्थिक संकट ने 60 लाख व्यक्तियों को बेरोजगार बना दिया । आकर्षक नारों एवं रोजगार के आश्वासनों से वशीभूत होकर बेरोजगार नाज़ीवाद के हितैषी हो गये ।

21.3.3 वाइमर गणतन्त्र के प्रति असन्तोष : नाज़ीवाद के उदय का एक कारण जर्मन जनता में प्रजातांत्रिक लोकतन्त्रात्मक शासन पद्धति के प्रति असन्तोष था । इस गणतन्त्र को जर्मनी की आम जनता सम्मान से नहीं देखती थी क्योंकि वर्साय की संधि को गणतन्त्रीय सरकार ने स्वीकार किया था । गणतन्त्र की विदेश नीति पूर्णतया असफल रही । डैंजिंग पोलिश गलियारे की प्राप्ति, आस्ट्रीया के साथ एकीकरण, उपनिवेशों की प्राप्ति तथा सैन्यीकरण के प्रश्नों में उसे पूर्ण असफलता मिली, जिससे उसकी प्रतिष्ठा को धक्का लगा और जर्मनी की जनता ने गणतन्त्र शासन का विरोध किया । जनता प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली की असफलता देख चुकी थी । अत: नाज़ीवाद को जनता की भावनाओं का पूर्ण लाभ मिला ।

21.3.4 साम्यवाद का भय : साम्यवाद के बढ़ते प्रभाव से जर्मनी के पूंजीपति, उद्योगपति, सामन्त एवं जमींदार परेशान थे । नवम्बर 1932 के चुनावों में राइखस्टाग में साम्यवादियों ने 100 स्थान प्राप्त कर लिये थे । इस बढ़ते प्रभाव से वे और चिंतित हुए । हिटलर इस बात से भलीभांति परिचित था कि साम्यवादी दल उसके मार्ग का सबसे बड़ा कांटा सिद्ध हो सकता था और इस कांटे को केवल पूँजीपतियों के समर्थन से नहीं प्रत्युत् जनसाधारण के सहयोग के बल पर ही हटाया जा सकता था । इसलिए उसके दल ने जर्मन उद्योगपतियों तथा धनकुबेरों से रुपया पाने के लिए उनके समक्ष साम्यवादी क्रांति की आशंका बड़े अतिरंजित रूप में प्रस्तुत की ।

21.3.5 हिटलर का आकर्षक व्यक्तित्व : नाज़ीवाद की सफलता का प्रमुख कारण हिटलर का आकर्षक व्यक्तित्व था । उसमें जननायक होने के तमाम गुण मौजूद थे । वह एक प्रतिभावान राजनीतिक, महान् वक्ता और वीर सेनापति था । उसमें परिस्थितियों के अनुसार राजनीतिक दांवपेचों को अपने अनुकूल कार्यान्वित करने की अद्भुत योग्यता थी । उसकी वाणी में एक जादू था, उसके भाषण को सुनकर जनता मंत्रमुग्ध हो जाती थी । वह एक कुशल

मनोवैज्ञानिक था, एक चतुर राजनेता था और एक श्रेष्ठ अभिनेता था । वह एक साधन सम्पन्न आन्दोलनकारी तथा एक योग्य संगठनकर्ता था । अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण वह जर्मनी में अपने नाज़ीवाद का प्रसार कर सका । हिटलर ने विश्वयुद्ध की पराजय को राष्ट्रीय अपमान घोषित करके तथा राष्ट्रीय गौरव की पुन: स्थापना का आश्वासन देकर जर्मन जनता की सैनिक मनोवृत्ति को जागृत किया । आटो स्ट्रासर हिटलर का परम सहयोगी था । उसने लिखा है कि उसमें जनसमूह की भावना को समझने की अपूर्व क्षमता थी । अत: उसका उत्थान स्वाभाविक था । हिटलर के व्यक्तित्व के बारे में एलन बुल्क ने अपनी पुस्तक 'हिटलर-ए स्टडी इन टिरेनी' में लिखा है, "राजनीति के अविवेकी तत्वों पर उसका अधिकार, अपने प्रतिद्वन्द्वियों की कमजोरियों को समझने की सूक्ष्म दृष्टि, राजनीतिक समस्याओं के सरलीकरण की योग्यता, समयोचित कार्यवाही करने की क्षमता और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु जोखिम उठाने की इच्छा, उसकी ऐसी विशेषताएं थी, जिनके कारण वह अपने दल को सफलता की सीढ़ी पर खड़ा कर सका । केटलबी के शब्दों में, 'जर्मनी के वृद्ध वर्ग ने असमंजसता में, युवा वर्ग ने उत्साह से उसे अपना नेता इस प्रकार स्वीकार किया कि वे उसकी अनर्गल बातों के शिकार हो गये ।" वास्तव में हिटलर की वाक्पटुता के कारण ही लाखों जर्मन सोशलिस्ट दल के समर्थक बन गये । इसके साथ ही हिटलर ने जनता को प्रभावित करने के लिए प्रचार के सभी साधनों का पूरा उपयोग किया ।

21.4 नाज़ीवाद के अन्तर्गत जर्मनी

21.4.1 गृहनीति के सन्दर्भ में

नाज़ीवाद के उत्कर्ष के पश्चात् जर्मनी के आत्मस्वाभिमान के दिन पुन: लौट आये किन्तु जर्मनी में प्रजातन्त्र का अन्त हो गया । हिटलर को गणतन्त्र में कोई विश्वास नही था । उसका उद्देश्य जर्मनी में एक तन्त्र की स्थापना करना था जिसमें वह सफल हुआ । सत्तारूढ़ होते ही हिटलर ने जिस व्यवस्था की स्थापना की, वह सर्वसत्तावादी थी, जिसका आधार 'एक दल, एक नेता तथा उसका अनियंत्रित शासन था । साम्यवादी दल को प्रतिबंधित कर दिया गया । हिटलर ने सर्वसत्तावादी शासन स्थापित करने के उद्देश्य से सभी प्रकार की नागरिक स्वतन्त्रताएं छीन ली । नात्सी सर्वसत्तावादी राज्य की कल्पना में व्यक्ति का कोई महत्व नहीं था, अत: उसके कोई व्यक्तिगत अधिकार नही थे । जर्मनी की इस तरह की व्यवस्था के बारे में केटलबी ने लिखा है, 'राइखस्टेग उसकी भक्त थी, उसके शत्रु या तो कब्र में थे या जेल या यातना गृहों में और विरोधी शान्त थे ।' जर्मनी में स्वायतशासी संस्थाओं पर भी नात्सी केन्द्रीय सरकार का नियंत्रण स्थापित किया गया था । नगरपालिकाओं के अध्यक्षों एवं ग्राम परिषदों के अध्यक्षों की नियुक्ति भी केन्द्रीय सरकार के द्वारा की जाने लगी । स्थानीय स्वशासन सम्बन्धी अधिकार केन्द्र द्वारा नियुक्त अधिकारियों को सौंप दिये गये और स्वशासी संस्थाएं केवल दिखावा मात्र रह गई । यद्यपि उसने श्रमिकों के हितों एवं अधिकारों की रक्षा करने का आश्वासन दिया परन्तु श्रमिक संघों की शक्ति को तोड़ दिया और सब मजदूरों के लिए एक यूनियन बना दी गयी, जिसका अध्यक्ष एक अत्यन्त कठोर नात्सी नेता था । उसने चुनाव

प्रणाली को इस तरह बदल डाला कि केवल नाज़ीवाद चुने जा सकते थे । राइख स्टाग की इमारत में खुद ने आग लगवाई और इसका कम्युनिस्टों पर आरोप लगाकर उनका राजनीतिक जीवन समाप्त कर दिया ।

नाज़ीवाद के दमन के शिकार यहूदी हुए । वह शुरू से यहूदियों से घृणा करता था । विशुद्ध प्रजातीयता पर नात्सी लोग बहुत जोर देते थे । हिटलर ने यह प्रचार किया कि जर्मन प्रजाति 'विशुद्ध आर्य ' है और रक्त की शुद्धता ही राष्ट्रीयता का मूल लक्षण है । नात्सियों ने यह प्रचारित किया कि यहूदियों के विरुद्ध केवल यह शिकायत नहीं है कि जर्मनी के व्यवसायों और उद्यमों में अपनी संख्या के अनुपात में अधिक स्थान प्राप्त किए हुए है, वे जर्मन पूंजी के स्वामी बने हुए है, उन्होंने जर्मनी का सूदखोरी और भ्रष्टाचार द्वारा रक्त शोषण किया है तथा उन्होंने मुद्रा-स्फीति द्वारा जर्मनी का गला घोंटा है; इतना ही नहीं मार्क्सवादियों तथा साम्यवादियों का नेतृत्व उन्होंने ही किया है, यही उनकी मुख्य शिकायत भी थी । नात्सी सरकार ने अप्रैल, 1933 में एक कानून द्वारा सभी यहूदियों को सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी सेवाओं से हटा दिया । यहूदी व्यापारियों तथा उद्योगपतियों का बहिष्कार किया जाने लग तथा उन्हें बन्दी बनाकर यातनाएं दी जानी लगी । सितम्बर, 1933 में कुछ ओर कानून यहूदियों विरोधी बनाये गये, जिन्हें 'न्यूरेम्बर्ग कानून' के नाम से जाना जाता है । इन कानूनों के अनुसार कोई भी व्यक्ति, जिसके पितामह या मातामही में से कोई एक यहूदी था, उसे यहूदी मान गया तथा वे भी यातनाओं के शिकार हुए । वे अब शिक्षक, वकील, डाक्टर आदि का काम भी नहीं कर सकते थे । इस प्रकार सरकार की नीति अनार्य लोगों को सांस्कृतिक एवं आर्थिक जीवन की सुविधाओं से वंचित करके, उन्हें देश छोड़कर चले जाने पर विवश करने की थी । 1936 - 37 तक लगभग एक लाख यहूदी लोग देश छोड़ कर चले गये । इनमें बीसवीं शताब्दी का विश्वविख्यात वैज्ञानिक आइंसटाइन भी था । हिटलर के शासनकाल में 70 लाख से अधिक यहूदी, बच्चे-बूढ़े तक, गैस की भट्टियों में झोंक दिए गए । यहूदियों की यंत्रणा के दस्तावेज आज भी सुरक्षित है । जब राष्ट्रवादिता का ज्वर पूंजीवाद के कीटाणुओं के कारण फैलता है तो पूरे देश को सन्निपात हो जाता है और बहुत से अनर्थ होते है । नाज़ी कार्यक्रम 'ऊपर से सत्ता नीचे से विश्वास' पर आधारित था ।

यहूदियों के विरुद्ध अभियान नाज़ीवाद का सबसे अमानवीय कुकृत्य है । इसके विपरीत, जर्मनी इस काल में यूरोप की सबसे बड़ी शक्ति बन गया । हिटलर के शासन के पहले तीन वर्षों में ही निर्यात आयात से 55 करोड़ मार्क बढ़ गया । जर्मनी को पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया गया । परन्तु यह सारी उन्नति कृत्रिम अधिक नैसर्गिक कम थी क्योंकि यह कृषि, उद्योग और व्यवसाय की व्यापक एवं मूलभूत ढांचे पर आधारित नहीं थी ।

हिटलर ने शिक्षा पद्धति को भी नात्सी सिद्धान्तों के अनुरूप ढालने का प्रयास किया । हर संस्था का उपयोग समाज को नाज़ी सांचे में ढालने के लिए किया जाने लगा । कुछ नई संस्थाएं इसी उद्देश्य से बनाई गई । हर उम्र के लिए अलग संस्था थी जो नात्सी सिद्धान्तों के सहारे जर्मन जनता को 'शासक जाति' बनाने के लिए कृतसंकल्प थी । हिटलर के बारह वर्षीय

साम्राज्य में जर्मन साहित्य एवं कला का एक विकृत रूप सामने आया । शारीरिक शिक्षण एवं स्वस्थ शरीर गठन को अधिक महत्त्व दिया जाने लगा ।

21.4.2 विदेश नीति के सन्दर्भ में

नाज़ीवाद के अन्तर्गत हिटलर ही विदेश नीति का सर्वेसर्वा रहा । उसकी विदेश नीति के तीन मूल उद्देश्य थे- (i) वर्साय सन्धि को भंग करना (ii) जर्मन जातियों को एकसूत्र में संगठित करना (iii) जर्मनी साम्राज्य का विस्तार करना । इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हिटलर किसी भी तरीके को अपना सकता था । इस बात को स्पष्ट करते हुए हिटलर ने स्वयं कहा था, "इसकी प्राप्ति के लिए समझौता और यदि न हो सका तो युद्ध का आश्रय लेना विदेश नीति की ओर हमारा कदम होगा ।" उसका दृढ़ मत था कि 'जर्मनी के पीड़ित प्रदेश उग्र विरोध प्रदर्शनों द्वारा पितृदेश में वापस नहीं लाये जा सकते बल्कि कठोर चोट करने में सक्षम तलवार द्वारा ही लाए जा सकते है ।' इस तलवार का निर्माण करना आन्तरिक नेतृत्व का कार्य है और इसके निर्माण कार्य की रक्षा करना और युद्ध में साथी खोजना विदेशी नीति का कार्य है । मीन कैम्फ में उसने एक स्थान पर लिखा है कि "हम राष्ट्रीय समाज वादियों को अपने इस उद्देश्य पर अटल रहना चाहिये कि जर्मनी की जनता को उतना भू-भाग अवश्य प्राप्त होना चाहिए, जितना पृथ्वी पर उसके जीवन यापन के लिए आवश्यक है । अपने उद्देश्यों में अग्रसर होने के लिए हिटलर ने धमकी, धौंस, शक्ति का दम्भ और आडम्बर संधि भंग और युद्ध आदि के सभी अन्यायपूर्ण तरीकों को अपनाया । नाज़ीवाद के प्रभाव को स्थापित करने के लिए ऐसी ही आकर्षक एवं जर्मन जाति के आत्मस्वाभिमान के अनुरूप विदेश नीति की आवश्यकता थी ।

सत्ता पर अधिकार होते ही हिटलर ने जर्मनी को राष्ट्रसंघ से (1933), नि:शस्त्रीकरण एवं श्रम संगठन से अलग कर लिया । उसने तत्काल जर्मनी का शस्त्रीकरण शुरू कर दिया । पश्चिम का सामना करने के लिए पूर्व में पोलैंड से 10 वर्षों के लिए अनाक्रमण संधि (1934) कर ली । पहले इससे राइन प्रदेश का सैन्यकरण (1935) किया । उसने आस्ट्रिया में नाज़ी प्रचार को बढ़ाया ताकि अन्तोगत्वा आस्ट्रिया का जर्मनी में विलय हो सके । इस हेतु उसने आस्ट्रिया के प्रधानमंत्री डालफस को पद त्याग करने के लिए मजबूर किया और नात्सी दल को सत्तारूढ़ किया । अंत में आस्ट्रिया का जर्मनी में विलय (1938) हो गया । वह इतने से भी संतुष्ट नहीं हुआ । उसने यद्यपि संतुष्ट हो जाने का ढोंग रचा । उसने चेकोस्लोवाकिया के जर्मन बहुल प्रांत सुडेलेनलैंड में नाज़ी गतिविधि बढ़ा दी । वहां चेक जाति की प्रमुखता पर पक्षपात का आरोप लगाकर उसने सुडेटेनलैंड को हड़पने की तैयारी पूरी कर ली । स्थिति बिगड़ते देख ब्रिटिश प्रधानमंत्री चेंबरलेन ने हस्तक्षेप किया । लेकिन म्यूनिख में इंगलैण्ड ओर फ्रांस ने सुडेटेनलैंड हिटलर को सुपुर्द कर चेकोस्लोवाकिया के विनाश पर मुहर लगा दी । म्यूनिख समझौता (29 सितम्बर, 1938) तुष्टीकरण की पराकाष्ठा का परिणाम था । किसी भी कीमत पर संतुष्ट करने की यह नीति बहुत घातक सिद्ध हुई । कुछ ही दिनों बाद हिटलर संपूर्ण चेकोस्लोवाकिया को हड़प गया । मध्य यूरोप में उसका लक्ष्य पूर्ण हो गया था । अब पूर्व में विस्तार होना था और इस विस्तार में रूस पर आक्रमण अनिवार्य था । लेकिन फिलहाल वह पश्चिम का सामना करना चाहता था । इसलिए पश्चिम से निराश होकर जब रूस ने जर्मनी से

सुरक्षा समझौता (23 अगस्त 1939) करना चाहा तो हिटलर तैयार हो गया । इस प्रकार रूस-जर्मन के मध्य आक्रमण संधि सम्पन्न हुई, परन्तु सब कुछ परिदृश्य बदलने वाले थे । अंत में जब हिटलर ने पोलैण्ड पर भी आक्रमण (1 सितम्बर, 1939) कर दिया तो फ्रांस, इंग्लैण्ड आदि ने हस्तक्षेप किया और देखते ही देखते द्वितीय महायुद्ध प्रारम्भ हो गया । इस महायुद्ध में नाज़ीवाद की कमजोर जड़ें शीघ्र ही सामने आ गयी यद्यपि प्रारम्भ में जर्मनी को आशातीत सफलता भी मिली । 1945 में हिटलर द्वारा आत्महत्या के साथ ही नाज़ीवाद खत्म हो गया ।

21.5 सार संक्षेप

नाज़ीवाद में रक्त की शुद्धता पर अत्यधिक बल था । उन्हें नैतिकता से कोई सरोकार नहीं था । नाज़ीवाद फासिज्म से अधिक उतावला और कट्टर था । न केवल अपने मताग्रह और कर्मकाण्डों में बल्कि अपनी भयानक-असहिष्णुता और विस्तार के उत्साह में भी यह वाद एक धर्म की तरह था । हिटलर इस वाद रूपी धर्म का पोप तो बन बैठा लेकिन वह और उसका तंत्र इतिहास के सहज विकास के मार्ग में अवरोध थे । युग की बयार को कब तक रोका जा सकता था । फ्यूहरर हिटलर ने शासन को केन्द्रित करने के लिए सभी उचित एवं अनुचित साधनों का सहारा लिया । सम्पूर्ण यूरोप ही नहीं विश्व भर में नाज़ीवाद का कुप्रभाव एक दशक तक बना रहा, उस त्रासदी को लोगों ने झेला किंतु बड़े राष्ट्रों की आँखें अपने स्वार्थ में इतनी लबालब थी कि उन्हें इस काली छाया एवं प्रतिछाया का अहसास नहीं हुआ और यदि हुआ भी तो वह चुप भर रहे । यह चुप्पी, किंकर्तव्य विमूढ़ता एवं तटस्थता कितनी महंगी पड़ी इसका अन्दाज वे ही लोग लगा सके जिन्होंने नाज़ीवाद के उत्पीड़न को सहा अथवा देखा तथा जो द्वितीय विश्वयुद्ध से प्रभावित हुए । अब भी समय है जब हम इस प्रकार के तानाशाहों से सतर्क रहें जो मानवजाति के अस्तित्व को खतरे में डाल देते है ।

21.6 सन्दर्भ ग्रंथ

ई. एच. कार	:	दो महायुद्धों के मध्य अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध
गैथोन हार्डी	:	ए शार्ट हिस्ट्री ऑफ इन्टरनेशनल अफेयर्स
पामर एण्ड पर्किन्स	:	इन्टरनेशनल पालिटिक्स
डब्ल्यू. सी. लैंगसम	:	द वर्ल्ड सिंस 1914
मथुरालाल शर्मा	:	अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध
देवेन्द्र सिंह चौहान	:	समकालीन यूरोप
के. एस. पिनसान	:	माडर्न जर्मनी

इकाई - 22

अर्द्ध सशस्त्र शान्ति-आस्ट्रिया का अन्त

इकाई की रूपरेखा

22.0 उद्देश्य

22.1 प्रस्तावना

22.2 हिटलर का उत्कर्ष और सुरक्षा-व्यवस्था

22.3 हिटलर की विस्तारवादी नीति

22.4 विस्तारवादी नीति के प्रमुख कार्य

22.5 जर्मन भाषा-भाषी प्रदेशों का जर्मनी में विलय

22.6 आस्ट्रिया का जर्मनी में विलय

22.7 आस्ट्रिया पर अधिकार के परिणाम और विदेशी प्रतिक्रियाएं

22.8 म्यूनिख समझौता

22.8.1 जर्मन आक्रमण के कारण

22.8.2 म्यूनिख समझौते की प्रमुख, विशेषताऐं

22.9 म्यूनिख समझौते के परिणाम

22.10 म्यूनिख समझौते पर विदेशी प्रतिक्रियाऐं

22.11 निष्कर्ष

22.0 उद्देश्य

इस इकाई के माध्यम से आपको प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात् उत्पन्न सुरक्षात्मक व्यवस्थाओं की जानकारी दी जा रही है । इसके अन्तर्गत आपको हिटलर के उत्कर्ष से सुरक्षा व्यवस्था पर प्रभाव एवं उसकी विस्तारवादी नीति से परिचय करवाया जायेगा । उन परिस्थितियों की भी व्याख्या की गई जिन्होंने हिटलर को आस्ट्रिया पर अधिकार करने का अवसर प्रदान किया । इसके अतिरिक्त आपको इस तथ्य से भी अवगत कराया जायेगा कि हिटलर की साम्राज्यवादी नीति की चरम परिणति म्यूनिख-समझौता था जिसने द्वितीय विश्व युद्ध को आमंत्रित किया ।

22.1 प्रस्तावना

प्रथम विश्व युद्ध मानव इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने विश्व इतिहास के समीकरण को बदल दिया । सर्बिया तथा आस्ट्रिया के झगड़े को लेकर यह युद्ध प्रारम्भ हुआ । परन्तु इसके वास्तविक कारण अन्तर्निहित थे । यह युद्ध उपनिवेशों के बँटवारे के लिए साम्राज्यवादियों का पारस्परिक संघर्ष था जिसने यूरोप के राजनीतिक वातावरण को संदेहग्रस्त व तनावपूर्ण बना दिया । उग्र राष्ट्रीयता, गुप्त संधियां, शस्त्रीकरण की होड़, आर्थिक प्रतिद्वन्दिता, सैनिकवाद का प्रसार, साम्राज्यवाद, बाल्कन प्रदेश की राजनीति, परस्पर बढ़ते हुए अविश्वास आदि कारणों से विश्वयुद्ध अवश्यम्भावी हो गया । जर्मनी की आक्रामक नीति व महत्वाकांक्षाओं

के फलस्वरूप यह युद्ध जुलाई, 1914 को प्रारम्भ हुआ और नवम्बर, 1918 को जर्मन सम्राट के त्यागपत्र तथा जर्मनी के आत्मसमर्पण के साथ समाप्त हुआ ।

प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति ने विभिन्न देशों के राजनीतिक, आर्थिक व वैज्ञानिक जीवन पर क्रान्तिकारी प्रभाव डाला, जिसने घृणा, अविश्वास और संदेह तथा प्रतिशोध की भावना को अधिक तीव्र किया क्योंकि एक ओर विजेता पक्ष को पेरिस को संधि में निश्चित की गई क्षतिपूर्ति से संतोष नहीं हुआ तो दूसरी विजित देशों की संधि की शर्तों को स्वीकार करने को बाध्य होना पड़ा । परिणामस्वरूप विजित राष्ट्र प्रतिशोध की आग में धधक रहे थे तो विजेता राष्ट्र भावी युद्धों के निवारण और इनकी भयंकर विभीषिका से सुरक्षा की समस्या के लिए चिन्तित थे । "वर्साय की संधि कोई शांति संधि नहीं, अपितु बीस वर्ष के लिए युद्ध विराम थी ।" वर्साय संधि ने जर्मन जनता में मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध उग्र प्रतिशोध की भावना उत्पन्न कर दी थी क्योंकि इस संधि के माध्यम से जर्मनी को सैनिक, आर्थिक, औद्योगिक और औपनिवेशिक दृष्टि से पंगु बना दिया था । इस प्रकार पराजित, अपमानित और असन्तुष्ट जनता को हिटलर ने देश में सुरक्षा का विश्वास दिलाकर नाज़ीदल का नेतृत्व कर एक क्रांति का सूत्रपात किया जिसका उद्देश्य था वर्साय व्यवस्था को भंग करना । उसकी यह नीति द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी बनी ।

22.2 हिटलर का उत्कर्ष और सुरक्षा-व्यवस्था

प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व राजनीति का तख्ता पलटने वाले एडोल्फ हिटलर का जर्मनी के प्रधानमंत्री पद पर 30 जनवरी 1933 को पदार्पण हुआ । जर्मनी में हिटलर का अभ्युदय एक अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की घटना थी जिसका विश्व के सभी राष्ट्रों पर स्वाभाविक तौर पर गम्भीर प्रभाव पड़ा । हिटलर की साम्राज्यवादी नीति के अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर आकस्मिक और दूरगामी परिणाम निकले । हिटलर ने सत्ता में आते ही अपने लक्ष्यों की घोषणा की- 1. वर्साय संधि की व्यवस्था को भंग करना 2. जर्मनी का एकीकरण करके उसे यूरोप में सर्वोच्च शक्ति बनाना 3. फ्रांस द्वारा जर्मनी के विरुद्ध की गई गुटबंदी को छिन्न भिन्न करना ।

हिटलर के अभ्युदय ने 'सामूहिक सुरक्षा' के सिद्धान्त पर घातक प्रहार किया जिसका जेनेवा सम्मेलन (1932) तथा नि:शस्त्रीकरण की समस्या पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था, क्योंकि हिटलर वर्साय संधि को भंग करके जर्मनी की सैनिक शक्ति में वृद्धि करने के लिए कटिबद्ध था । हिटलर के सत्तारूढ़ हो जाने से जर्मनी का रुख अधिक दृढ़ हो गया । अत: फ्रांस ने मांग की कि नि:शस्त्रीकरण की समस्या को हल करने से पूर्व उसकी सुरक्षा की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए । किन्तु इटली ओर जर्मनी ने फ्रांस की मांग का विरोध करते हुए नि:शस्त्रीकरण की समस्या के समाधान को प्राथमिकता देने पर जोर दिया जो हिटलर की एक राजनीतिक चाल थी ।

जर्मनी व फ्रांस में हिटलर ने जर्मनी के अनुकूल निर्णय न होते देखकर 19 अक्तूबर, 1933 को इस सम्मेलन में सम्मिलित न होने की घोषणा कर दी, जिससे इस सम्मेलन की असफलता निश्चित हो गई । यही नही हिटलर ने खुले रूप से लोकार्नो समझौता और वर्साय

संधि का उल्लंघन करके जर्मनी की सैनिक शक्ति का विस्तार प्रारम्भ किया । 7 मार्च, 1936 को हिटलर ने राइन प्रदेश में जर्मन सेना को भेजकर यह स्पष्ट कर दिया कि उसका उद्देश्य जर्मनी को सैनिक दृष्टि से एक मजबूत राष्ट्र बनाना तथा युद्ध की नीति के आधार पर जर्मन साम्राज्य का विस्तार करना था और फ्रांस द्वारा की जा रही गुटबन्दियों को समाप्त करना था । इसके साथ ही नि:शस्त्रीकरण की सभी आशाएं धूमिल हो गईं । इस प्रकार राष्ट्रसंघ द्वारा नि:शस्त्रीकरण के प्रयास जर्मनी के एक पक्षीय नि:शस्त्रीकरण से प्रारम्भ हुए थे और जर्मनी के एक पक्षीय पुन: शस्त्रीकरण से उनका अन्त हो गया जिससे सम्पूर्ण विश्व में गुटबन्दी, शस्त्रीकरण की होड़, संदेह और भय का वातावरण फैल गया । जर्मनी ने स्वयं अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से ब्रिटेन, रोम, जापान आदि राज्यों से संधियां स्थापित की और जर्मनी बाहुल्य वाले राज्यों को हड़पने के लिए हिंसात्मक पद्धति को अपनाया जिसमें आस्ट्रिया व चेकोस्लोवाकिया प्रमुख था । फ्रांस, ब्रिटेन, इटली ने जर्मनी के बढ़ते प्रभाव व विस्तारवादी तीव्रता को रोकने के लिए 21 सितम्बर, 1938 को जर्मनी के मुख्य नगर म्यूनिख में सम्मेलन आयोजित किया जिसका उद्देश्य भावी युद्ध की आशंका को समाप्त करना था यह एक महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय घटना थी जिसके दूरगामी परिणाम निकले । इस प्रकार हिटलर के उत्थान और उसकी कुटिल चालों के परिणामस्वरूप संसार एक बार फिर उस कुचक्र में आ फंसा, जिसमें वह प्रथम विश्व-युद्ध के पूर्व फंसा था । इससे राष्ट्रसंघ की सुरक्षा व्यवस्था खतरे में पड़ गई ।

22.3 हिटलर की विस्तारवादी नीति

राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन मजदूर दल का नेता हिटलर एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था जिसने 1933 में सत्ता ग्रहण कर जनतन्त्रात्मक व्यवस्था के स्थान पर तानाशाह तंत्र को स्थापित कर विस्तारवादी नीति को प्रोत्साहित किया । उसकी इस नीति के मुख्य उद्देश्य थे-

(1) आत्म निर्णय के सिद्धान्त के आधार पर समस्त जर्मन जाति को जर्मन साम्राज्य में सम्मिलित करना, अर्थात् आस्ट्रिया, डेन्जिंग, स्विट्जरलैण्ड, चेकोस्लोवाकिया और बाल्टिक राज्य में रहने वाली जर्मन जाति को विदेशी दासता के बंधन से मुक्त करके जर्मन साम्राज्य में सम्मिलित करना ।

(2) वर्साय और सेण्ट जर्मेन की सन्धियों को निरस्त करना ।

(3) जर्मनी की बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए अधिक प्रदेशों की प्राप्ति अर्थात् जर्मन साम्राज्य का विस्तार करना ।

इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हिटलर ने एक उग्र और आक्रामक नीति का अनुसरण किया और वैध-अवैध उपायों से लक्ष्यों की प्राप्ति करने लगा । इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसकी विस्तारवादी नीति मुख्य रूप से तीन दिशाओं में प्रवाहित होने लगी :

(अ) वर्साय की सन्धि की अवहेलना करते हुए एक शक्तिशाली युद्ध मशीनरी का निर्माण करना ।

(ब) युद्ध कार्य में सहायता देने वाले मित्रों की खोज करना ।

(स) क्षेत्रीय विस्तार नीति का पालन करना ।

यद्यपि हिटलर ने अपने लक्ष्यों की प्राप्ति का आधार वैसे तो शान्तिपूर्ण उपाय ही बतलाये थे परन्तु व्यावहारिक तौर पर वह हर सम्भव तरीके अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु लालायित रहता था । वास्तव में, "विश्व शक्ति अथवा कुछ नही" ही हिटलर का अंतिम लक्ष्य था जिसकी पूर्ति के लिए उसने "रक्त एवं लौह" की नीति अपनायी ।

22.4 विस्तारवादी नीति के प्रमुख कार्य-

वर्साय संधि का उल्लंघन, राष्ट्र संघ का परित्याग और नि:शस्त्रीकरण सम्मेलन का बहिष्कार ही हिटलर की विस्तारवादी नीति के प्रमुख कार्य थे वर्साय संधि जर्मनी के लिए अत्यन्त कठोर व अपमानजनक थी । मित्र राष्ट्रों के अनावश्यक दबाव के कारण जर्मनी को संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होना पड़ा । इस युद्ध के लिए मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी को उत्तरदायी ठहराया तथा उस पर क्षतिपूर्ति के लिए एक भारी धनराशि लाद दी गई जो हिटलर के लिए मित्र राष्ट्रों का एक राजनीतिक विश्वासघात था । इसी प्रकार वर्साय की संधि में जर्मनी की सेना, नौ सेना और हवाई सेना को कम कर नि:शस्त्रीकरण की नीति को लागू करने पर बाध्य किया जबकि विजेता राष्ट्रों पर यह शर्त लागू नहीं की गई । इस असमानता ने हिटलर की शस्त्रीकरण की भावना को प्रोत्साहित किया । हिटलर ने अपने राष्ट्र की अखंडता, सुरक्षा व हितों की रक्षा के लिए शस्त्रीकरण को ही महत्वपूर्ण सकारात्मक साधन माना । इसलिए राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित नि: शस्त्रीकरण सम्मेलन में जर्मनी ने यह मांग प्रस्तुत की कि जर्मनी की भांति अन्य राष्ट्रों की सेनाओं और शस्त्रास्त्रों में कमी की जाय अथवा जर्मनी को भी अन्य देशों के समान सेना और शस्त्रीकरण का समान अधिकार प्रदान किया जाय । हिटलर ने 'शान्ति, समानता और सम्मान" के उन सिद्धान्तों पर जोर देते हुए 14 अक्तूबर, 1933 को नि:शस्त्रीकरण सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया और इसके साथ ही राष्ट्र संघ की सदस्यता को त्यागने का भी नोटिस दे दिया । हिटलर ने स्पष्ट कहा कि समान अधिकारों के अभाव में राष्ट्र 'संघ का सदस्य बने रहना जर्मन जनता और सरकार के लिए असहनीय स्थिति और अपमान का सूचक है ।

10 मार्च 1935 को हिटलर ने अपने शस्त्रीकरण की नीति अग्रसर रहते हुऐ घोषणा की कि जर्मन वायु सेना की पुर्नस्थापना की जा चुकी है । उसने 16 मार्च, 1935 को वर्साय की सन्धि की अवहेलना करते हुए "राष्ट्रीय प्रतिरक्षा सेवाएं पुन: निर्माण विधि' की घोषणा की । हिटलर ने कहा कि, "मित्र राष्ट्रों ने नि:शस्त्रीकरण की दिशा में कोई प्रभावशाली कदम नहीं उठाया है, इसलिए भविष्य में जर्मनी भी वर्साय की सन्धि की सैनिक धाराओं का अनुपालन करने के लिए बाध्य नही है तथा आगे से उसकी सेना की शान्तिकालीन शक्ति 37 डिवीजन होगी तथा इसकी प्रतिपूर्ति अनिवार्य भर्ती के माध्यम से की जायेगी ।" हिटलर का यह कार्य सार्वजनिक रूप से शस्त्रीकरण की दिशा में प्रथम चरण था । इसके पश्चात् हिटलर ने युद्ध योजनाओं का निर्माण और सैन्य शक्ति में वृद्धि करने का निश्चय किया । परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति विध्वंसात्मक और अराजकतावादी प्रवृत्तियों की ओर अग्रसर हुई ।

22.5 जर्मन भाषा-भाषी प्रदेशों का जर्मनी में विलय-

वर्साय संधि की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत जो जर्मनी राज्य छीन लिए गए उनमें जर्मन भाषा- भाषी प्रदेश सार, पोलैण्ड और आस्ट्रिया प्रमुख थे । वर्साय संधि ने जर्मनी पर इनके एकीकरण पर प्रतिबंध लगा दिया जबकि हिटलर इनका विलय जनमत संग्रह के माध्यम से करना चाहता था । परिणामस्वरूप जनवरी, 1934 में राष्ट्र संघ ने सार प्रदेश में जनमत संग्रह करवाया और 1 मार्च, 1935 को सार प्रदेश को जर्मनी में विलय करने का निर्णय दे दिया । इसी प्रकार वर्साय की संधि में पोलिश गलियारा ओर पूर्वी प्रशा को शेष जर्मनी से अलग करके पोलैण्ड के साथ मिला दिया जिसके कारण पोलैण्ड और जर्मनी के बीच भयंकर शत्रुता पैदा हो गई थी । पोलैण्ड की सरकार के विरुद्ध जर्मन अल्पसंख्यक जनता राष्ट्र संघ से बराबर शिकायत करती रही परन्तु राष्ट्र संघ इसका निराकरण करने में असमर्थ रहा । इसी कारण हिटलर ने इन क्षेत्रों को अपने में विलय करने का निर्णय लिया दूसरी ओर पोलैण्ड ने फ्रांस की सरकार से मदद मांगी तो फ्रांस ने युद्ध छेड़ने से इन्कार कर दिया । इस कारण पोलैण्ड निराश हो गया और उसने अपनी सुरक्षा की दृष्टि से जर्मनी के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित कर लेना ही उचित समझा । इधर जर्मनी को भी अपनी सुरक्षा के लिए मित्रों की तलाश थी, और उसने अपने आक्रामक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दक्षिण की ओर बढ़ने का निर्णय किया था । हिटलर चाहता था कि जर्मन साम्राज्य का विस्तार शनै: -शनै: हो, क्योंकि सभी दिशाओं में एक साथ बढ़ने से चारों ओर से शत्रु द्वारा घिर जाने की सम्भावना थी । जर्मनी उस समय सभी शत्रुओं से एक साथ अकेला जूझने में सक्षम न था । ऐसी स्थिति में जनवरी 1934 में 10 वर्ष के लिए पोल-जर्मनी अनाक्रमण समझौता कर हिटलर ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया । इस सम्बन्ध में प्रसिद्ध इतिहासकार ई० एच० कार के शब्दों में, "यदि जर्मनी यह समझौता नही करता तो उसे सर्वथा मित्रहीन होने का भय था ।" हिटलर की यह महत्वपूर्ण कूटनीतिक विजय थी । हिटलर पोलैण्ड की सामरिक शक्ति से निश्चित होकर दक्षिणी आस्ट्रिया की ओर आसानी से उन्मुख हो सकता था ।

पोलैण्ड से संधि करने कई उपरांत हिटलर ने आस्ट्रिया को अधिकृत करने का प्रयास किया जबकि इस प्रकार का कोई भी प्रयत्न सेंट जर्मन की सन्धि द्वारा वर्जित था । कार के शब्दों में, "आस्ट्रिया को अपनी विस्तारवादी नीति का प्रथम लक्ष्य बनाने सम्बन्धी हिटलर का निश्चय कई प्रकार से दुर्भाग्यपूर्ण सिद्ध हुआ ।" वास्तव में 1919 से 1933 के बीच अधिकांश आस्ट्रियन जनता जर्मनी के साथ एकीकरण चाहती थी किन्तु नाज़ी जर्मनी की तानाशाही प्रवृत्तियों ने आस्ट्रियन लोगों की धारणा को परिवर्तित कर दिया । हिटलर ने आस्ट्रिया में आक्रामक नीति अपनायी और डॉल्फस की सत्ता को समाप्त करने का असफल प्रयास किया । अंततः हिटलर ने आस्ट्रिया के प्रति अपनी नीति को कुछ दिनों के लिए परिवर्तित कर दिया । इस घटना का यूरोपीय राजनीति पर गंभीर प्रभाव पड़ा, हिटलर ने आस्ट्रिया को हस्तगत करने में इटली का समर्थन प्राप्त करना आवश्यक समझा । इधर इटली जर्मन-विरोधी गुट में सम्मिलित हुआ और लेवाल तथा मुसोलिनी ने 7 जून, 1935 को फ्राको-इटालियन समझौते पर हस्ताक्षर किए । उधर फ्रांस ने पूर्वी यूरोप के देशों के साथ मैत्री सम्बन्ध बढ़ाना शुरू कर दिया

। हिटलर से सशंकित फ्रांस और आस्ट्रिया के मध्य 1935 में एक संधि सम्पन्न हुई । इसी कारण हिटलर ने इटली से मित्रता कर फ्रांस को मित्र विहीन व भयभीत होने का फैसला लिया और मार्च, 1936 में राईन प्रदेश पर अधिकार कर वहां पर पूर्ण रूप से किलेबंदी कर दी । जर्मनी द्वारा राइन प्रदेश में किये गये सैन्यीकरण से फ्रांस में हलचल मच गई । इस प्रकार ब्रिटेन द्वारा सैनिक कार्यवाही के सम्बन्ध में समर्थन नहीं मिलने पर फ्रांस अकेला जर्मनी के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही करने का साहस नहीं कर सकता था, इसलिए जर्मन सेनाएं राइन प्रदेश में बनी रही । यह हिटलर की कूटनीति विजय थी ।

22.6 आस्ट्रिया का जर्मनी मे विलय-

हिटलर आस्ट्रिया का जर्मनी में विलनीकरण करने के लिए दृढ़ संकल्प था । आस्ट्रिया पर जर्मनी का आधिपत्य स्थापित करने हेतु आवश्यक पृष्ठभूमि हिटलर ने पहले ही तैयार कर ली थी । 11 जुलाई, 1936 को हिटलर के दबाव के कारण जर्मनी और आस्ट्रिया के बीच एक ऑस्ट्रो-जर्मन समझौता सम्पन्न हुआ । इस समझौते की शर्तों के अनुसार-

(1) जर्मनी ने आस्ट्रिया की सार्वभौमिकता को मान्यता प्रदान की ।

(2) दोनों ही राज्यों ने एक दूसरे के आन्तरिक मामलों में और साथ ही आस्ट्रिया के नाजियों के मामले में हस्तक्षेप न करने का निश्चय किया ।

(3) आस्ट्रिया ने स्वयं को जर्मन राज्य के रूप में स्वीकार कर लिया ।

व्यवहारत: इस सन्धि ने आस्ट्रिया को जर्मनी के अन्तर्गत एक राज्य के रूप में परिणत कर दिया तथा हिटलर द्वारा ऑस्ट्रिया को जर्मनी के साथ पूर्णत: संयुक्त करने की योजनाओं के लिए मार्ग प्रशस्त किया । इटली प्रारम्भ में आस्ट्रिया की स्वतन्त्रता बनाए रखने को कृत-संकल्प था, किन्तु ऐबीसीनिया के मामले में जर्मन सहायता प्राप्त करने के लिए मुसोलिनी ने ऑस्ट्रो-जर्मन समझौते पर अपनी सहमति दे दी । इस प्रकार इस समझौते के कारण इटली, आस्ट्रिया और हंगरी जर्मनी के पक्ष में आ गए और आस्ट्रिया जर्मनी एकीकरण की सम्भावनाएं लगभग निश्चित प्रतीत होने लगी।

"आस्ट्रो-जर्मन" समझौता सम्पन्न होने के 5 दिन बाद ही हिटलर ने ऑस्ट्रिया के नाजियों को विध्वंसकारी कार्यवाहियां पुन: अपना लेने की सलाह दी और 19 फरवरी, 1938 को हिटलर ने ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री कुर्ट शुशनिंग को अपने निवास स्थान पर बुलाकर धमकाते हुए कहा, "आधे घण्टे में मेरी सेनाएं आस्ट्रिया को जीत सकती है, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है । मुसोलिनी मेरा मित्र है, तथा इंगलैण्ड, आस्ट्रिया के लिए उंगली भी नहीं उठायेगा और फ्रांस में इसे रोकने के लिए शक्ति नहीं है, किन्तु मैं व्यर्थ ही आस्ट्रियनों का रक्त नहीं बहाना चाहता इसलिए तुम्हें (शुशनिंग को) निम्नलिखित मांगें स्वीकार कर लेनी चाहिए-

- आस्ट्रिया का गृहमंत्री सुप्रसिद्ध नाज़ी नेता जाइसिंग क्वार्ट को बनाया जाए, वित्त मंत्री का पद भी किसी नाज़ी को दिया जाय ।
- सब नाज़ी बन्दियों को रिहा कर दिया जाय ।
- आस्ट्रियन नाज़ी दल को वैध घोषित किया जाय ।
- पदमुक्त किये गये सभी नाज़ी अधिकारियों को पुन: नियुक्त किया जाय ।"

इस प्रकार सम्पूर्ण आस्ट्रिया पर जर्मनी का आधिपत्य स्थापित हो गया और 12 मार्च, 1938 को हिटलर ने नये प्रधानमंत्री का लिंत्स नगर में स्वागत करते हुए कहा, "जब मैं इस शहर में पहली बार निकला था तो मैंने अपनी आत्मा के भीतर यह अनुभव किया कि नियति ने मुझे यह कार्य सौंपा है कि मैं अपनी जन्मभूमि को महान् जर्मन राइन में वापस सम्मिलित करूं । मैने इसे अपना कर्त्तव्य समझकर इसे पूरा कर दिया है ।" तत्पश्चात् 10 अप्रैल, 1938 को जनमत संग्रह द्वारा आस्ट्रिया का जर्मनी में विलय का समर्थन कर दिया गया ।

22.7 ऑस्ट्रिया पर अधिकार के परिणाम और विदेशी प्रतिक्रियाएं:

आस्ट्रिया का जर्मनी में विलय हो जाने से जर्मनी को सैनिक, आर्थिक और कूटनीतिक लाभ हुए तथा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हो गयी । इस कारण जर्मनी का इटली, हंगरी और यूगोस्लाविया से सीधा सम्बन्ध स्थापित हो गया । चर्चिल के शब्दों में, "वियना पर अधिकार से नाज़ी जर्मनी को दक्षिण यूरोप के सड़क, नदी और रेल सभी मार्गों का सैनिक और आर्थिक नियन्त्रण प्राप्त हो गया ।" चैकोस्लोवाकिया के बोहीमिया और मोराविया के जिले अब दोनों ओर से जर्मनी के बीच में आ गये । चैकोस्लोवाकिया शेष यूरोप से करीब-करीब कट गया और उसका व्यापार अब अधिकांशत: जर्मनी की कृपा पर आश्रित हो गया । लगभग 70 लाख आस्ट्रियनों ने न केवल जर्मनी की सैनिक संख्या में ही वृद्धि की अपितु जर्मनी को आत्मनिर्भर बनाने में भी पर्याप्त सहयोग दिया । आस्ट्रिया पर जर्मनी का अधिकार हो जाने से जर्मनी की शक्ति में पर्याप्त वृद्धि हुई । वियना पर जर्मनी का नियंत्रण हो जाने से जर्मनी का दक्षिणी-पूर्वी यूरोप के यातायात पर कब्जा हो गया । आस्ट्रिया के बैक से जर्मनी को दो करोड़ डालर प्राप्त हुए । इसके अतिरिक्त, जर्मनी को भारी मात्रा में मैग्नेसाइट, लकड़ी व लोहा आदि खनिज पदार्थ मिले । इस विलय ने यूरोप के सभी राज्यों में असंतोष फैला दिया और जर्मनी के प्रति चौकना रहने के लिए प्रेरित किया ।

इंगलैण्ड में अनुदारदलीय लोगों द्वारा यह माना गया कि साम्यवादी तूफान को रोकने के लिए जो बांध बन रहा था वह और अधिक मजबूत हो गया है । इस एकीकरण से मुसोलिनी भी घबरा गया, परन्तु सार्वजनिक रूप में उसने अपनी घबराहट को प्रकट नहीं किया, अपितु बाहर से हिटलर का समर्थन करते हुए अन्दर से निरन्तर चौकन्ना रहने लगा । पोलैण्ड को अपनी सुरक्षा की चिन्ता हो गई । फ्रांस को बहुत अफसोस हुआ । इसी तरह सोवियत रूस में भी निराशा फैली उसने पाश्चात्य शक्तियों से यह अपील की कि वे जर्मनी के विरुद्ध अपने संयुक्त मोर्चे को और अधिक सशक्त बनाएं, लेकिन पश्चिम की ओर से उस समय मौन रहना ही उचित समझा गया । ऑस्ट्रिया पर आधिपत्य ने जर्मनी को चैकोस्लोवाकिया का अंग-भंग करने और बाल्कन राज्यों में अपने प्रभाव की वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहित किया ।

22.8 म्यूनिख समझौता:

हिटलर की साम्राज्य विस्तारवादी नीति का अंतिम चरण चैकोस्लोवाकिया का अंत कर जर्मनी में विलय करना था । हिटलर ने यह रहस्योद्घाटन 30 जनवरी, 1939 को जर्मन संसद में किया । चैकोस्लोवाकिया पर प्रत्यक्ष आक्रमण अथवा उसका जर्मनी में सीधा विलय सम्भव

नहीं था, क्योंकि चैकोस्लोवाकिया के फ्रांस और रूस से घनिष्ठ मैत्री सम्बन्ध थे और दोनों ही उसे जर्मन आक्रमण के विरुद्ध सहायता का वचन दे चुके थे । अत: हिटलर ने धमकियों, वार्ताओं और समझौतों की नीति से चैकोस्लोवाकिया को प्राप्त करने का निश्चय किया । हिटलर की यह आकांक्षा सितम्बर, 1938 में म्यूनिख समझौते के उपरांत ही पूर्ण हो पाई । यह समझौता हिटलर के कूटनीतिक जीवन की सबसे बड़ी विजय थी ।

जर्मन आक्रमण के कारण :-

(1) पहला कारण इसका सामरिक महत्व था । बिस्मार्क कहा करता था, 'जो बोहीमिया का नियन्त्रण करता है वह यूरोप का नियन्त्रण करता है ।' मध्य यूरोप की डैन्यूब की घाटी को उत्तरी यूरोप के मैदान से अलग करने वाली कार्पेथियन और स्यूडेटीज पर्वतमालाओं को पार करने वाले सुगम मार्ग प्राचीन काल से बोहमिया की एल्ब, मोराविया, कोठर एवं बिस्चुला नदियों के साथ तथा मोरावियन गेट के दर्रे से होकर गुजरते है । अत: हिटलर यदि मध्य यूरोप का स्वामी बनना चाहता था तो उसे इन पर अधिकार करना जरूरी था ।

(2) चैकोस्लोवाकिया जर्मन-विरोधी फ्रांस की गुटबन्दी का महत्वपूर्ण अंग था । डैन्यूब क्षेत्र में जर्मन-विस्तार को रोकने के लिए यही एक दाल समझा जाता था । फ्रेंच-सोवियत सहयोग में यह एक महत्वपूर्ण कड़ी था और पूर्वी जर्मनी के प्रमुख सैनिक केन्द्रों पर वायु मार्ग से आक्रमण करने के लिए वह एक अमूल्य केन्द्र था । यही कारण था कि जहां फ्रांस हमेशा चैकोस्लोवाकिया की अखण्डता और स्वतन्त्रता के लिए तत्पर रहता था वहां इसके सामरिक महत्व के कारण हिटलर इसे निगल जाना चाहता था ।

(3) चैकोस्लोवाकिया जर्मनी से सदैव आशंकित रहता था, अत: उसने जर्मनी से अपनी रक्षा के रूप में बोहीमिया के पहाड़ों में सुदृढ़ किलेबन्दी कर रखी थी । उसकी यह सैनिक शक्ति जर्मनी के अस्तित्व को खतरे में डाल सकती थी ।

(4) हिटलर जैसा चतुर राजनीतिज्ञ यह जानता था कि चैकोस्लोवाकिया के मित्र समय पर उसकी सहायता नहीं कर सकेंगे । रूस के लिए सहायता भेजना तब तक समन्वय न था जब तक कि पोलैण्ड और रूमानिया अपने देशों में से सोवियत सेनाओं को गुजरने की अनुमति प्रदान न कर दें । किन्तु इस समय पोलैण्ड और रूमानिया रूस के विरोधी थे और जर्मनी के मित्र, अत: चैकोस्लोवाकिया में रूस के हस्तक्षेप की सम्भावना नहीं के बराबर थी । जहां तक फ्रांस का प्रश्न था वह पहले ही इतना अधिक पस्त-हिम्मत था कि उससे जर्मनी से लड़ाई मोल लेने की आशा नहीं की जा सकती थी । तीन तरफ से जर्मनी द्वारा घिरा हुआ चैकोस्लोवाकिया सुगमता से जर्मनी का शिकार बन सकता था ।

(5) चैकोस्लोवाकिया पर अधिकार करने के लिए हिटलर के पास सबसे बड़ा तर्क जर्मन अल्पसंख्यकों की रक्षा से संबन्धित था । 20 फरवरी, 1938 को उसने अपने भाषण में कहा था- "हमारे सीमान्त से लगे दो राज्यों (चैकोस्लोवाकिया तथा पोलैण्ड) में दस लाख से अधिक जर्मनवासी रहते है, जर्मनी का यह कर्तव्य है कि वह अपने जर्मन बन्धुओं की रक्षा करे और उन्हें वैयक्तिक और राजनीतिक विचारों की स्वतन्त्रता प्रदान करें । "हिटलर का इस तरह का

आरोप चैकोस्लोवाकिया का अंग-भंग करने के उसके षड्यंत्र की भूमिका मात्र था । 24 अप्रैल, 1938 को चैकोस्लोवाकिया में सुडेटन जर्मन लोगों के दल के नेता ने चैक सरकार के सम्मुख माँग प्रस्तुत की : चेक राज्य में जर्मनों को पूर्ण समानता का अधिकार प्रदान कर पूर्ण स्वायत्त शासन की स्थापना की जाय और जर्मन लोगों को जर्मनवाद और जर्मन विचारधारा का प्रतिपादन करने की स्वतन्त्रता दी जाय । चैक सरकार ने इन मांगों को अस्वीकार कर दिया । ब्रिटेन और फ्रांस जैसे मित्र राष्ट्र जर्मनी के प्रति.तुष्टिकरण की नीति का पालन कर रहे थे और यही कारण था कि वे चैकोस्लोवाकिया की स्वतन्त्रता का जर्मन के हाथों अपहरण होने देने के लिए फैसला कर चुके थे । चैम्बरलेन ने इस सम्बन्ध में अपना मत व्यक्त करते हुए कहा था, "जरा नक्शा उठाकर देखिए, चैकोस्लोवाकिया तीन ओर से जर्मनी द्वारा घिरा हुआ है, ऐसी स्थिति में उसे किस प्रकार बचाना सम्भव होगा ।'

जर्मनी शक्ति के बल पर चैकोस्लोवाकिया पर कब्जा करने पर उतारू था । हिटलर ने ब्रिटिश प्रधानमन्त्री से भेंट कर 23 सितम्बर, 1938 को कुछ माँगें प्रस्तुत की-

(1) पहली अक्टूबर तक चैकोस्लोवाकिया का सुडेटन जर्मन प्रदेश जर्मनी को दे दिया जाय और यहाँ से चैक सेना तथा चैक पुलिस को हटा लिया जाय ।

(2) हस्तान्तरण किये जाने वाले प्रदेश की सब किलेबन्दियाँ, रेलें, कारखाने आदि आरक्षित रखे जायें 'तथा इस प्रदेश से कोई भी खाद्य सामग्री, पशु या कन्या माल न हटाया जाय ।

(3) समस्त जर्मन बन्दियों को रिहा किया जाय ।

चैम्बरलेन के हिटलर के साथ किए गए शांति प्रयासों का कोई परिणाम नहीं निकला और निराश होकर 24 सितम्बर, 1938 को लन्दन लौट गया । चैमबरलेन ने ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल को सूचित किया कि हिटलर युद्ध करने पर उतारू है और फ्रांस युद्ध से पृथक रहना चाहता है, अत: हिटलर की 'आत्मनिर्णय' की माँग को स्वीकार कर लेना उपयुक्त है । हिटलर यह भली प्रकार जानता था कि राइन प्रदेश के सैन्यीकरण और आस्ट्रिया के विलय की भाँति इस अवसर पर भी ब्रिटेन और फ्रांस निष्क्रिय प्रतिरोध के सिवाय और कुछ नही करेंगे । ऐसी स्थिति में उसने चैकोस्लोवाकिया पर चढ़ाई करने का अंतिम आदेश दे दिया । यद्यपि जर्मन सेनापति उसकी इस योजना के घोर विरोधी थे । ब्रिटिश प्रधानमन्त्री चेम्बरलेन ने अपने एक विशेष दूत होर विन्सन को हिटलर के पास भेजकर विवाद का शान्तिपूर्ण तरीके से समाधान करने की प्रार्थना की । अमरीकन राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने भी इस विवाद को शान्तिपूर्ण तरीके से सुलझाने की अपील की । परन्तु हिटलर समझौते का समर्थक नहीं था । उसने कहा कि - "यदि इस समस्या का समाधान हो जाता है तो जर्मनी के लिए यूरोप में कोई अन्य प्रादेशिक दावा नहीं रहेगा । किन्तु इस दावे को हम छोड़ नहीं सकते । हम लोग किसी चैक को नहीं चाहते और जहाँ तक सुडेटनलैण्ड का प्रश्न है, यह असह्य हो चुका है । हम लोग कृतसंकल्प है । डॉ. बेनेस अपना निर्णय स्वयं कर लें । यूरोप में यह मेरा अन्तिम दावा है ।"

हिटलर के राजनीतिक निर्णय के कारण चैम्बरलेन ने मुसोलिनी की मध्यस्थता से हिटलर को एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने के प्रस्ताव के लिए तैयार कर लिया जिसके

परिणामस्वरूप 29 सितम्बर, 1938 को जर्मनी के नगर म्युनिख में जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और इटली के प्रधानमन्त्रियों का एक सम्मेलन हुआ जिसे "म्यूनिख समझौते" की संज्ञा दी गई ।
म्यूनिख समझौते की प्रमुख व्यवस्थाएं-

(1) चैक सरकार सुडेटनलैण्ड को खाली करने का कार्य 1 अक्टूबर, 1938 से प्रारम्भ कर देगा ।

(2) खाली करने का कार्य 10 अक्टूबर, 1938 तक पूरा हो जायेगा परन्तु वहाँ की सरकार वहाँ के किलों को नष्ट नही कर सकेगी ।

(3) सुडेटनलैण्ड को खाली करने की शर्तो का निर्धारण एक अन्तर्राष्ट्रीय आयोग द्वारा किया जायेगा जिसमें. जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस और इटली तथा चैकोस्लोवाकिया का एक-एक प्रतिनिधि सम्मिलित होगा ।

(4) जर्मन सेनाएँ असंदिग्ध जर्मन बहुमत के क्षेत्रों पर पहली अक्टूबर से अधिकार करने का कार्य प्रारम्भ कर देंगी ।

(5) जर्मन बहुमत के संदिग्ध क्षेत्रों के बारे में एक अन्तर्राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्णय किया जायेगा । यह आयोग इस बात का निर्णय करेगा कि किन-किन प्रदेशों में जनमत संग्रह कराया जाय और उसकी शर्तें किस प्रकार की हों ।

(6) सीमाओं का अंतिम निर्धारण भी एक अन्तर्राष्ट्रीय आयोग द्वारा किया जायेगा ।

(7) छः माह की अवधि तक दिये गये प्रदेशों में बसने या उन्हें छोड़ने की जनता को स्वतंत्रता होगी । जनसंख्या के हस्तान्तरण से सम्बन्धित समस्याओं का निर्धारण जर्मन-चैकोस्लोवाकिया आयोग द्वारा किया जायेगा ।

(8) चैक सरकार चार सप्ताह की अवधि में सभी जर्मन राजनीतिक बन्दियों को रिहा कर देगी।

इसके साथ ही म्यूनिख के लौटते समय 30 सितम्बर को चैम्बरलेन ने हिटलर से एक "ऐंग्लो-जर्मन" घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कराए जिसमें यह कहा गया कि दोनों देश अपने सब विवादों को शान्तिपूर्ण तरीके से हल करेंगे ।

म्यूनिख समझौते के परिणाम

म्यूनिख समझौता एक महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय घटना थी जिसके दूरगामी परिणाम हुए । यह समझौता ब्रिटेन की तुष्टिकरण की नीति की चरम सीमा थी । इससे फ्रांस की सुरक्षा व्यवस्था को भी आघात पहुँचा और उसके मित्रों का उस पर से विश्वास उठ गया । इस समझौते में जर्मनी को अभूतपूर्व लाभ हुऐ-

(1) चैकोस्लोवाकिया को 12 हजार वर्ग मील भू-भाग, कई कारखाने, रेलमार्ग और औद्योगिक संस्थान जर्मनी को सौंपने पड़े ।

(2) जर्मनी की शक्ति में असाधारण वृद्धि हुई । उसे चैक कोयले की खानों का 50 प्रतिशत, उद्योग का 50 प्रतिशत, सीसा का 55 प्रतिशत तथा औद्योगिक जनसंख्या का एक

तिहाई भाग और 14 बड़े नगर मिले । इस प्रकार यह समझौता चैकोस्लोवाकिया के लिए मृत्यु दण्ड से कम नही था । चैकोस्लोवाकिया शक्तिहीन और आर्थिक दृष्टि से पंगु बन गया ।

(3) सैनिक दृष्टि से जर्मनी को पर्याप्त लाभ हुआ । पूर्वी यूरोप में उसका एक शत्रु नष्ट हो गया। चर्चिल के शब्दों में, "अब वह चैक सीमा पर रक्षा के लिए रखे गये सेना के 25 डिवीजनों को फ्रांस के विरूद्ध पश्चिमी मोर्चे पर भेज सकता था।" हिटलर अब बाल्कन प्रदेश पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकता था तथा काले सागर की तरफ बढ़ने के लिए उसका मार्ग सुगम हो गया ।"

(4) अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में म्यूनिख समझौते के कारण फ्रांस और ब्रिटेन की प्रतिष्ठा को आघात पहुँचा । इस कार्य से वर्साय की सन्धि द्वारा स्थापित व्यवस्था समाप्त हो गई । जवाहर लाल नेहरू के शब्दों में,- "इस प्रकार यूरोप का एक नया विभाजन प्रारम्भ हुआ- यूरोप जिसमें फ्रांस और जर्मनी शक्तिशाली हो रहे थे । म्यूनिख समझौता यूरोप तथा विश्व के इतिहास में एक नया मोड़ था।"

(5) फ्रांस और रूस के बीच इस समझौते के कारण सम्बन्ध खराब हो गए थे क्योंकि यह समझौता 1935 की "फ्रांस-रूस" संधि के विरूद्ध था । इस समझौते ने "जर्मन-रूस" समझौते का मार्ग प्रशस्त किया ।

(6) इस समझौते के माध्यम से पोलैण्ड पर जर्मनी के आक्रमण का मार्ग प्रशस्त हुआ ।

(7) इस समझौते ने राष्ट्र संघ और सामूहिक सुरक्षा के सिद्धान्त को भी आघात पहुँचाया । डेविस थॉम्पसन के अनुसार- "मित्र राष्ट्रों ने चैकोस्लोवाकिया को सामूहिक सुरक्षा दिलाने के स्थान पर उसके प्रदेश पर सामूहिक डकैती की कार्यवाही की । इस प्रकार म्यूनिख समझौते की शर्तें हिटलर द्वारा युद्ध प्रारम्भ करने की धमकी से ही निश्चित की गई थी ।"

(8) इस समझौते के माध्यम से जैसा कि महात्मा गाँधी ने कहा था, "केवल एक सप्ताह के सांसारिक जीवन के लिए यूरोप ने अपनी आत्मा बेच डाली है ।"

(9) म्यूनिख समझौता तुष्टिकरण की नीति की असफलता का परिचायक है । चर्चिल का कथन सत्य ही साबित हुआ कि -"एक छोटे राज्य को भेड़ियों के आगे फेंककर सुरक्षा के परिणामस्वरूप मित्र-राष्ट्रों को तुष्टिकरण की नीति का परित्याग करने हेतु बाध्य होना पड़ा ।

इस प्रकार म्यूनिख समझौते के परिणामों और परिस्थितियों ने मित्र राष्ट्रों को तुष्टिकरण की नीति का परित्याग करके हिटलर के प्रति भविष्य में यथार्थवादी नीति को अपनाने हेतु बाध्य कर दिया ।

म्यूनिख समझौते पर विदेशी प्रतिक्रियाएँ

म्यूनिख समझौते का यूरोप के अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों पर गहरा प्रभाव पड़ा और देश-विदेश के नेताओं ने विभिन्न प्रतिक्रियाएँ व्यक्त की-

ब्रिटेन के विदेश मन्त्रालय के स्थायी अवर सचिव सर ईवोन कर्क पैट्रिक ने म्यूनिख समझौते की आलोचना करते हुए कहा कि, "म्यूनिख समझौता चैकोस्लोवाकिया के लिए मृत्युदण्ड का आदेश था ।"

जर्मन विदेश मन्त्री रिब्बन ट्राप ने चैम्बरलेन के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, "बूढ़े ने अपनी मृत्यु के प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर कर दिये है, अब हम सुविधानुसार उसमें तिथि पर देंगे ।"

चेम्बरलेन ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बताया कि, "समझौते पर हस्ताक्षर हो गये है और युद्ध की आशंका समाप्त हो गई है । मैं आपके लिए सम्मानपूर्वक शान्ति लाया हूँ । हम किसी स्थिति में अकेले चैकोस्लोवाकिया के लिए सम्पूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य को युद्ध में नहीं धकेल सकते थे ।"

'चर्चिल ने कहा, "इंग्लैण्ड और फ्रांस को युद्ध और अपमान दोनों में से एक चुनना था, अपमान हमने चुन लिया है, अब युद्ध हम पर थोपा जायेगा ।"

लन्दन टाइम्स ने लिखा था,- "युद्ध क्षेत्र से विजय प्राप्त करके घर लौटने वाले किसी विजेता ने ऐसी कीर्ति हासिल नहीं की है, जितनी म्यूनिख से लौटे चैम्बरलेन ने की ।"

बर्लिन स्थित ब्रिटिश राजदूत हैडसन ने चेम्बरलेन का म्यूनिख समझौते के संदर्भ में लिखा, "संसार की करोड़ों माताएँ आज आपको आशीर्वाद दे रही है कि अपने उनके सपूतों को युद्ध के मुँह में जाने से बचा लिया है । कल से आपकी सफलता की प्रशंसा में स्याही का समुद्र उमड़ जायेगा ।

प्रो. शूमां के शब्दों में, " म्यूनिख समझौता तुष्टिकरण की नीति की चरम सीमा तथा पश्चिमी लोकतन्त्रों को मृत्यु पत्र था । यह हिटलर की आतंकवादी नीति की अब तक की सबसे बड़ी विजय थी ।"

ब्रान्स हूपर के शब्दों में, "म्यूनिख समझौता एक "ब्लैक आउट" पराजय था । सोवियत विदेशी नीति के दो युगों के मध्य की समय सीमा थी ।"

नेहरू ने म्यूनिख समझौते को यूरोप तथा विश्व के इतिहास में एक नवीन मोड़ का प्रतीक माना है ।"

लॉर्ड एमरी ने म्यूनिख समझौते को दबाव से हुई जीता का प्रतीक माना है ।

चैकोस्लोवाकिया के लिए म्यूनिख समझौता मित्र राष्ट्रों द्वारा विश्वासघात का सूचक था और उसकी जर्मनी के विरूद्ध पराजय का मुख्य कारण उसकी दुर्बलता नहीं अपितु उसके तथा कथित मित्रों का विश्वासघात ही था।

म्यूनिख समझौता वास्तव में ब्रिटिश तुष्टिकरण की नीति का चरम बिन्दु था और उस समय ब्रिटेन और फ्रांस हिटलर की मांगो को क्रियान्वित करने वाले अभिकर्ताओं के रूप में कार्य कर रहे थे। म्यूनिख समझौता सम्पूर्ण यूरोप के लिए एक महान् कूटनीतिक क्रान्ति सिद्ध हुआ।

म्यूनिख समझौते के उपरांत भी हिटलर की साम्राज्यवादी विस्तार की नीति की महत्वाकांक्षा पूर्ण नहीं हुई और उसकी दृष्टि सुडेटन के बाद समूर्ण चैक राज्य को हड़पने पर लगी हुई थी। इस प्रकार हिटलर ने 15 मार्च, 1939 को चैकोस्लोवाकिया का अस्तित्व समाप्त

कर स्लेवाकिया को भी जर्मनी में सम्मिलित कर लिया। 21 मार्च, 1939 को मेमल प्रान्त पर जर्मन सेना ने अधिकार कर लिया। उसने यह प्रमाणित कर दिया कि जर्मनी की विस्तारवादी नीति की कोई भी सीमा नहीं है और कोई भी राज्य किसी भी समय उसके आक्रमण का शिकार बन सकता है। इसका स्वाभाविक परिणाम यह निकला कि पश्चिमी राष्ट्र युद्ध की प्रबल तैयारियाँ करने में जुट गए । इस प्रकार हिटलर के लिए म्यूनिख समझौता उसकी साम्राज्य विस्तारवादी नीति की चरम परिणती थी।

22.9 निष्कर्ष

म्यूनिख समझौते के परिणामों ने तुष्टिकरण की नति की पूरी पोल खोल कर रख दी और परिस्थितियों ने इस नीति का परित्याग करके मित्र-राष्ट्रों को हिटलर की विस्तारवादी नीति के प्रति भविष्य में यथार्थवादी नीति अपनाने को बाध्य कर दिया। चेकोस्लोवाकिया और मेमल पर हिटलर के आधिपत्य के बाद अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के सभी प्रेक्षकों को यह विश्वास हो गया कि हिटलर की विस्तारवादी नीति की कोई सीमा नहीं है और हिटलर का अगला शिकार निश्चित रूप से पोलैण्ड ही बनेगा। इसका स्वाभाविक परिणाम यह निकला कि पश्चिमी राष्ट्र ने भावी युद्ध की तैयारी में जुटकर सुदृढ़ मोर्चाबंदी शुरू कर दी। एक सितम्बर, 1939 को पोलैण्ड पर जर्मनी का आक्रमण होते ही मित्र राष्ट्रों ने सक्रियता से उसे रक्षात्मक कार्यवाही करने का अल्टीमेटम दिया जिसकी हिटलर ने उपेक्षा की। परिणामस्वरूप 3 सितम्बर को ब्रिटेन व फ्रांस ने हिटलर के विरूद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस प्रकार हिटलर की साम्राज्य विस्तारवादी नीति ने द्वितीय विश्वयुद्ध का श्रीगणेश किया।

22.10 संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. International relation between the two wars.

   E.H. Carr

2. A short history of international affairs.

   Gathorne Hardy

3. Europe in the 19th & 20th Centuries.

   Lipson

4. The second world war vol.-i

   Churchill

5. International relation & world polities. Since 1919.

   S.N Dhar

6. अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध-डॉ. एम. एल. शमा।
7. अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध-डॉ बी. एल. फडिया।
8. विश्व इतिहास की झलक-पं. जवाहर लाल नेहरू

इकाई-23

समझौतो, हमलों की घोषणा-शान्ति का विनाश-1939

इकाई की रूपरेखा

23.0 उद्देश्य

23.1 प्रस्तावना

23.2 प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों एवं पराजित राष्ट्रों के बीच संधियां-
वर्साय की संधि 1919, सैन्ट जर्मेन की संधि, 1919
न्यूली की संधि 1919, ट्रीओं की संधि, 1920,
सेवे की संधि 1920, नौ महाशक्तियों की संधि, 1922
लोसाने की संधि

23.3 राष्ट्र संघ की संरक्षता में की गई संधियां- आपसी सहयोग की संधि 1923, जेनेवा प्रोटोकॉल 1924 लोकानो समझौता, 1925 कैलोग-बियां समझौता 1928, चार शक्तियों का समझौता 1933, रोम प्रोटोकोल, 1939 एन्टी कोमिन्टर्न पैक्ट 1936.

23-4 द्विपक्षी संधियां (अ) फ्रांस-फ्रांस-बेल्जियम, 1920, फ्रांस-पोलैण्ड 1921, फ्रांस-चैकोस्लोवाकिया 1920, फ्रांस-रोमानिया 1926, फ्रांस-युगोस्लाविया 1927, फ्रांस-इटली 1934, फ्रांस-रूस 1935, फ्रांस-ब्रिटेन-1938.

(ब)- ब्रिटेन-ब्रिटिश-ईराकी संधि 1922, ब्रिटिश टर्की संधि 1925 ब्रिटिश-ईराकी संधि 1930, आंग्ल-मिस्त्र संधि 1936, आंग्ल-इटली समझौता, 1938

(स)-इटली-इटली-यूगोस्लाविकया संधि 1924, इटली-अल्बानिया संधि 1926, इटली-एबीसिनिया संधि 1928.

(द)-रूस-रूस-टर्की 1921, रूस-जर्मनी 1922, रूस- चैकोस्लोवाकिया के मध्य आपसी सहयोग की संधि, 1935, रूस-जापान समझौता 1939, रूस-जर्मनी अनाक्रमण समझौता 1939, रूस-जर्मनी विभाजन समझौता 1939.

(य)- टर्की-टर्की-अफगानिस्तान मैत्री संधि 1922, टर्की-रूस की मित्रता एवं तटस्थता की संधि 1925, टर्की-यूनान संधि 1930, टर्की-फ्रांस के मध्य अनाक्रमणकारी समझौता 1939, टर्की-ब्रिटेन-फ्रांस मैत्री संधि 1939.

(र)-पौलेण्ड- पौलेण्ड रूस के बीच रीगा की संधि, 1919-20, पौलेण्ड-जर्मनी अनाक्रमण संधि, 1934

(ल)-चेकोस्लोवाकिया-चेकोस्लोवाकिया-युगोस्लाविया आपसी सहयोग संधि 1920,

(ब)-जापान-जापान-चीन संधि 1922

(ट)-जर्मनी-जर्मनी-आस्ट्रिया समझौता 1936.

23.5 क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए की गई संधियां-लिटिल एंटेट 1921-22 लंदन समझौता, 1933, बाल्टिक समझौता 1934, बाल्कन समझौता 1934, सादाबाद समझौता 1935 स्केण्डिनेविया ब्लोक 1938

23.6 नौसैनिक निशस्त्रीकरण-रूस-फिनलैण्ड संधि 1920, चार राष्ट्रों की संधि, 1922, पांच राष्ट्रों की संधि 1922, जेनेवा सम्मेलन 1922, लंदन नौसेना संधि 1930 आंग्ल-जर्मन नौसैनिक समझौता 1935.

23.7 आक्रमण-(अ) राष्ट्र संघ सम्मेलन से संबंध विच्छेद-जर्मनी, जापान, इटली-जापान-मंचूरिया विलय, 1931-32, इटली-स्पेनिश गृह युद्ध, 1936-39 जर्मनी- आस्ट्रिया में सत्ता परिर्वतन का प्रयास सार घाटी पर कब्जा 1935, निशस्त्रीकरण क उल्लंघन, राइन प्रदेश पर कब्जा, आस्ट्रिया का हरण मार्च, 1938 चैकोस्लोवाकिया संकट, 1938

(ब) शान्ति का विनाश इटली, जर्मनी, रूस-1939

23.8 निष्कर्ष

23.9 संदर्भ ग्रन्थ सूची

23.0 उद्देश्य-

इस पाठ में आप पढ़ेगे-

(अ) प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति, विजयी एवं पराजयी शक्तियों के मध्य संधियों की शृंखला।

(ब) प्रथम विश्व युद्ध के बाद कूटनीतिज्ञों ने एक अन्तराष्ट्रीय संघ की कमी महसूस की, परिणाम स्वरूप राष्ट्र संघ की स्थापना की गई और उसकी देखरेख में कई संधियों समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये।

(स) नाज़ी और फासीवादी तानाशाहों का उदय, जापान का साम्राज्यवादी दृष्टिकोण, ने विश्व को फिर दो हिस्सों ध्रुव और मित्र राष्ट्रों-में बांट दिया।

(य) इसलिए मनुष्य द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध से बचने के लिए समझौतों, संधियों और शान्ति समझौतों के द्वारा अथक प्रयास किये गये इसके बावजूद भी अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति धराशायी हो गई।

(र) जर्मनी-जापान और इटली के आक्रमण रूख ने राष्ट्र संघ को धराशायी कर दिया, संधियों का उल्लंघन परिणाम स्वरूप 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरूआत।

23.1 प्रस्तावना

प्रथम विश्व युद्ध के बाद कूटनीतिज्ञों ने सोचा कि जब मानव युद्ध छेड़ सकता है तो वह शान्ति भी बहाल कर सकता है। इसीलिए उनका अभियान समझौतों, संधियों, सहयोग और सम्मेलनों के द्वारा विश्व में शान्ति बनाये रखने से शुरू हुआ। उन्होंने एक अन्तर्राष्ट्रीय संघ-राष्ट्र संघ-की भी स्थापना की।

दुर्भाग्य से विजयी शक्तियों के कूटनीतिज्ञ स्वयं में साफ विचारों के नहीं थे। वे न केवल भ्रमित, गलतफहमी और मिथ्या अनुमान से ग्रसित थे बल्कि वे आशंकित और वैमनस्य

से भी परिपूर्ण थे। वास्तव में प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम संधियों, शस्त्रीकरण की दौड़, राष्ट्रीय भावना, साम्राज्यवादी और आर्थिक प्रतिद्वन्दता के रूप में निकला। विजयी राष्ट्रों ने पराजितों के ऊपर संधियां थोप दी। उन्होंने उनकी राष्ट्रीय भावनाओं, गौरव प्रतिष्ठा, प्रादेशिक नुकसान, धन जन तक की परवाह नहीं की।

इसलिए राष्ट्रों में आपसी अविश्वास, प्रतिरोधी भावना ने उन्हें संधि सहयोग का सहारा लिया । क्म्यूनिज्म का डर, नाजियों फासिस्टों का उदय, जापान के साम्राज्यवादी रूख ने विश्व मस्तिष्क में विनाश की भावना को पैदा किया ।

23.2 प्रथम विश्व युद्ध के बाद विजयी-पराजित राष्ट्रों के मध्य संधियां

वर्साय की संधि-जून 28, 1919

समस्त संधियों में वर्साय की संधि सर्वाधिक महत्वपूर्ण और बड़ी संधि थी जिस पर 28 जून, 1919 को मित्र राष्ट्रों एवं जर्मनी के बीच हस्ताक्षर हुए ।

प्रादेशिक व्यवस्थाऐं- फ्रांस ने जर्मनी से ऐल्सेस लोरेन का क्षेत्र प्राप्त किया। सार घाटी के 15 वर्ष के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग के नियंत्रण में रखा और फंस को 15 वर्ष तक सार घाटी की कोयला खानों का अधिकार दिया। 15 वर्षों बाद वहां जनमत संग्रह होगा और वहां के लोग यह तय करेंगे कि वे किस देश के अधीन रहेंगे। जर्मन आक्रमण की क्षतिपूर्ति के रूप में बेल्जियम को भी मसेडी यूपेन मोर्सेनेट क्षेत्र मिला। उत्तरी शेल्शविग डेनमार्क को जबकि दक्षिणी शलेशविग जर्मनी के पास रहा। पोलैण्ड को भी जर्मनी के कुछ इलाके मिले।

जर्मन जनसंख्या वाला शहर डेंजिग "स्वतंत्र शहर' घोषित किया गया जिसका प्रशासन राष्ट्र संघ मे निहित था । मेनल लिथुआनिया को दिया गया । जर्मनी ने अपने सारे उपनिवेश मित्र राष्ट्रों के सुपुर्द कर दिये । जिन्हें 'मेन्डेट' कहा गया ।

आर्थिक व्यवस्थाऐं- वसार्य संधि का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से जर्मनी को कमजोर करना था । संधि की धारा 231 के अनुसार जर्मनी के व्यापारिक व नौसैनिक जहाज ब्रिटेन व फ्रांस को दिये गये । जर्मनी ने स्वयं के खर्चे पर मित्र राष्ट्रों को जहाज देना भी स्वीकार किया । जर्मनी को श्याम, लाइबेरिया, मोरक्को, मिस्त्र, टर्की और बुल्गारिया में अपनी संपत्ति से हाथ धोना पड़ा ।

सैनिक व्यवस्थाऐं- सैनिक दृष्ट से पंगु बनाने के लिए जर्मनी में अनिवार्य सैनिक सेवा समाप्त कर दी । विल्संन के 14 सूत्री सिद्धान्त का पालन सिर्फ जर्मनी पर ही किया । जर्मनी को 1 लाख स्वयं सेवी सैनिक रखने की अनुमति दी गई । राइन नदी के ५० किलो. मीटर क्षेत्र से जर्मनी को हटाकर उसके सारे किले तोड़ दिये गये । जर्मनी की नौसेना घटाकर 15000 कर दी गई । जिसमें 6 युद्ध पोत, 6 हल्के क्रूजर्स, १२ विनाशक और १२ तारपीडो नावें थी ।

न्यूइली की संधि १९१९ - यह संधि बुल्गारिया और मित्र राष्ट्रों के बीच जून 27,1919 को की गई थी । जिसके अनुसार हंगरी को आस्ट्रिया से अलग कर दिया गया । बुल्गारिया का पश्चिमी भाग यूगोस्लोवाकिया को दिया गया । पश्चिमी थ्राओ और ऐजियन तट यूनान को सौंप

दिये । बुल्गारिया की सेना 20000 तय कर दी और उसकी नौसेना नष्ट कर दी । बुल्गारिया क्षतिपूर्ति के रूप में 37 सालों में $ 9,000,000 भी मित्र राष्ट्रों को देगा ।

सेट जर्मेन की संधि 1919- यह संधि आस्ट्रिया और मित्र राष्ट्रों के मध्य की गई थी । जिसका मुख्य उद्देश्य पुराने आस्ट्रिया-हंगरी साम्राज्य की याद भुलाना था । दोनों साम्राज्यों को अलग करके आस्ट्रिया, हंगरी अलग 2 राज्य स्थापित किये गये । इस संधि के अनुसार हंगरी, पोलैण्ड और यूगोस्लोवाकिया को स्वतंत्र राज्यों के रूप में माना गया । आस्ट्रिया ने दक्षिणी ट्रियोल, ट्रेन्टिनो, ट्रीस्टे, ऑस्ट्रिया इटली को दिये । बोस्निया, हर्जेगोविना और डालमेटियन तट यूगोस्लोवाकिया को दिये गये । चैकोस्लोवाकिया ने बोहेमिया, मोराविया, स्लोवाकिया पाये जबकि गेलेशिया पोलैण्ड को मिला । इस संधि में भविष्य में आस्ट्रिया-जर्मनी के बीच समझोता न होने की बात भी स्वीकार की गई । इसके अतिरिक्त आस्ट्रिया की सेना 300000 कर के नयी भर्ती पर रोक लगा दी उसकी नोसैना में केवल 3 पुलिस नावें डेन्यूब नदी पर रखी गई उसके सारे उपनिवेश भी उससे छीन लिये गये ।

ट्रिओ की संधि- 1920-यह संधि मित्र राष्ट्रों एवं हंगरी की राष्ट्रीय सरकार के बीच की गई थी जिसके अनुसार हंगरी को आस्ट्रिया से अलग कर दिया गया । प्राचीन मगयार साम्राज्य भंग कर दिया गया और हंगरी से रूमानिया ने ट्रांसिलवेनिया, क्रोटिया, स्लोवोनिया यूगोस्वाकिया ने जबकि स्लोवाकिया चेकोस्लोवाकिया प्राप्त किये । उसकी सेना घटाकर 35000 कर दी गई युद्ध क्षतिपूर्ति देने के लिए भी उसे बाध्य किया गया ।

सेव्रे की संधि- 1920-सेव्रे की संधि टर्की एवं मित्र राष्ट्रों के मध्य सम्पन्न की गई थी जिसके अनुसार कॉन्सटेन्टीनोपोल टर्की को पास ही रखा । फ्रांस को सीरिया दिया गया । फिलिस्तीन व मेसोपोटामिया इंग्लैण्ड को, एशिया माइनर, थ्रेस, एड्रीयानोपल, गेलीपोली यूनान को मिले । अरब का बादशाह स्वतंत्र घोषित किया गया । टर्की साम्राज्य एशिया माइनर तक सीमित रखा । उसकी सेना घटाकर 50000 की गई और उसकी सारी वायु सेना मित्र राष्ट्रों ने बांट ली । कोन्सटेन्टिनोपल व अलेक्जेंड्रिया के बंदरगाह अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण मे रखे गये ।

नो महा शक्तियों की संधि 1922- यह संधि वाशिंगटन सम्मेलन में यू. एस. ए. ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, जापान, बेल्जियम इटली, हालैण्ड और पुर्तगाल के बीच हुई थी जिसके अनुसार चीन की संप्रभुता, स्वतंत्रता और प्रादेशिक अखंडता को स्वीकार किया इसके साथ उन्होंने चीन को अपने यहां एक प्रभावी व स्थिर सरकार बनाने का पूरा अवसर प्रदान किया । चीन में सभी राष्ट्रों के व्यापारिक अधिकारों को स्वीकार किया गया ।

लोसाने की संधि 1923- टर्की के साथ की गई सेव्रे की संधि की राष्ट्रवादी दल के नेता मुस्तफा कमाल पाशा द्वारा विरोध और आलोचना की गई । टर्की ने यूनान के विरूद्ध पूर्ण विजय प्राप्त करके अपना ध्यान कोन्टेन्टीनोपल की तरफ किया जिसने मित्र राष्ट्रों को चौका दिया परिणाम स्वरूप जुलाई 24, 1923 को लोसाने की संधि हुई जो सेव्रे की संधि का संशोधित रूप थी जिसके अनुसार टर्की ने यूनान से एंड्रियोनोपल और पूर्वी थ्रेस का भाग वापस लिया । साइप्रस पर ब्रिटेन के अधिकार की पुष्टि की गई, सीरिया की सीमा निश्चित की गई, टर्की ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का वचन दिया । कोस्टेन्हीनोपल टर्की को दिया गया । स्ट्रेट्स

के क्षेत्र का अन्तर्राष्ट्रीयकरण और सैनिक रहित किया गया जिसको मित्र राष्ट्रों के जहाजों के लिए खोल दिया गया । टर्की से विदेशी सेनाएं हटा ली गई और पूर्व में लगाई गई सैनिक, नौसैनिक, वायु सैनिक पाबंदियां हटा ली गई । युद्ध क्षतिपूर्ति भी टर्की से लेनी समाप्त कर दी गई ।

23.3 राष्ट्र संघ भी संरक्षता में की गई संधियाँ-

प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर मित्र राष्ट्रों के द्वारा राष्ट्रसंघ को शामिल किये बिना ये उपरोक्त संधियां की गई थी । राष्ट्र संघ ने अपने को प्रभावी बनाने और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता देने हेतु उसके नेतृत्व में भी अनेक संधियां की गई जो निम्नांकित है-

आपसी सहयोग की संधि- 1923-राष्ट्र संघ को प्रभावी बनाने हेतु ब्रिटेन व फ्रांस के मध्य 1923 में यह संधि की गई थी जिसके अनुसार आक्रामक युद्ध एक अन्तर्राष्ट्रीय अपराध माना गया, संघ कौंसिल को 4 दिन के भीतर आक्रामक की पहचान करने और पीड़ित राष्ट्र को राष्ट्रसंघ के सदस्यों की सैनिक या आर्थिक सहयोग देने के लिए कहा गया । यह संधि यू. एस. ए. समेत 18 राष्ट्रों द्वारा स्वीकार की गई लेकिन बाद में ब्रिटेन, सोवियत रूप व यू. एस .ए. ने इसके क्षेत्रीय स्वरूप के कारण उसे अस्वीकार कर दिया ।

जेनेवा प्रोटोकॉल- 1924-यह प्रोटोकॉल यूनान व चेक प्रतिनिधियों द्वारा तैयार किया गया था जिसके अनुसार सारे अन्तर्राष्ट्रीय विवाद मध्यस्थता द्वारा हल किये जायेंगे । क्षेत्रीय सुरक्षा के बजाय विश्व सुरक्षा के लिए प्रयास किये जायेंगे । अन्तर्राष्ट्रीय न्याय के लिए स्थाई न्यायालय को मान्यता दी गई । अंतर्राष्ट्रीय कानून क्षेत्र के बाहर के सम्पूर्ण विवाद संघ कौंसिल को सौंपे जायेंगे । यदि किसी विवाद पर राष्ट्र संघ असफल रहता है तो मध्यस्थों को किसी नतीजे पर पहुंचने की छूट दी जायेगी । संबंधित राष्ट्रों को उनका निर्णय मानना होगा । मध्यस्थता के समय संबंधित राष्ट्रों की फ़ौजी कार्यवाही नही होगी एक संबंधित राष्ट्र द्वारा निर्णय न मानने पर उसे आक्रामक घोषित किया जायेगा । आक्रामक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु संघ को अधिकृत किया गया । जून 1925 में एक निशस्त्रीकरण सम्मेलन आयोजित किया जायेगा ।

लोकार्नो समझौता- 1925 -इस समझौते के द्वारा अविश्वास और शंकालु वातावरण को दूर करने का जबरदस्त प्रयास किया गया । फ्रांस को सामूहिक रूप से सुरक्षा की गारंटी चाहिये थी इसलिए जर्मनी की पहल पर ब्रिटेन ने समर्थन जताया । इस पर फ्रांस की सहमति से 1925 में लोकार्नो समझोता हुआ जिसमें अनेक आपसी सहयोग की संधियां की गई-

(अ) फ्रांस-जर्मन व जर्मन-बेल्जियम संधि- इस संधि द्वारा फ्रांस-जर्मन व जर्मन-बेल्जियम सीमाओं को पूर्णत. सैनिक रहित करने पर फिर सहमति जताई । जर्मनी, फ्रांस व बेल्जियम ने एक दूसरे पर आक्रमण न करने की बात दोहराई । यदि जर्मनी पश्चिमी सीमा का उल्लंघन करता है तो सभी राष्ट्र सामूहिक रूप से संघर्ष करेंगे ।

(ब) जर्मनी-पोलैण्ड व जर्मनी- चेकोस्लोवाकिया की आपसी सहयोग संधि-

यह संधि मुख्यत : जर्मनी की पूर्वी सीमाओं से संबंधित थी ।

(स) जर्मनी-बेल्जियम और जर्मनी फ्रांस के मध्य आपसी सहयोग की संधि-

(द) फ्रांस-पोलैण्ड और फ्रांस-चेकोस्लोवाकिया के मध्य संधि-

इन तमाम संधियों का मकसद बर्लिन, लंदन और पेरिस में प्रगाढ़ संबंध स्थापित करना था । जर्मनी को स्थाई सदस्य के रूप में राष्ट्र संघ में शामिल कर लिया गया ।

केलोग-बियां समझौता- 1928-लोकार्नो पेक्ट के बाद अंतर्राष्ट्रीय शान्ति व सहयोग को स्थापित करने हेतु दूसरे प्रयास इस समझौते (पेरिस-पेक्ट) द्वारा किया गया । फ्रांसिसी विदेशी मंत्री ब्रिया ने राष्ट्र नीति के सूत्र के रूप मे अमेरिका व फ्रांस के बीच युद्ध खत्म करने का प्रस्ताव रखा । यू.एस.ए. के राज्य सचिव के लोग ने इसका अन्तर्राष्ट्रीयकरण करके एक समझौता पेरिस में किया जिसमें रूस सहित 15 राष्ट्रों ने राष्ट्रीय नीति के सूत्र रूप में युद्ध का परित्याग करने पर सहमति जताई। सदस्य अपने विवादों के हल करने हेतु शान्तिपूर्ण तरीकों का इस्तेमाल करेंगे । यह समझौता विश्व के अन्य राष्ट्रों के लिए भी खुला रखा गया ।

चार शक्तियों का समझौता (रोम पेक्ट)- 1933-यूरोप में युद्ध की संभावना को दूर करने हेतु मुसोलिनी ने एक निश्चित अवधि तक शान्ति रखने का प्रस्ताव रखा । फलत : रोम में इंग्लैण्ड, फ्रांस, इटली और जर्मनी में एक समझौता हुआ । जिसके अनुसार चारों ने राष्ट्र संघ में पूर्णत: विश्वास जताया और आपसी सहयोग व शान्ति बनाये रखने पर चारों राष्ट्र सहमत हुऐ ।

रोम प्रोटोकाल- 1934-रोम में इटली, आस्ट्रिया और हंगरी के मध्य 1934 में यह समझोता हुआ जिसका मुख्य उद्देश्य एक दूसरे की स्वतंत्रता और अधिकारों का समान करते हुए यूरोप में शान्ति व व्यवस्था बनाये रखना था। इसके अलावा तीनों देशों ने अपने आर्थिक पुनर्रूद्धार हेतु आपसी वाणिज्य व्यापार बढ़ाने पर सहमति जताई।

एन्टी-कोमिन्टर्न पैक्ट- 1936-यह समझौता "रोम-बर्लिन-टोकियो धूरी" के नाम से जाना जाता है। जो हिटलर की कूटनीति का नतीजा था। जापान द्वारा अपना सहयोगी की तलाश के प्रयास में हिटलर ने 1936 में उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया एवं एक समझौता हुआ जो एन्टी-कोमिन्टर्न पेक्ट के नाम से विख्यात है इसका मुख्य उद्देश्य कम्यूनिज्म का विरोध करना था। बाद में 1937 में इसमें इटली भी शामिल हो गया जो 'रोम-बर्लिनटोकियो धुरी' के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस समझौते द्वारा कम्युनिस्टों की गतिविधियों की एक दूसरे को जानकारी देना, उसके खिलाफ कार्यवाही में आपसी सहयोग करना और सोवियत रूस से कोई भी राजनीतिक संधि न करने पर सहमति हुई।

23.4 द्विपक्षीय संधियां-(अ) फ्रांस द्वारा इस तरह की निम्नांकित संधियां की गई-

बेल्जियम-फ्रांस के मध्य आपसी सहयोग की संधि, 1920 यदि भविष्य में जर्मन आक्रमण होता है तब दोनों एक दूसरे का सहयोग करेंगे।

फ्रांस-पोलैण्ड संधि 1921- पूर्वी यूरोप में पोलैण्ड को शक्तिशाली जानकर फ्रांस ने उसके साथ संधि की जिसका मकसद चैकोस्लोवाकिया पर जर्मन आक्रमण को रोकना था। इसके तहत फ्रांस पोलैण्ड को आसान शर्तों पर हथियार एवं युद्ध सामग्री देने पर सहमत हुआ।

फ्रांस-चेकोस्लोवाकिया संधि 1924- विदेश नीति से संबंधित मुद्दों पर दोनों देश एकजुट कार्यवाही पर सहमत थे।

फ्रांस-रूमानिया समझोता-1924- इसके द्वारा दोनों देशों ने किसी भी स्थिति में एक दूसरे पर हमला न करने पर सहमति जताई।

फ्रांस-यूगोस्लोवाकिया के मध्य मैत्री संधि- 1927-जिसके द्वारा दोनों ने एक दूसरे पर बाह्रा हमले की स्थिति पर अलग रहने पर सहमति हुई।

फ्रांस-इटली मैत्री समझौता 1935- हिटलर की आस्ट्रिया को हथियाने की नीति और जर्मनी में हिटलर के उदय के भय के कारण फ्रांस इटली के मध्य 1935 में एक समझोता हुआ जिसके तहत यदि जर्मनी अपना पुन: शस्त्रीकरण करता है तो दोनों शक्तियां कार्यवाही करने पर सहमत हुए। आस्ट्रिया से आपसी सम्पर्क कायम रखने पर भी दोनों देश सहमत थे। फ्रांस ने इटली को अफ्रीका में अनेक सुविधाएं प्रदान की। फ्रांस ने आदिस अबाबा रेलवे हेतु अपने 2500 शेयर भी स्थांतरित किये। मुसोलिनी को एवीसीनिया में स्वतंत्रता दी गई।

फ्रांस-रूस संधि, 1935- हालांकि रूस ने राष्ट्र संघ की सदस्यता ग्रहण करली थी परन्तु यह संघ से अपनी सुरक्षा के मुद्दे पर संतुष्ट नही था इसलिए उसने 1935 में यह संधि की।

फ्रांस-ब्रिटेन संधि, 1938- इस संधि के द्वारा दोनों राष्ट्र न केवल कूटनीतिक सहयोग बनाये रखने अपितु दोनों देशों की एक संयुक्त सैनिक, वायु सैनिक, और नौसेनिक सेना बनाने पर भी सहमत हुए।

(ब(ब्रिटेन-ब्रिटेन ने निम्नांकित द्विपक्षीय संधियां की-

ब्रिटिश-ईराकी संधि, 1925- इस संधि द्वारा ईराक में ब्रिटिश मेन्डेट को बनाये रखा गया।

ब्रिटिश-टर्की संधि, 1925- ब्रिटेन के इस आश्वासन के बाद कि मोसुल से प्राप्त तेल की आमदनी का 10% हिस्सा टर्की को दिया जायेगा, टर्की ने मोसुल से अपना दावा वापिस ले लिया ।

ब्रिटिश-ईराकी संधि, 1930- राष्ट्र संघ की सदस्यता प्राप्त करने के सहयोग पर ब्रिटेन ने ईराक से अपना 'मेन्डेट' छोड़ दिया ।

आंग्ल-मिस्त्र संधि, 1936- इसके द्वारा मिस्त्र से ब्रिटिश सेनाऐ हटी, तीसरे देश द्वारा आक्रमण की स्थिति में दोनों एक दूसरे का सहयोग करने, सूडान में दोनों देशों के संयुक्त शासन को बनाऐ रखने, ब्रिटेन ने मिस्त्र में अपना दूत भेजने एवं उसे राष्ट्र संघ का सदस्य बनाने में सहयोग करने पर सहमति जताई ।

आंग्ल-इटली समझौता, 1938- इसके द्वारा ब्रिटेन ने एबीसिनया पर इटली के अधिकार पर मुहर लगाई । दूसरी तरफ इटली ने स्पेन से अपने स्वयं सेवक हटाने और पूर्व व लाल सागर में एक दूसरे के हितों की रक्षा करने का वादा किया ।

(स) इटली-इटली ने निम्नांकित द्विपक्षीय संधियां की-

इटली-यूगोस्लोवाकिया संधि, 1924- इस संधि द्वारा फ्यूम राज्य का विभाजन कर फ्यूम शहर इटली को और उसके पास का कस्बा फोर्टो बोरोस यूगोस्लोवाकिया को मिला ।

अल्बानिया-इटली संधि, 1926- इसके तहत अल्बानिया पर किसी तरह का आक्रमण दोनों के हितों पर खतरा समझा गया, अल्बानिया की सहमति से इटली वहां के विदेशी और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करेगा ।

अबीसीनिया-इटली संधि, 1928- इस संधि द्वारा दोनों देश एक दूसरे की प्रादेशिक स्वतंत्रता बनाये रखने पर सहमत हुए ।

(द(रूस-रूस ने निम्नांकित द्विपक्षीय संधियां की-

रूस-टर्की संधि, 1921- इस संधि के तहत दोनों देशों ने मध्य पूर्व में राष्ट्रवादी आन्दोलन विशेषकर रूसी क्रान्ति को मान्यता दी । रूस ने कार और अरादान के प्रदेश वापिस टर्की को सौंप दिये । जो जार शासन में छीन लिये गये थे ।

रूस-जर्मनी संधि, 1922- इस संधि द्वारा दोनों देशों के संबंधों को कायम किया गया । दोनों देशों ने अपने 2 दावों को छोड़ दिया । दोनों घनिष्ठ राजनैतिक संबंध स्थापित करने और आर्थिक क्षेत्र में आपसी सहयोग कायम करने पर सहमत हुऐ ।

रूस-चेकोस्लोवाकिया के मध्य आपसी सहयोग संधि, 1935- जर्मनी में हिटलर के उदय के भय से चैकोस्लोवाकिया ने रूस के साथ यह संधि की थी । यदि चैकोस्लोवाकिया पर कोई आक्रमण होता है तो रूस उसकी मदद करेगा बशर्ते कि फ्रांस उसकी मदद को तैयार हो ।

रूस-जापान समझौता, 1939- इस संधि के तहत यह करार पाया गया कि दोनों देश मंगोलिया व मंचुरिया ये हस्तक्षेप नहीं करेंगे । रूस को यह विश्वास दिया गया कि यदि जर्मनी उस पर आक्रमण करता है तो जापान तटस्थ रहेगा । ऐसा ही व्यवस्था जापान के साथ भी की गई ।

रूस-जर्मन अनाक्रमण समझोता, 1939- इसके तहत दोनों देश एक दूसरे के विरूद्ध आक्रामक गतिविधियों से दूर रहने पर सहमत हुए, यदि कोई तीसरी शक्ति किसी एक पर आक्रमण करती है तो दोनों ही आक्रमणकारी की कोई सहायता नहीं करेंगे । दोनों के आपसी विवादों का हल भी आपसी सहयोग व शान्तिमय तरीकों से हल करने पर सहमत थे ।

रूस-जर्मनी विभाजन समझौता, 1939- इस संधि के द्वारा दोनों देशों ने अपने प्रभाव क्षेत्र के अनुसार पूर्वी यूरोप का आपस में विभाजन कर लिया ।

(य) टर्की-टर्की ने निम्नांकित द्विपक्षीय संधियां की-

टर्की-अफगानिस्तान मैत्री संधि, 1922- इस संधि की शर्तों के अनुसार दोनों देश बाह्य आक्रमण की स्थिति में एक दूसरे की मदद करेंगे ।

टर्की-रूस की मित्रता एंव तटस्थता की संधि, 1925- इस संधि द्वारा दोनों देश एक दूसरे से नही लड़ेंगे, तीसरी शक्ति के आक्रमण करने पर एक दूसरे की मदद करने पर भी सहमति हुई ।

टर्की यूनान संधि, 1930- इस संधि द्वारा दोनों देशों के मध्य विवादित सम्पत्ति के विवादों को सुलझाया गया ।

टर्की-फ्रांस के मध्य अनाक्रमणकारी समझौता, 1939- इस संधि द्वारा टर्की ने फ्रांस से ऋण एवं सैनिक सामान प्राप्त किया ।

ब्रिटेन-फ्रांस से मैत्री संधि, 1939- इस संधि के अनुसार ब्रिटेन-फ्रांस जर्मन आक्रमण की स्थिति में टर्की की मदद करेंगे ।

(र) पोलैण्ड-पोलैण्ड ने निम्नांकित द्विपक्षीय संधियां की-

पोलैण्ड-रूस के बीच रीगा की संधि, 1919-20- इस संधि द्वारा दोनो देशों के बीच सीमा विवाद को सुलझाया गया ।

पोलैण्ड-जर्मनी अनाक्रमण संधि, 1934- रूस से डर के कारण पोलैण्ड ने जर्मनी के साथ यह संधि की । दूसरे उसे फ्रांस पर भी विश्वास नहीं था । हिटलर का यह संधि करने का मुख्य उद्देश्य फ्रांस से पोलैण्ड को अलग करके उसके सुरक्षा उपायों को कमजोर करना था ।।

पोलैण्ड-ब्रिटेन आपसी सहयोग संधि, 1939- पोलैण्ड को सुरक्षा प्रदान करने हेतु ब्रिटेन ने यह संधि की थी और उसे किसी आक्रमण का सामना करने हेतु यथासंभव मदद की घोषणा की ।

(ल)चेकोस्लोवाकिया

चेकोस्लाविया व यूगोस्लाविया आपसी सहयोग संधि, 1920- जर्मनी से भय के कारण यह संधि की गई थी।

(व) जापान

चीन-जापान संधि, 1922- ब्रिटेन व यू. एस. ए. के कहने पर यह संधि हुई थी। इसके तहत भारी युद्ध हर्जाना लेकर जापान ने शांतुंग वापिस चीन को दे दिया। जबकि साईनान-सिंगताओ रेल्वे पूर्णत: जापान के नियंत्रण में रहा।

(ट) जर्मनी

आस्ट्रिया-जर्मन समझौता, 1936- इस समझौता की धाराओं के अनुसार जर्मनी ने आस्ट्रिया की स्वतंत्रता एवं संप्रभुता को माना। दोनों देश एक दूसरे के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आस्ट्रिया ने अपने आपको एक जर्मन राज्य माना। इस संधि से आस्ट्रिया के विलय का रास्ता न केवल साफ हुआ बल्कि इसने इटली-जर्मन संधि का रास्ता भी साफ कर दिया।

23.5 क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए की गई संधियां

लिटिल ऐंटेट, 1921-22- इसका मुख्य उद्देश्य बुल्गारिया के किसी भी प्रयत्न (अपने पूर्व रूप को बनाने का) को रोकना था। ताकि वहां पर वापिस हेप्सबर्ग वंश न आ सके।

लंदन समझौता, 1933- रूस ने 1933 के रोम समझौते को अपने विरूद्ध मानते हुए उसने अपने पड़ोसियों के साथ तीन समझौते किये जिसमें अफगानिस्तान, चेकोस्लोवाकिया, ईरान, पोलैण्ड, यूगोसेस्लोविया, एस्टोनिया, लेटविया, रूमानिया, टर्की के प्रतिनिधि लंदन में मिले और तीन समझौतों पर हस्ताक्षर किये जिसके अनुसार (i) सभी देशों ने एक दूसरे की सीमाओं का आदर किया (ii) अन्य देश द्वारा आक्रमण करने पर सदस्य राष्ट्र की सैनिक सहायता करेंगे। (iii) केलोग-बियाँ समझौता बना रहेगा।

बाल्टिक समझौता, 1939- जर्मनी के किसी भी संभावित आक्रमण का सामना करने हेतु लेटविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया ने यह समझौता किया जिसके अनुसार तीनों राष्ट्र अपनी विदेश नीति को आपसी सलाह मशविरे से चलाने एवं यूरोप के किसी भी युद्ध में शामिल न होने की बात स्वीकारी। उन्होंने नियमित विचार-विमर्श करना भी स्वीकार किया।

बाल्कन समझौता, 1934- इसमें टर्की, रूमानिया, यूनान और यूगोस्लोवाकिया ने हस्ताक्षर किये जिसके अनुसार बाल्कन क्षेत्र किसी असदस्य राष्ट्र से कोई संबंध नहीं बनायेंगे और एक दूसरे की स्वतन्त्रता और आपसी हितों के मामले परस्पर विचार विमर्श से सुलझायेंगे

सादाबाद समझौता, 1937- इस समझौते द्वारा टर्की ने मध्य पूर्वी राष्ट्रों-को एक जुट करने का प्रयास किया। इसमें मुख्यत; अफगानिस्तान, ईरान, ईराक और टर्की थे। इसके द्वारा सदस्य राष्ट्र एक दूसरे के आन्तरिक मामलों में दखल न देने व उनकी सीमाओं की गरिमा बनाये रखने पर सहमत हुए।

स्केण्डीनेविया ब्लाक, 1938- फिनलैण्ड, नार्वे, डेनमार्क और स्वीडन के प्रतिनिधियों ने इस समझौते के तहत यह घोषणा की कि यदि यूरोप में युद्ध होता है तब वे तटस्थ रहेंगे।

23.6 नौसैनिक निशस्त्रीकरण-

महान शक्तियों में नौसैनिक होड़ ने निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में एक गम्भीर समस्या उत्पन्न कर दी थी । इस समस्या का सामना करने हेतु कई संधियां की गई थी-पहली संधि रूस-फिनलैण्ड के मध्य 1920 में हुई जिसमें दोनों देशों ने किलेबन्दी न करने और फिनलैण्ड द्वारा अपने हथियारों को कम करने की बात स्वीकार की । बेल्जियम, वाशिंगटन समझौते (1922) पर यू. एस. ए. फ्रांस, इटली, जापान, चीन, बेल्जियम, पुर्तगाल, नीदरलैण्ड के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किये इसका मुख्य मुद्दा नौसैनिक निशस्त्रीकरण था जिसके अनुसार अनेक समझौते किये गये थे । चार राष्ट्रों की संधि (1921) इस दिशा मे पहला कदम थी जो जापान फ्रांस, इंग्लैण्ड और यू. एस. ए. के मध्य हुई थी इसका मुख्य उद्देश्य इंग्लैण्ड व अमेरिका को और नजदीक लाना था । इसके अनुसार सभी ने पेसिफिक क्षेत्र में आपसी हितों व अधिकारों पर सहमति जताई अपने विवादों का हल शान्तिपूर्ण तरीके से करेंगे । पांच राष्ट्रों की संधि (1922) पर यू. एस. ए., जापान, इंग्लैण्ड फ्रांस और इटली ने हस्ताक्षर किये जिसके अनुसार पांचो देशों की नोसैनिक शक्ति निश्चित कर दी गई थी । पेसिफिक क्षेत्र में कोई नौसैनिक अड्डा स्थापित नहीं किया जायेगा। जेनेवा सम्मेलन (1927) असफल रहा क्योंकि इससे ब्रिटेन असहमत था । लंदन नोसैना संधि (1930) पर ब्रिटेन, यू. एस. ए. और जापान के सदस्यों ने हस्ताक्षर किये जिसके अनुसार अतल-अमेरिकन विवाद सुलझाया गया, ब्रिटेन, अमेरिका ने छोटे युद्ध पोत बढ़ाने पर सहमति जताई । जापान को छोटे युद्ध पोत व विनाशक की संख्या बढ़ाने पर सहमति हुई । अतल-जर्मन नौसैनिक समझौता (193.5) द्वारा जर्मनी को अपने युद्ध पोतों की संख्या 35% बढ़ाने और कई तरह के जहाज बनाने पर सहमति हुई ।

23.7 आक्रमण (हमले)

जापानी हमला और मंचूरिया का विलय, 1931-1932-1904-5 के रूस-जापान युद्ध के बाद जापान को दक्षिणी मंचूरिया रेल्वे की सुरक्षा हेतु मंचूरिया में एक सेना रखने का अधिकार मिला था ।1931 में जापानी सेना का मेजर चीन के डाकुओं द्वारा मारा गया। कुछ समय बाद चीनी सैनिकों का मुकडन के पास रेल्वे लाइन को तोड़ने का असफल प्रयास किया गया जो 'मुकड्न घटना' के नाम से जानी जाती है । इस घटना ने जापानी सैनिकों को मौका दिया उन्होंने कम समय में ही मुकडन, चांगचूम, किरीन के शहरों पर कब्जा कर लिया । नव. 1931 तक उत्तरी भी उनके कब्जे में आ गया । शानहाई कारा पर अधिकार करने के बाद उनका दक्षिणी मंचूरिया पर पूर्णत: अधिकार हो गया ।

राष्ट्र संघ ने हस्तक्षेप कर के यह आदेश दिया कि जापानी फ़ौजें रेल्वे जोन से हटा ली जाये। लेकिन जापान ने स्पष्ट रूप से न केवल राष्ट्र संघ के आदेश को अस्वीकार कर दिया वरन् नो महा शक्तियों की संधि, केलोग-ब्रिया समझौता (1928) के भी अस्वीकार कर दिया अमेरिका के सुझाव पर लिटन कमीशन ने वहां का दौरा करके अपनी रिपोर्ट की लेकिन उसने जापान को आक्रमणकारी भी घोषित नही किया इसने एक स्वायतशासी मंचूरिया राष्ट्र की चीन की सम्प्रभुता के तहत बनाने की सिफारिश की लेकिन उसका नियंत्रण जापान के पास रहेगा। जब राष्ट्रसंघ ने आयोग की सिफारिश के मुताबिक प्रस्ताव पास करना चाहा तो जापान ने बुरी तरह से उसे निरस्त कर दिया और अपने को राष्ट्रसंघ की सदस्यता से अलग कर लिया।

इटली- मुसोलिनी की गिद्ध की दृष्टि अबीसीनिया पर थी उसे हड़पने का वह कोई उपयुक्त अवसर ढूंढ रहा था । जो उसे 'वलवल' घटना से मिल गया । इस जगह पर करीब 30 इटली निवासी अबीसीनिया द्वारा मार दिये गये । इटली ने इसका हर्जाना मांगा । अबीसीनिया ने 1928 की दोनों देशों के मध्य संधि के तहत इस विवाद को सुलझाना चाहा लेकिन मुसोलिनी ने उसे निरस्त कर दिया अबीसीनिया ने राष्ट्रसंघ से गुहार की लेकिन वहां भी वह असफल रहा । ब्रिटेन ने भी विवाद को सुलझाने का प्रयत्न किया । अक्टू, 1935 में इटली ने अबीसीनिया पर हमला कर दिया । मई 1936 में अबीसीनिया की राजधानी पर इटली का आधिपत्य हो गया और अबीसीनिया इटली का अभिन्न अंग बन गया ।।

स्पेनिश गृह युद्ध, 1936-39- स्पेन में गृह युद्ध छिड़ने पर हिटलर मुसोलिनी ने अपने हथियारों की परख एवं मिश्र राष्ट्रों के उनके प्रति रूख का अंदाजा लगाने के लिए उन्होंने वहां अपने जन और धन से फौजी जनरल फ्रेंन्कों को सहायता दी । उन्होंने यह आभास कराया कि वे कम्यूनिज़्म के विरूद्ध लड़ रहे है । पश्चिमी यूरोप की शक्तियों ने इसे स्पेन का आपसी मामला मानकर आंख बंद कर ली । रूस चाहता था कि पश्चिमी शक्तियां स्पेन सरकार की मदद करे । इससे दोनो तानाशाहों को अपनी योजनाओं को मूर्त रूप देने मे सहायता मिली । दोनों एक दूसरे के घनिष्ठ सम्पर्क में आये, मैत्री कायम हुई उनका मकसद एक था इससे उन्हें धूरी बनाने में मदद मिली । भविष्य में साम्यवाद के खिलाफ नहीं बल्कि मित्र राष्ट्रों के खिलाफ इसे कार्यान्वित किया जायेगा ।

जर्मनी

वर्साय की संधि जर्मनी पर थोपी गई थी और उसे पूर्णत: नष्ट करने की भी कोशिश की गई थी । जर्मन जाति, राष्ट्र को अपमानित किया गया था । हिटलर ने इस स्थिति का लाभ उठाया । उसने न केवल थोपी हुई संधि का उल्लंघन किया बल्कि उसने राष्ट्र संघ के अस्तित्व को भी चुनौती दी ।

आस्ट्रिया में सत्ता परिवर्तन का प्रयास 1934- वर्साय संधि द्वारा दोनो देशों की मित्रता पर सख्त पाबंदी थी । इसलिए मित्र राष्ट्र हर ऐसे प्रयास की आलोचना एवं विरोध करते थे जो उनके एक होने में सहायक था । डोलफुस आस्ट्रिया का चांसलर बना उसने 1933 में नाजीदल पर भारी पाबंदियां लगा दी और उसे भंग कर दिया । 1934 में नाजियों ने वियना में सत्ता परिवर्तन की कोशिश की । रेडियो स्टेशन पर कब्जा किया, चांसलर डोलफुस की हत्या की लेकिन वे सरकार पर कब्जा करने में असफल रहें ।

सारघाटी पर कब्जा, 1935- वर्साय संधि की शर्तों के अनुसार 1935 में सार घाटी में जनमत द्वारा यह फैसला करना था कि वे किससे मिलना चाहते है । जनमत संग्रह में 90% मत जर्मन विलय के पक्ष में गया और वह जर्मनी का अंग बन गया ।

निशस्त्रीकरण का उल्लंघन- मार्च, 1935 में हिटलर ने वर्साय संधि के निशस्त्रीकरण के अध्याय को समाप्त करके यूरोप को चौंका दिया । उसने जर्मनी में पुन: सैनिक भर्ती कर उसकी संख्या 5,50,000 तक पहुंचा कर सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी ।

राइन प्रदेश पर कब्जा, 1936- वर्साय संधि के अनुसार राइन क्षेत्र सैन्य रहित घोषित किया और जर्मनी का वहां किलेबंदी पर पूर्ण पाबन्दी लगा दी थी जर्मन सरकार ने भी इसे माना था । लेकिन फर. 1936 में हिटलर ने संधि के इस प्रावधान का अन्त करके मई, 1936 में वहां अपनी सेनाएं तैनात कर दी ।

आस्ट्रिया का हरण, मार्च, 1938- हिटलर ने आस्ट्रिया के चांसलर को आदेश दिया कि डॉ.सेस के पक्ष में अपना पदत्याग दे । ऐसा न होने पर 12 मार्च, 1938 में वियना में अपनी फौजें भेज दी । बिना किसी विरोध के उसने आस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया । हिटलर का यह कृत्य न केवल वर्साय संधि के था बल्कि 1936 के आस्ट्रिया-जर्मन समझौते के भी विरूद्ध था ।

चेकोस्लोवाकिया संकट, 1938- वर्साय संधि द्वारा चेकोस्लोवाकिया को जर्मन आबादी क्षेत्र सूडेटेनलैण्ड मिला था । हिटलर के निर्देशानुसार वहां नाजी पार्टी प्रमुख ने चेक सरकार के विरूद्ध सशस्त्र विद्रोह कर दिया । हिटलर को मौका मिला और उसने अपने सैनिकों को आगे बढ़ने का आदेश दिया । मित्र राष्ट्रों ने इस विवाद को सुलझा दिया । यह तय हुआ कि जर्मन आबाद क्षेत्र खाली कर जर्मनी को दे दिया जायेगा । इस नाजुक समय में पोलैण्ड हंगरी ने भी अपने खोये हुए प्रांत वापिस लेने का दावा किया जो उन्होनें प्राप्त कर लिये । लेकिन इस समझौते से असहमत होते हुए स्लोवाकिया व रूथेनिया ने अपने को चेक राज्य से अलग कर लिया । दूसरी तरफ मार्च, 1938 मे हिटलर ने नाजी फौज को चेकोस्लोवाकिया हस्तगत करने का आदेश दिया । ऐसे नाजुक समय में जर्मनी बिल्कुल अकेला हो गया ।

(ब) शान्ति का विनाश- 1939

इटली- अल्बानिया को आर्थिक एवं सैनिक क्षेत्र में विकसित करने का श्रेय इटली को जाता है। लेकिन वहां के शासक जोग प्रथम ने खतरे को भांपते हुए अल्बानिया फ़ौज में इटली अधिकारियों की संख्या कम कर दी और इटली निवासियों का वहां आगमन बन्द कर दिया। इससे खफा होकर इटली ने अप्रैल, 1939 में अल्बानिया पर हमला कर दिया । अल्बानिया पर कब्जा करके विक्टर इम्मानुएल III को वहां का शासक घोषित कर दिया। जो स्पष्ट रूप से वर्साय संधि और ब्रिटिश इटली समझौते (1938) का उल्लंघन था ।

जर्मनी- आपसी अविश्वास एवं भय के बावजूद अब तक शान्ति एवं सुरक्षा संधियों, समझौतों पर आधारित थी लेकिन हिटलर के उदय ने विश्व के कूटनीतिज्ञों की आशाओं पर पानी फेर दिया । उसका असली मकसद न केवल संधियों, समझौतों का उल्लंघन, विनाश करना था बल्कि दुनियां को द्वितिय विश्व युद्ध का तोहफा भी देना था । 1 सित. 1939 को पोलैण्ड पर आक्रमण स्पष्ट रूप से पोलैण्ड-जर्मन अनाक्रमण समझौते और आंग्ल-जर्मन नौसेना समझौते का उल्लंघन था । फ्रांस, इंग्लैण्ड भरपूर कोशिश के बावजूद भी हिटलर को पोलैण्ड से नहीं निकाल सके । फलत: दोनों ने 3 सित. 1939 को जर्मनी पर आक्रमण कर दिया । जब जर्मनी ने अपना ध्यान नार्वे, डेनमार्क पर केन्द्रित कर उनको अप्रैल, 1940 में अपने अधिकार में ले लिया । मई, 1940 में जर्मनी ने लक्ज़मवर्ग, बेल्जियम, नीदरलैण्ड पर कब्जा कर लिया । उसका अगला निशाना फ्रांस था जिसको उसने सोम के युद्ध में पराजित किया । 10 जून, 1940 को इटली ने भी युद्ध में प्रवेश करके फ्रांस के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया । 21 जून, 1940 को फ्रांस ने जर्मनी के साथ युद्ध विराम संधि कर ली ।

रूस- जब जर्मनी पोलैण्ड में व्यस्त था रूस ने वहां स्थित रूसी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का बहाना करके पोलैण्ड पर हमला कर दिया । उसका मकसद पोलैण्ड का कुछ हिस्सा हथियाना और उसकी राजनीतिक आजादी को खत्म करना था । परिणामस्वरूप दो महान दैत्यों के बीच पोलैण्ड का विभाजन हो गया । रूस ने अपना ध्यान फिनलैण्ड की तरफ लगाया और स्केण्डिनेवियन समझौते का उल्लंघन करते हुए फिनलैण्ड पर नव., 1939 में कब्जा कर लिया । जून, 1940 तक उसने लिथुआनिया, एस्टोनिया, लेटविया पर कब्जा कर लिया ।

23.8 निष्कर्ष-

निष्कर्ष के तोर पर हम किसी एक शक्ति पर द्वितीय विश्व युद्ध को छेड़ने की जिम्मेदारी नहीं डाल सकते । निस्संदेह जर्मनी की भूमिका एक आक्रामक के रूप में थी लेकिन अन्य शक्तियां भी इस दोष से मुक्त नहीं थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साय संधि द्वारा जर्मनी को अपमानित किया गया उस पर घृणित, अनुचित संधि थोपी । हालांकि फ्रांस विजेता था लेकिन उसकी स्थिति जर्मनी से अच्छी नहीं थी । जर्मन आक्रमण के डर से उसे स्थाई सुरक्षा के लिए बाध्य किया फलत: वह एक लम्बी श्रृंखला वाले समझौतों, संधियों, में उलझ गया । ब्रिटेन की विदेश नीति 1920 से 1938 तक मुख्यत: सन्तुष्टीकरण की नीति थी । फ्रांस से कई महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में मतभेद के कारण ही हिटलर ने अपनी योजना को कार्यान्वित किया था । यदि ब्रिटेन, फ्रांस हिटलर को आस्ट्रिया चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा

करते समय ठीक ढंग से रोकते तो संभवत: द्वितीय विश्व युद्ध न होता । 1936 में ब्रिटेन फ्रांस की संयुक्त सेना जर्मनी की सेना से कही बेहतर थी । इटली जापान भी युद्ध के लिए कम उत्तरदायी नहीं थे । असहाय और कमजोर राष्ट्रों पर कब्जा करके उन्होंने राष्ट्र संघ संविदा का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया । साम्यवादी सरकार के कारण रूस का पश्चिमी ताकतों द्वारा बहिष्कार किया जाता रहा था । रूस ने स्पेन के गृह युद्ध में फासीवाद एवं नाजीवाद का विरोध करके पश्चिमी देशों की सहायता एवं समर्थन प्राप्त करने की कोशिश की थी लेकिन उसकी आवाज को उसके साम्यवादी मार्ग के कारण दबा दिया गया । हिटलर मुसोलिनी ने यह कहकर कि वे स्पेन में साम्यवाद वाद के विरोध में लड़ रहे है अपना उल्लू सीधा किया ।

प्रथम विश्व युद्ध के बाद यू. एस. ए. ने यूरोपीय राजनीति से अपने को अलग रखा । उसने तभी दखल दिया जब उसे अपने निजि स्वार्थ पर खतरा देखा हो ।

प्रथम विश्व युद्ध के बाद राजनीतिज्ञों द्वारा भविष्य में युद्ध रोकने हेतु जिस संस्था (राष्ट्र संघ) की स्थापना की थी वह भी अपने मकसद में पूर्णत: असफल रहा । वह कुछ महान शक्तियों के हाथों कठपुतली बनकर रह गया । महान शक्तियों ने उसे अपने मकसद में कामयाब होने में भी मदद नही की ।

इस तरह से हमने यह देखा कि कूटनीतिज्ञों ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद भविष्य में शान्ति व्यवस्था स्थापित करने के विषय में संधियों, समझौतों के विषय में सोचा महसूस किया था लेकिन वे असफल रहे और लोगों ने अगले 20 वर्षों बाद ही द्वितीय विश्व युद्ध की भयंकर विनाश लीला देखी।

23.9 संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. इण्टर नेशनल रिलेशन्स बिटविन टू वर्ल्ड वार-कार
2. ए शोर्ट हिस्ट्री आफ इण्टरनेशनल अफैयर्स-हार्डी
3. इण्टर नेशनल रिलेशन्स-पार्मर-पार्किन्स
4. समकालीन यूरोप-देवेन्द्रसिंह
5. फ्रोम पेरिस टू लोकार्नो-एलेक्जैण्डर, एफ

इकाई-24

अफ्रीका संकट-अबीसीनिया का मुद्दा

इकाई की रूपरेखा

24.0 उद्देश्य

24.1 प्रस्तावना

24.2 अबीसीनिया का मुद्दा

24.3 इटली की विदेश नीति

24.3.1 इटली में मुसोलिनी का उदय

24.3.2 इटली की सफलताऐं

24.4 अबीसीनिया राष्ट्र संघ का सदस्य बना-इटली के साथ संधियां

24.5 अबीसीनिया पर आक्रमण-तात्कालिक कारण

24.6 समस्या का समाधान-असफल प्रयत्न

24.7 अबीसीनिया पर इटली आक्रमण की प्रमुख घटनाएं-

24.8 राष्ट्रसंघ की असमर्थता

24.9 अबीसीनिया युद्ध के परिणाम

24.10 द्वितीय विश्व युद्ध एवं अबीसीनिया का प्रश्न

24.11 स्पेन का युद्ध और इटली का रूख

24.12 हिटलर की यूरोप में दादा गिरी

24.13 द्वितीय विश्व युद्ध की प्रगति

24.14 शान्ति स्थापना के प्रयत्न-इटली के साथ संधि

24.15 अभ्यासार्थ प्रश्न

24.16 संदर्भ ग्रन्थ सूची

24.0 उद्देश्य-

आज का युग अन्तर्राष्ट्रीयता का युग है अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं का महत्व इतना है जितना स्थानीय तथा पारिवारिक घटनाओं का । विश्व के किसी भी भू-भाग पर घटित किसी भी घटना का प्रभाव अन्य देशों पर पड़ना स्वाभाविक है । इस बीसवीं सदी ने राजनीति में अनेक नये आयाम खोले हैं औपनिवेशिक राज्य शक्तियों में बढ़ती व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, अधीन राष्ट्रों में स्वाधीनता की ललक, विश्व युद्ध की विभीषकाओं का भीषण स्वरूप, शांति, सहयोग और मैत्री के लिये प्रयत्न, तृतीय विश्व का उदय, विकासशील राष्ट्रों की आशातीत प्रगति से विकसित राष्ट्रों को चिन्ता, निशस्त्रीकरण की और बढ़ते कदम, गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के संगठन से शांति की नई दिशा में प्रगति आदि कई प्रश्न उलझते-सुलझे दृष्टिगोचर हो रहे है । इतिहास के परिपेक्ष में इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानना आज के व्यक्ति के लिये अत्यावश्यक है । इसी संदर्भ में अफ्रीका में शक्ति संघर्ष का अध्ययन किया जना चाहिये और उसी श्रृंखला की एक कड़ी है

अबीसीनिया का मामला जिसका विस्तृत अध्ययन आज की विभिन्न समस्याओं को समझने में सहायक होगा ।

24.1 प्रस्तावना-

उपनिवेशों की स्थापना का विचार वैसे तो बहुत पुराना है किन्तु यूरोपीय देशों के द्वारा उपनिवेश बसाने का विचार 15वी सदी से ही माना जायेगा जब स्पेन निवासी कोलम्बस ने राजा की सहायता से अमेरिका की भूमि पर पैर रखा और पुर्तगाल वासियों ने वास्कोडिगामा के नेतृत्व में अफ्रीका का चक्कर लगाकर भारत के तट पर कालीकट की भूमि को स्पर्श किया । फिर तो इंग्लैंड, फ्रांस, हालैण्ड जैसी शक्तियों ने उपनिवेशवाद का दामन मजबूती से पकड़ लिया । इसके बाद भी अफ्रीका पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया केवल वे लोग अफ्रीका के किनारे पर स्थित आशान्तरीप, गायना और अल्जीरिया से निग्रो गुलामों को ले जाकर दक्षिणी व उत्तरी अमरीका के धनी व्यापारियों को खेती के लिये उपयोगी श्रमिकों के रूप में बेचने का धंधा करते थे । अफ्रीका के अन्दर क्या है अभी तक कोई नहीं जानता था । 1884-85 ई. में बर्लिन में एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया और अफ्रीका के प्रश्न को खूब अच्छी तरह सोचा गया और बेल्जियम के राजा लियोपोल्ड II को अफ्रीका में कांगों की घाटी का प्रदेश का उत्तरदायित्व सौंप दिया गया । उसने कांगों की धरती की खोज के लिये स्टैनले नामक एक खोजकर्ता को कांगो नदी के किनारे-किनारे जाने के लिये भेजा । उसने अनेक कठिनाइयों को सहन करते हुये कार्य में सफलता प्राप्त की और पता लगाया कि अफ्रीका का यह भाग हाथी दांत, ताड़ का तेल और रबर के लिये खजाना सिद्ध होगा। इस खोज के लिये इस प्रदेश में लियोपोल्ड II का व्यक्तिगत अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिकार स्वीकार किया गया और यह निश्चय किया गया कि अब अफ्रीका का बंटवारा मैत्रीपूर्ण तरीके से कर लिया जायेगा । 1890 में आंग्ल जर्मन और आंग्लफ्रैन्च संधिया की गयी । आंग्ल-इटेलियन, आंग्ल-पुर्तगाल संधिया भी हुयी । अधिकांश हिस्सा फ्रांस और इंग्लैंड के हाथ लगा । जर्मनी ने भी इससे कुछ हिस्सा ले लिया और टोगोलेण्ड और केमेरून के प्रदेश हथिया लिये । इंग्लैण्ड ने नील नदी पर मिश्र और सूडान और फ्रांस ने अल्जीरिया पर अधिकार जमाया । इंग्लैंड ने 1899-1902 ई. में डंच वोअर लोगों से दक्षिणी अफ्रीका जीत लिया । 1881 में फ्रांस ने ट्यूनिशीया को ले लिया । इन सबको देखकर इटली भी कैसे चुप रहता उसने भी 1895 ई. में अबीसिनिया पर आक्रमण कर दिया । किन्तु अबीसिनिया ने इटली को हरा दिया । सोमाली लैण्ड और इरीटिया इटली के उपनिवेश बन गये थे । फ्रांस ने 1912 में मोरक्को ले लिया । इस तरह अफ्रीका का बंटवारा कर लिया गया । यद्यपि समझौते के द्वारा शांति पूर्वक सब किया गया । फिर भी आपसी प्रतिस्पर्धा की समाप्ति असंभव थी ।

24.2 अबीसिनिया का मामला

अफ्रीका महाद्वीप में अबीसीनिया का महत्व भी कुछ कम न था । पूर्वी अफ्रीका में लाल सागर के तट से थोड़ा हटकर यह 3-5 लाख वर्ग मील का प्रदेश खनिज पदार्थों से परिपूर्ण था । यहां उद्योग धंधों के लिये कच्चा माल भी बहुतायत से प्राप्त होता था । यहां की आबादी लगभग एक करोड़ की थी जो हब्सी जाति के थे । अधिकांश में मुस्लिम थे, कुछ ईसाई भी बन

गये थे । यहां के सम्राट हैलसिलासी सीधे सादे, किन्तु वीर, साहसी पुरुष थे और लोकप्रिय शासक होने के नाते जनता उन्हें खूब चाहती थी। औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा होने के कारण यूरोपीय देशों के मुकाबले अविकसित राज्य ही कहला सकता था और एक स्वतन्त्र किन्तु छोटा एवं कमजोर राष्ट्र किसी भी क्षण शक्तिशाली राष्ट्रों को ललचा सकता था ।

24.3 इटली की विदेश नीति

व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में ब्रिटेन और फ्रांस, हालैण्ड, बेल्जियम, स्पेन और पुर्तगाल के साथ-साथ जर्मनी और इटली ने भी भाग लेने का निर्णय लिया और अफ्रीका के विशाल महाद्वीप के बंटवारे में अपना हिस्सा लेने का महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया । इटली के सम्राट अमेन्युअल में अबीसीनिया को आरक्षित समझकर 1895 - 96 ई. में आक्रमण कर दिया था और अडोबा के स्थान पर घमासान युद्ध के बाद अपनी असफल सेनाओं को वापिस बुला लिया था । यह प्रश्न यही पर समाप्त नही हो गया अबीसीनिया अब शंकित हृदय से अन्य यूरोपीय राष्ट्रों की और सहायतार्थ देखने लगा । अथक प्रयत्नों के फलस्वरूप अबीसीनिया ने 1906 में इटली और ब्रिटेन व फ्रांस को संयुक्त रूप से संधि के लिये राजी कर लिया और अपने लिये स्वतंत्रता एवं अखंडता का वचन ले लिया । अब अबीसीनिया अपने को सुरक्षित अनुभव करने लगा ।

24.3.1 इटली में मुसोलिनी का उदय

सन् 1921 ई. में इटली में मुसोलिनी के नेतृत्व में फासिस्टवादियों ने समाजवादियों पर विजय प्राप्त करली । फासिस्टवाद केवल राजनैतिक दर्शन मात्र ही नहीं था अपितु प्रयोगात्मक दर्शन था । उनका उद्देश्य इटली को शक्तिशाली और गौरवपूर्ण बनाना था । मुसोलिनी ने सारी राजनैतिक, आर्थिक एवं सैनिक सत्ता अपने हाथ में केन्द्रित कर ली थी । वह व्यक्तिगत स्वतंन्त्रता एवं लोकतंत्र का विरोधी था और पूर्ण रूप से अधिनायक और तानाशाह बन गया था ।उसने इटली की विदेशी नीति को तीन तत्वों पर आधारित किया ।

1. इटली की भाषा बोलने वाले प्रदेशों को विदेशी शासन से मुक्ति दिलाना ।
2. अफ्रीका में विशाल इटेलियन साम्राज्य की स्थापना करना ।
3. भूमध्य सागर को रौमन झील बना देना ।

इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये उसने साम्यवाद के विरूद्ध विष वमन करना आरंभ किया । इंग्लैण्ड और फ्रांस पूंजीवादी राष्ट्र होने के कारण साम्यवाद के विरोधी थे अत: इटली की नीति का समर्थन कर उसे संतुष्ट करने का प्रयत्न करने लगे । नाजी जर्मनी भी इटली की विदेश नीति से संतुष्ट उसे अपनी और आकर्षित करने के लिये प्रयत्नशील था । इटली ने इस परिस्थिति से लाभ उठाया ।

24.3.2 इटली की सफलताएं

24 जुलाई 1923 ई. को इंग्लैण्ड, फ्रांस और इटली मित्र राष्ट्रों ने सेव्रे के स्थान पर तुर्की के साथ एक संधि की, जिसे लोसाने की संधि कहते है इस संधि से इटली को डोडकनीज और रोडसके द्वीप प्राप्त हो गये । यहां इटली ने अच्छी किलेबंदी की और एक मजबूत सैनिक

अड्डा बना लिया । 31 अगस्त 1923 ई. को कोर्फ्यू द्वीप, पर अपना अधिकार कर लिया और यूनान को अंगूठा दिखा दिया । फिर राष्ट्र संघ के प्रयत्नों से क्षतिपूर्ति की भारी राशि लेकर ही कार्फ्यू द्वीप खाली किया । 27 नवम्बर 1979 ई. को अल्बानिया के साथ अथ्राना की संधि की जिसके अनुसार अब अल्बानिया इटली के किमी भी दुश्मन के साथ समझौता नही करेगा । अगले ही वर्ष 1927 में इटली ने अल्बानिया को 20 वर्षीय रक्षात्मक संधि के लिये तैयार कर लिया । 1928 ई. में मोरक्को के टेजियर अन्तर्राष्ट्रीय बन्दरगाह के संबंध में इटली को वहां के प्रशासन में कुछ अधिकार मिल गये । 1930 ई. में मुसोलिनी ने लंदन में हुये सम्मेलन में भाग लेकर भूमध्य सागर में फ्रांस के बराबर नौसेना रखने के लिये इटली ने अपने आपको अधिकृत कर लिया । 7 जनवरी 1935 को इटली ने फ्रांस के साथ एक संधि की इसके अनुसार सुमाली लैण्ड, इरीट्रिया और लीबिया के पास का कुछ क्षेत्र इटली को दे दिया गया, साथ ही यह आश्वासन भी दिया कि ट्यूनिस में रहने वाले इटालियनों के साथ अच्छा व्यवहार किया जायेगा और उन्हें वहां की नागरिकता भी दे दी जायेगी । इस अवसर पर फ्रांस का विदेशी मैत्री लावेल रोम आया और मुसोलिनी से व्यक्तिगत बातचीत में यह स्पष्ट किया कि अबीसीनिया पर इटली के अधिकार कर लेने की योजना के बारे में फ्रांस का उदासीन रूख रहेगा । इस सम्मति में इंग्लैण्ड के विदेश मंत्री होर की सहमति थी । इधर अबीसीनिया को भी यह आश्वासन दिया कि सोमाली लैंड में समुद्री तट तक का गलियारा उसे दे दिया जायेगा । इस प्रकार तुष्टीकरण की ढीली नीति ने इटली का साहस और बढ़ा दिया था ।

24.4 अबीसीनिया राष्ट्र संघ का सदस्य बना-इटली के साथ संधियां-

इसी बीच 1922 ई. में अबीसीनिया राष्ट्र संघ का भी सदस्य बन गया था । 1928 ई. में इटली ने अबीसीनिया के साथ मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर कर यह कसम खाई थी कि वह अबीसीनिया का साथ देगा । दोनों ही राष्ट्रों ने अन्तर्राष्ट्रीय स्थायी न्यायालय की ऐच्छिक धारा पर भी हस्ताक्षर किये थे । जिसके अन्तर्गत आपसी कानूनी झगड़ों में न्यायालय का अनिवार्य हस्तक्षेप स्वीकार किया था । दोनों ही राष्ट्रों ने 1928 ई. में पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किये थे दोनों ने ही 1929 ई. में अन्तर्राष्ट्रीय विशिष्ट झगड़ों में सामान्य एक्ट पर हस्ताक्षर किये थे । इतना सब होते हुये भी इटली अबीसीनिया विवाद ने इतना उग्र रूप धारण कर लिया था कि राष्ट्र संघ भी इसे हल करने में असमर्थ था । 1929- 30 से लेकर 1933 तक चलने वाली आर्थिक मंदी की मार ने इटली वासियों को व्यथित कर दिया था बेकारों की संख्या बढ़ रही थी । मुसोलिनी की उखाड़ पछाड़ की विदेश नीति ही उन्हें संतोष दे सकती थी । इंग्लैण्ड और फ्रांस की तुष्टिकरण की नीति घातक सिद्ध हुई फिर इटेलियन साम्राज्य का विस्तार तो होना ही था ।

24.5 अबीसीनिया पर आक्रमण का तात्कालिक कारण

इटली की बढ़ती हुयी आबादी अपने नये साम्राज्य में बसने के लिये ऊतावले में थी । सौमालीलैड और इरीट्रिया के इटेलियन उपनिवेशों में इटली वासी भारी संख्या में पहुंच रहे थे और अबीसीनिया के प्रदेश में भी घुसने के लिये प्रयत्नशील थे । इसी प्रकार के प्रयत्न में 5 दिस. 1934 को एक घटना अप्रत्याशित रूप से घट गयी । सोमालीलैड और अबीसीनिया की

सीमा अनिश्चित सी थी । वही बलबल नामक स्थान पर सोमालीलैड के इटालियन सैनिकों के साथ अबीसीनिया के सीमा रक्षक सैनिकों का झगड़ा हो गया इसमें इटली के तीस सैनिक मारे गये और इतनी ही संख्या या इससे अधिक अबीसीनिया के मृत सैनिकों की थी लेकिन मुसोलिनी को तो बहाना चाहिये था । अबीसीनिया को तुरन्त क्षमायाचना के लिये और क्षति पूर्ति की भारी रकम देने के लिये मांग करते हुये कड़ा पत्र लिखा । अबीसीनिया ने जनवरी 1935 में राष्ट्र संघ परिषद के सामने अपील की व इटली के प्रतिनिधि के अनुबन्ध ने 11 वे अनुच्छेद के अधीन बलबल की घटना को विचार के लिये अनावश्यक बताया क्योंकि इस घटना से दोनों देशों के बीच शान्ति संबंधों पर किसी भी प्रकार का प्रभाव पड़ने की आशा नहीं थी । इसके साथ ही उसने यह भी इच्छा प्रकट की कि 1928 ई. की संधि के अनुसार वह समझौते और पंच निर्णय द्वारा इस समस्या का समाधान निकालने के लिये तैयार है और राष्ट्र संघ परिषद ने इस प्रश्न को अन्य किसी भी समय विचार के लिये स्थगित कर दिया ।

24.6 समस्या का समाधान असफल प्रयत्न

अगले तीन माह तक इटालियन सरकार ने पंचों की नियुक्ति में विलम्ब किया । इसी अवधि में सोमालीलैण्ड और इरीट्रिया में इटली की सेनाओं में आशातीत वृद्धि होती रही, इसी बीच जर्मनी की निशस्त्रीकरण की अस्वीकृति की कार्यवाही पर विचार करने के लिये फ्रांस की प्रार्थना पर स्ट्रेसा में राष्ट्र संघ की और से ब्रिटिश, फ्रांस और इटली के राजनीतिज्ञों का सम्मेलन हुआ किन्तु केवल तीन सप्ताह पहले की बलबल घटना पर किसी भी प्रतिनिधि ने संकेत तक नहीं किया । इटली ने इसे अपने लिए अच्छा समझा कि फ्रांस और इंग्लैण्ड दोनों ही अबीसीनिया में उसकी पहल को उपेक्षा की दृष्टि से देखते रहते है ।

राष्ट्र संघ में पुन: अपील की गयी तो सचमुच ही पंचों की नियुक्ति की गयी । तीन सितंबर को पंचों ने फैसला किया कि वलवल की घटना के लिये दोनों ही पक्ष निर्दिष्ट है किसी भी एक सरकार की दोषी नहीं ठहराया जा सकता और समस्या ज्यों की त्यों रही । इस फैसले को इटली एवं अबीसीनिया मानने को तैयार नहीं थे इटली के आक्रमण का खतरा अबीसीनिया पर बढ़ता ही जा रहा था । अत: जून, 1935 ई. को इंग्लैण्ड के विदेश मंत्री ईडन रोम गये और मुसोलिनी से बातचीत की । उन्होंने यह प्रस्ताव रखा कि ग्रेट ब्रिटेन अबीसीनिया को ब्रिटिश सोमाली लैण्ड में स्थित जीलाबन्दरगाह दे देगा और उसके बदले में अबीसीनिया ओगडन का अपना दक्षिणी प्रांत इटली को दे दे । मुसोलिनी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया । कारण स्पष्ट था कि ओगडन का प्रदेश इटली के लिये एक दम अपर्याप्त था और अबीसीनिया को समुद्र तक पहुंचने का मार्ग मिल जाना भी उसे पसंद नहीं था ।

अगस्त माह में फिर ब्रिटेन, फ्रांस और इटली पेरिस में एकत्रित हुए । यहां भी यह प्रस्ताव रखा गया कि अबीसीनिया के आर्थिक विकास और प्रशासनिक पुनर्गठन में सहायता का अनुरोध राष्ट्र संघ से करने के लिये अबीसीनिया से कहा जाये और इस प्रकार की सहायता पहुंचाते समय राष्ट्र संघ इटली के विशेष हितों का ध्यान रखे । इस प्रस्ताव को भी इटली ने अस्वीकार कर दिया । इसलिये जब 4 सितंबर बलबल के बारे में पंचों द्वारा अपना प्रतिवेदन प्रकाशित किया गया तो राष्ट्र संघ परिषद् ने 16 मार्च को अबीसीनिया की अपील पर विचार करना आरम्भ किया उस समय ब्रिटिश विदेश मंत्री समुअलहोर ने जोरदार घोषणा की कि ब्रिटिश

सरकार अनुबंध पत्र के अधीन अपने कर्तव्यों को क्रियान्वित करने का विचार रखती है और परिषद् की एक समिति ने अबीसीनिया की सहायता योजना तथा इटली तथा अबीसीनिया के बीच क्षेत्रिय पुन: समायोजन संबंधी योजनाएं तैयार की । जिन्हें परिषद् ने बाद में स्वीकार कर लिया किन्तु 2 अक्तूबर को इटली ने अबीसीनिया पर आक्रमण कर ही दिया । अक्तूबर 7 को परिषद की एक समिति ने एक प्रतिवेदन स्वीकार किया जिसमें यह निर्णय किया गया था कि इटली ने अनुबन्ध पत्र के 12 वे अनुच्छेद के अधीन अपने अनुबन्धों की अवहेलना करते हुये युद्ध का आश्रय लिया है । दूसरे दिन परिषद के सभी सदस्यों ने इस प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिया । केवल इटली ने इसका विरोध किया । दो दिनों बाद राष्ट्र संघ सभा ने अनुच्छेद 16 के तहत सदस्यों को अपने कर्तव्यों का पुन: स्मरण कराया । और यह सिफारिश की उनके द्वारा उठाये जाने वाले कदमों में तालमेल बिठाने के लिए एक समिति गठित करे । दो दिन एक तालमेल समिति गठित की गई । 19 अक्टूबर को तालमेल समिति ने राष्ट्र संघ के सभी सदस्यों से अनुरोध किया कि वे (1) अपने-अपने देशों से सभी प्रकार के ऋण या साख इटली को देना बन्द कर दे (2) हर प्रकार की युद्ध सामग्री और युद्ध प्रयोजनों के लिये विशेष रूप से आवश्यक कुछ वस्तुओं के इटली को निर्यात किये जाने पर रोक लगा दे (3) इटली से आयातों पर भी रोक लगा दे । राष्ट्र संघ के सभी सदस्यों ने इन कदमों का अनुमोदन किया और 18 नवम्बर 1935 को यह सभी अनुशास्तियां लागू हो गई । मैक्सवैल का मत है कि इस समूचे प्रसंग में हालैण्ड की भूमिका कुछ संदिग्ध ही रही । अबीसीनिया को किसी प्रकार की सहायता नही दी गयी और इटली पर सभी प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची में तेल को जानबूझकर सम्मिलित नहीं किया गया । फलस्वरूप इटली को अमरीका से बराबर तेल मिलता रहा । हिटलर ने इस अवसर को मुसोलिनी की मित्रता प्राप्त करने का अच्छा मौका जान कर इटली को सभी प्रकार का सामान भिजवाने की व्यवस्था कर दी ।

ब्रिटेन और फ्रांस भी इटली को नाराज करना नहीं चाहते थे । 7 दिस. 1935 को ब्रिटेन के विदेश मंत्री सेमुअल होर पेरिस गये और फ्रांस के विदेश मंत्री लावेल के साथ एक 'गुप्त समझौता' किया जिसमें कहा गया कि अबीसीनिया के मामले पर इटली से युद्ध मोल लेना उचित नहीं है । अत: अबीसीनिया से कहा जावे कि वह इरीट्रिया और सेमालीलैण्ड के पास का कुछ क्षेत्र इटली को दे दे और दक्षिणी अबीसीनिया में इटली को आर्थिक लाभ की सुविधा दे तथा इटली निवासियों को अबीसीनिया में बसने की अनुमति दे । इसके बदले में इटली, अबीसीनिया को समुद्री तट तक पहुंचने के लिये लाल सागर पर एक बन्दरगाह दे दे । होर-लावेल समझौता राष्ट्र संघ के आदर्शो के विपरीत था जब यह प्रकाशित हुआ तो दोनों ही विदेश मंत्रियों को जनता का रोष भाजन बनना पड़ा और अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा इन सब कार्यवाहियों में तीन माह व्यतीत हो गये ।

24.7 अबीसीनिया पर इटली के आक्रमण की प्रमुख घटनाएं-

2 अक्तूबर, 1935 को इटली की सेनाओं ने अबीसीनिया पर आक्रमण कर दिया । तीन दिन तक घमासान लड़ाई हुयी और इटली ने अडोबा तथा अंडी प्रान्त पर अधिकार कर लिया । इटली की सेनाऐं आगे बढ़ती गई । बर्बरतापूर्ण नृशंसक रोमांचकारी घटनाएं सुनने में

आने लगी । अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध संबंधी सभी नियमों को ताक पर रख दिया । विमानों से विषैली गैस गिरायी गयी । ऐसी-ऐसी गालियों का प्रयोग किया गया जिनका प्रयोग युद्ध के नियमों के अनुसार निषिद्ध था । मार्च 1936 तक तो इटली अबीसीनिया में सफलता स्पष्ट दिखायी नहीं दी किन्तु अप्रैल की समाप्ति तक ईटालियन सेनाएं अबीसीनिया की राजधानी के पास आ गयी थी । अब सम्राट हैल सिलासी का धैर्य समाप्त हो गया था । 7 मई को सम्राट राजधानी छोड़ कर भाग गया और इटली की सेनाओं का राजधानी आदीस अबाबा पर अधिकार हो गया । वहां इटली का ध्वज लहरा दिया गया ।

6 मई, 1936 को अबीसीनिया को इटली के साम्राज्य में मिला लिया गया । मुसोलिनी अबीसीनिया में सर्वेसर्वा हो गया और अबीसीनिया का नया नामक रण इथोपिया कर दिया गया।

24.8 राष्ट्र संघ की असमर्थता

कितनी आश्चर्यजनक घटना घट गई-राष्ट्र संघ के एक सदस्य पर दूसरे एक सदस्य ने आक्रमण किया । राष्ट्र संघ के अन्य सभी सदस्य देखते रहे । किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया । यहां राष्ट्र संघ की निष्क्रियता कितनी खटकती है । 30 जून, 1936 को अबीसीनिया से भाग कर आये सम्राट हैल सिलासी ने राष्ट्र संघ की साधारण सभा की बैठक में उपस्थित होकर इटली के बर्बरतापूर्ण दुष्कृत्यों का रोमांचकारी वर्णन किया और राष्ट्र संघ से सहायता की याचना की । किन्तु उसकी प्रार्थना का राष्ट्र संघ के किसी सदस्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा । अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति ने उस समय शायद जर्मन इटली धुरी के महत्व को पहचान लिया था । रूस के प्रतिनिधि को छोड़ कर किसी ने अबीसीनिया का समर्थन नही किया । 15 जुलाई को इटली के विरूद्ध लगाये गये आर्थिक प्रतिबन्ध भी हटा लिये । बात यही समाप्त नहीं हुयी अभी भी अबीसीनिया राष्ट्र संघ का सदस्य था अत: इसके विरोध में इटली ने राष्ट्र संघ का बहिष्कार किया । अब ब्रिटेन और फ्रांस ने पुन: अपना पुराना खेल खेलना शुरू कर दिया । अबीसीनिया को राष्ट्र संघ से निकाल कर इटली को पुन: राष्ट्र संघ में वापस लेने के लिये दाव पेज खेलने लगे । राष्ट्र संघ के महासचिव श्री एवेनोल, मुसोलिनी से क्षमा मांगने रोम गये और इटली को वापिस राष्ट्र संघ में बुला लिया । इस प्रकार नवम्बर, 1938 तक ब्रिटेन और फ्रांस इटली के प्रति तुष्टिकरण की नीति ही अपनाते रहे । चाहे इस कार्य में राष्ट्र संघ के मौलिक सिद्धान्तों को ताक पर रखना पड़ा ।

24.9 अबीसीनिया के युद्ध के परिणाम

अबीसीनिया का युद्ध दो महायुद्धों के बीच घटित होने वाली सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक था । अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से इस युद्ध के अनेक उल्लेखनीय परिणाम निकले उनकी समीक्षा इस प्रकार की जा सकती है । पहला परिणाम था राष्ट्र संघ की दुर्बलता को प्रदर्शित करना । इस युद्ध ने यह स्पष्ट कर दिया कि राष्ट्र संघ सबल राष्ट्रों के आक्रमण से निर्बल छोटे राष्ट्रों की रक्षा करने में अक्षम है । सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था बनाने का एक मात्र कारण ही अब विफल हो गया था । मुसोलिनी ने राष्ट्र संघ के संविधान को तोड़ा था लेकिन उसे सामूहिक रूप से कोई दण्ड नही दिया गया अब इस संस्था के संबंध में संशय पैदा हो गये । अब तो यह सिद्ध हो गया था कि शक्ति ही न्याय है और अन्तर्राष्ट्रीय न्याय में नैतिकता का पक्ष केवल

सबल राष्ट्रों के लिये ही सुरक्षित था । कमजोर राष्ट्र स्वयं का एक अभिशाप था । स्वार्थ सिद्धि ही इसका एक मात्र आधार था । दूसरा परिणाम यह निकला कि इस युद्ध के फलस्वरूप इटली एवं जर्मनी की घनिष्ठता बढ़ी । इटली पर आर्थिक प्रतिबन्ध लागू होने के बाद जर्मनी ने इटली को शस्त्रों से तथा अन्य सब प्रकार की बड़ी सहायता दी । संकटकाल में इस सहायता ने इटली को जर्मनी के खेमे में ला खड़ किया और 'रोमबर्लिन धुरी' पूर्ण हुई । ब्रिटेन और फ्रांस की दबी-दबी और लुका छिपी की सहायता नीति ने इटली में उनके प्रति विरोध पैदा हुआ पेरिस के आहत अपमान ने जोर मारा और ब्रिटेन फ्रांस के प्रति इटली का मैत्रीपूर्ण रूख नष्ट हो गया और तीसरा परिणाम था अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अराजकता एवं आक्रमणकारी प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना । हिटलर ने इसी से प्रोत्साहन पाकर लोकानों संधि को तोड़ा था और राइन प्रदेश का शास्त्रीकरण किया था । स्पेन के गृह युद्ध में इटली तथा जर्मनी दोनों ने खुला हस्तक्षेप किया । जर्मनी ने अबीसीनिया के प्रश्न पर इटली का समर्थन किया तो इटली ने आस्ट्रिया की स्वतंत्रता का आग्रह छोड़ दिया । जर्मनी ने आस्ट्रिया को अपने राज्य में मिला लिया और ब्रिटेन, फ्रांस तथा राष्ट्र संघ के सभी सदस्य देखते ही रह गये । इसके बाद तो इटली और जर्मनी स्वयं ही कानून बन गये । द्वितीय महायुद्ध के समय बर्बरता का जो नग्न-नृत्य हुआ उसकी कोई सीमा ही नहीं रही ।

चौथा परिणाम तो ब्रिटेन की प्रतिष्ठा को धक्का लगाने का था । अब छोटे राष्ट्र उसके वचनों पर कोई विश्वास ही नहीं रख सकते थे । साथ ही इटली व जर्मनी ब्रिटेन को दुर्बल व कायर समझने लगे ।

पांचवा परिणाम फ्रांस के लिये घातक सिद्ध हुआ । उसकी दोगली नीति पूर्णत: असफल सिद्ध हुयी । उसने राष्ट्र संघ का विश्वास भी खो दिया । वह इटली की मित्रता से वंचित हो गया । जर्मनी ने ऐसे वक्त पर इटली की मदद करके फ्रांस के विरूद्ध एक पक्का मित्र प्राप्त कर लिया ।

छठा परिणाम यह हुआ कि इटली को अबीसीनिया की विजय अन्तत: महंगी पड़ी । अब तक वह फ्रांस एवं जर्मनी के बीच एक प्रकार की संतुलन शक्ति बना हुआ था । किन्तु अब जर्मनी पर उसकी निर्भरता बढ़ गयी । मित्र राष्ट्रों के सहयोग से वंचित होकर इटली पूर्णतया बर्लिन का ही कृपाकांक्षी बन गया । शूमेन के शब्दों में "मुसोलिनी यह नही समझ सका कि यदि वह एक अधिक शक्तिशाली देश के साथ विशेषत: उस देश के साथ जिसका शासक पागल हो गया हो मित्रता कर लेगा, तो वह स्वयं एक सेवक बन जायेगा।" काउन्टस्पोंजा के शब्दों में "ईथोपिया में मुसोलिनी की सफलता ने यूरोप के बौद्धिक और नैतिक पतन को संभव बनाया था । म्यूनिख में चेकोस्लोवाकिया के साथ विश्वासघात हुआ और पोलैण्ड के विरूद्ध हिटलर के आक्रमण ने यूरोपीय युद्ध को या यो कहिये द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म दिया ।" हार्डी के शब्दों में "अबीसीनिया के युद्ध ने मौलिक रूप से समस्त विश्व को प्रभावित किया और इंग्लैण्ड के लिये उसकी विदेश नीति की आधारभूत संस्था राष्ट्र संघ का विनाश था । फ्रांस के लिये उसके कट्टर शत्रु जर्मनी के लिये प्रोत्साहन था । और इटली के लिये डेन्यूब क्षेत्र में उसके प्रभाव की समाप्ति था और जर्मनी के लिये उसकी विजय पताका बेनर दरें तक पहुंचना था ।" वास्तव में अबीसीनिया इटली के युद्ध के परिणाम दूरगामी हुए । इटेलियन पूर्वी अफ्रीका की घोषणा से

इरीट्रिया, सोमाली लैड और अबीसीनिया का एकीकरण कर दिया गया किन्तु यह स्थायी सिद्ध नहीं हुआ और राष्ट्र संघ भी अपने अस्तित्व को नकारने वाले राष्ट्रों को रोक नहीं सका । द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारम्भ होने में अब देर नहीं थी ।

24.10 द्वितीय विश्वयुद्ध के समय अबीसीनिया का प्रश्न

एक सितंबर को जर्मनी ने पोलैण्ड पर आक्रमण कर दिया और ब्रिटेन ने 3 सितम्बर को प्रात: 11 बजे पोलैण्ड की रक्षार्थ युद्ध में प्रवेश किया । इटली तो जर्मनी से बंधा हुआ था ही और द्वितीय विश्व युद्ध का दावानल फूट पड़ा । अबीसीनिया का स्वतंत्र होना और उसकी समीक्षा, इसकी पृष्ठ भूमि में करने से सारे तथ्य स्पष्ट हो जाते है ।

24.11 स्पेन का गृह युद्ध और इटली का रूख और "रोम बर्लिन टोक्यो धुरी" का निर्माण-

17 जुलाई, 1936 को स्पेन में गृह युद्ध छिड़ गया तब जर्मनी और इटली ने स्पेन के जनरल फ्रेंको का पूर्ण समर्थन किया और 24 अक्टूबर, 1936 को इटली ने जर्मनी के साथ युद्ध का समझौता भी कर लिया जिसमें अबीसीनिया पर इटली के प्रभुत्व को स्वीकार कर लिया और इटली ने इसके बदले जर्मनी को वहां आर्थिक सुविधायें देने का वचन दिया और आस्ट्रो जर्मन समझौते को इटली ने स्वीकार कर लिया । इटली ने यह भी स्वीकार किया कि लोकार्नो की भांति कोई समझौता किया जावे उसे केवल पश्चिमी यूरोप तक ही सीमित रख जाये । तथा राष्ट्र संघ की धारा 16 को निकाल दिया जाये । 1 नवम्बर 1936 को जर्मनी ने जापान के साथ रूस के विरूद्ध एन्टी कामिन्टर्न समझौता किया जिसमें इटली भी 6 नवम्बर, 1937 को सम्मिलित हो गया। यह अब 'रोम-बर्लिन-टोकिया धुरी' कहलाने लगा।

24.12 हिटलर की यूरोप में दादा गिरी

म्यूनिख समझौते के बाद चेकोस्लोवाकिया पर जर्मनी ने पूर्ण रूपेण अधिकार कर लिया। मार्च 1939 को मेमल प्रान्त पर जर्मन सेना ने अधिकार कर लिया। इससे पोलैण्ड की स्थिति नाजुक हो गई थी। फलत: इंग्लैण्ड के प्रधान मंत्री चेम्बरलेन ने 31 मार्च, 1939 को ब्रिटिश संसद में पोलैण्ड की रक्षा के लिये एंग्लो-फ्रेन्च गारन्टी की घोषणा की और 6 अप्रैल, 1939 को पोलैण्ड के साथ एक समझौता किया। 23 अगस्त को रूस और जर्मनी के बीच अनाक्रमण संधि हो गई तब जर्मनी ने पोलैण्ड से डेन्जिग के बन्दरगाह को मांगा और उसके मना करने पर 1 सितम्बर 1939 को पोलैण्ड पर आक्रमण कर दिया। ब्रिटेन और फ्रांस अपने वचन के अनुसार पोलैण्ड की रक्षा के लिये युद्ध में कूद पड़े। विश्व के अन्य राष्ट्र भी अपनी 2 गुट बन्दी के अनुसार युद्ध में सम्मिलित हो गये। इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध आरम्भ हो गया इस युद्ध में जर्मनी, इटली और जापान के राष्ट्रों की हार हुई।

24.13 द्वितीय विश्व युद्ध की प्रगति

1 सितम्बर, 1939 से 1941 के मध्य पोलैण्ड, डेनमार्क, नार्वे, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, फ्रांस, ब्रिटेन, नीदरलैण्ड और क्रीट की भूमि पर युद्ध हुये । 22 जून, 1941 से 6 दिसम्बर,

1941 तक जर्मन, रूस के बीच युद्ध हुआ और धुरी राष्ट्रों ने अफ्रीका के प्रदेशों पर आक्रमण किया। अबीसीनिया मित्र राष्ट्रों की ओर से लड़ा था। 7 नवम्बर, 1942 के बीच मित्र राष्ट्रों ने नीदरलैण्ड, ईस्ट इंडीज और उत्तरी काकेशस पर अधिपत्य जमा लिया। जापान ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया तो अमरीका भी युद्ध में सम्मिलित हो गया। 7 मई, 1945 को जर्मनी ने और 14 अगस्त, 1945 जापान ने नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम विक्षेपण के कारण, आत्मसमर्पण कर दिया। इटली ने भी आत्मसमर्पण कर दिया।

24.14 शान्ति स्थापना के प्रयत्न- इटली के साथ संधि-

10 फरवरी, 1947 को पेरिस में 21 मित्र राष्ट्रों और 5 पराजित देशों के बीच शान्ति सन्धियां हुई।

इटली के साथ सन्धि में 90 धाराएं और 17 परिशिष्ट थे। मुख्य व्यवस्थाएं प्रदेश सम्बन्धी थी। इटली के बाहरी प्रदेश लगभग सभी मित्र राष्ट्रों ने बाँट लिये। फ्रांस ने छोटा बनार्ड दर्रा व ब्रिगा टाण्डा, युगोस्लाविया ने जारा और एडियोहिक के टापू, यूनान ने डाडे- -केनौज, रोडस और कास्टेलोरीओ टापू के लिये। अल्बानिया ने सोजेतो टापू के टिरोल को स्वायत्त शासी प्रदेश मान लिया। ट्रोस्टे को स्वतंत्र बन्दरगाह बना दिया। इटली के अफ्रीकन उपनिवेश समाप्त कर दिये गये। लीबिया, सुमाली लैण्ड और इरीट्रिया के भाग्य का निर्णय अमरीका, ब्रिटेन और फ्रांस पर छोड़ दिया जिन्हें बाद में 1952 में संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णय के अनुसार स्वतंत्र राष्ट्र बना दिया गया। अबीसीनिया भी एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। अल्बानिया और अबीसीनिया के लोगों ने द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों का साथ दिया था। उपहार स्वरूप दोनों राष्ट्रों को स्वतंन्त्रता मिल गई थी।

24.15 अभ्यासार्थ प्रश्न

1. अफ्रीका का अंध महाद्वीप क्यों कहलाता है? यूरोपिय राष्ट्रों ने अफ्रीका का बंटवारा क्यों और कैसे किया?

2. अबीसीनिया पर इटली ने आक्रमण क्यों किया? इसका परिणाम क्या हुआ। विस्तार से बताइये।

3. अबीसीनिया के प्रश्न को सुलझाने में राष्ट्र संघ विफल रहा है। क्या आप इस कथन से सहमत है?

4. स्वतंत्र इथोपिया की भूमिका आज की विश्व राजनीति के सन्दर्भ में बताइये?

24.16 सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. एफ. शैविल - ए हिस्ट्री जोफ यूरोप
2. आर बी मोवेट - यूरोपीय राजनय का इतिहास (इतिहास)
3. हेज - ए. पोलिटिकल एण्ड कल्चरल हिस्ट्री और मार्डन यूरोप
4. लिप्सन - यूरोप इन दी नाइन्टीन एण्ड ट्वंतिथ सेन्चूरी
5. लुइगी विराली - दि जवेकनिंग इन इटली
6. ए रस्सी - दि राइज जौफ इटेलियन फासिज्म

7. डेनिस मेक स्मिथ - इटली इन मोर्डन हिस्ट्री
8. ई. एच. फार, - इन्टरनेशनल रिलेशनस बिटवीन दी टू वर्ल्ड वारस
9. शूमां - इन्टर नेशनल पॉलिटिक्स
10. मथुरा लाल शर्मा - अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध
11. गेयोन हार्डी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का संक्षिप्त इतिहास (हिन्दी अनुवाद)
12. मेक्सवेल इन्टरनेशनल रिलेशनस
13. कालू राम शर्मा - आधुनिक विश्व
14. पुखराज जैन - अंतर्राष्ट्रीय सम्बंध
15. एच. एम. स्टेनले-हाऊ जाई फाउन्ड लिविंग्स्टन
16. एच. एल. हाकिन्स - यूरोपियन इम्पीरियलिज्म इन अफ्रीका
17. एच. एच. जोन्सटन-दि ओपनिंग आ द अफ्रीका
18. जै. एस. कैल्टी - दी पार्टीसन ओफ अफ्रीका
19. एच. फाइनर - मुसोलिनीज इटली

इकाई-25

स्पेन का गृह युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में महान युद्ध नीतियां

इकाई की रूपरेखा

25.0 उद्देश्य

25.1 प्रस्तावना (गृहयुद्ध छिड़ने के कारण)

25.2 भौगोलिक कारण

25.3 सामाजिक कारण

25.3.1 सामन्त

25.3.2 पादरी

25.3.3 कृषक

25.4 आर्थिक कारण

25.5 राजनीतिक कारण

25.6 सैनिक कारण

25.7 महान युद्ध नीतियां (विदेशी हस्तक्षेप)

25.7.1 इटली

25.7.2 जर्मनी

25.7.3 सोवियत रूस

25.7.4 ब्रिटेन

25.7.5 फ्रांस

25.8 निष्कर्ष

25.9 संदर्भ ग्रन्थ सूची

25.0 उद्देश्य-

इस इकाई में आप पढ़ेंगे कि स्पेन में गृह युद्ध की शुरुआत करने में उस वक्त की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थिति कितनी जिम्मेदार थी । असन्तुष्ट फौजी अधिकारियों की भूमिका जिन्होंने इस गृह युद्ध में दिशा निर्देश दिये थे । सोवियत रूस, जर्मनी, इटली का हस्तक्षेप जिससे साम्यवाद व फासीवाद में सीधा युद्ध हुआ । ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका की अहस्तक्षेप नीति ने फासीवादी शक्तियों को विजय प्राप्त करने में सहायता दी और द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में महान युद्ध नीतियां बनाई गई तथा एक दूसरे राष्ट्र को अपना सहयोगी या युद्ध के समय सहायता देने के लिए अनेक नीतियां बनाई ।

द्वितीय विश्व युद्ध से ठीक पूर्व इस प्रकार की अनेक नीतियां बनी थी जिनका अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे ।

25.1 प्रस्तावना (गृह युद्ध छिड़ने के कारण)-

स्पेन के गृह युद्ध की कहानी एक अव्यवस्थित, असंगठित और अविश्वास के देश की कहानी है जिसका परिणाम शासक वर्ग के खिलाफ भयानक प्रतिशोध के रूप में देखने को मिला । अव्यवस्थित राजनीतिक स्थिति, धीरे-धीरे पृथकतावादी प्रवृत्तियों का विकास और लोगों में क्षेत्रीय भावना का उदय, लगातार विदेशी हस्तक्षेप (फासीवादी एवं साम्यवादी) ने देश को अनर्थकारी सर्वनाश की तरफ बढ़ने में शीघ्रता दिखाई । स्पेन में गृह युद्ध किसी एक कारक का नतीजा नहीं थी बल्कि वहां की अनेक परिस्थितियां इस गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार थी जिनका वर्णन इस तरह से किया जा सकता है-

25.2 भौगोलिक कारण

स्पेन की भौगोलिक स्थिति उसके राष्ट्रवाद के उदय एवं संगठन में बाधक है । हालांकि यूरोप के नक्शे पर हम इसे एक संगठित देश के रूप में देखते है परन्तु स्पेन में भाषा, विचारों और परम्पराओं की एकता का अभाव है क्योंकि वहां के लोग वहां के मूल निवासी नहीं है । स्पेनवासी ऐसे लोग थे जो स्थानीय परम्पराओं को इतना चाहते है कि वे क्षेत्रीयता के लिए राष्ट्रीयता का भी बलिदान कर सकते थे । इससे उनमें आपस में झगड़े एवं विवाद चलते रहते थे जो इतने तीव्र होते थे कि उनसे देश का विभाजन कई हिस्सों में होने का खतरा बना रहता था यह यहां का भूगोल ही था जिसने वहां राजनीतिक एकता न होने दी जो निस्संदेह न्यूनाधिक गृहयुद्ध का एक कारण था ।

25.3 सामाजिक कारण

25.3.1 सामन्त- स्पेनिश समाज का सर्वाधिक विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग एवं स्तंभ, जिसपर वहां की रिपब्लिकन सरकार टिकी हुई थी, सामंत, पादरी एवं पूंजीवादी थे । जब स्पेनिश ग्रान्ड्रीज की विशाल सम्पत्ति को बिना किसी मुआवजे के जब्त कर लिया तब रिपब्लिकन सरकार ने सामन्तों की शक्ति, सम्पत्ति और मान मर्यादा को नष्ट कर दिया । समाज के सामंती वर्ग के हितों पर कुठाराघात था और इससे उनकी स्थिति गली में खड़े जनसाधारण के समान हो गई । इसने उनमें असन्तोष पैदा कर दिया जो सरकार के लिए खतरा बन गया ।

25.3.2 पादरी- 1931 में दूसरी रिपब्लिकन सरकार स्थापित होने तक राज्य का चर्च कैथोलिक था । लेकिन इसके बाद यह घोषणा की गई थी कि स्पेन में चर्च की पूरी स्वतंत्रता रहेगी और राज्य का कोई चर्च नही रहेगा । चर्च की सम्पत्ति बिना मुआवजे के जब्त कर ली गई और पादरी वर्ग को पब्लिक स्कूलों में धार्मिक सिद्धान्त का पाठ पढ़ाने से रोक दिया गया । मई, 1933 के सशक्त कानून की सभा ने यह आदेश दिया कि सरकार द्वारा विभिन्न समाजों के मुखियाओं की नियुक्ति की जायेगी जो कानून बन जायेगा । पादरी राष्ट्रपति या अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने से भी वंचित रखे गये ।

25.3.3 कृषक- मध्यकालीन कृषि के तरीकों, काश्तकारों की अज्ञानता, असमान भूमि का वितरण, कम मजदूरी इत्यादि की वजह से किसानों की अवस्था दयनीय थी । कृतियों या

भू-मालिकों द्वारा वास्तविक किसानों, जो या तो जमीन पर पैसा देकर काश्तकारी करते थे या जो किराये के मजदूर थे, का निर्दयता से शोषण किया जाता था ।

साधारणतया 70% लोगों की जीविका जमीन से ही मिलती थी लेकिन सिर्फ 1070 लोगों का ही इस पर नियंत्रण था । स्पेनिश कृषि का एक दुखद पहलू यह भी था कि मध्य एवं दक्षिणी स्पेन में एक सर्वेक्षण के मुताबिक, करीब 13,000,000 एकड़ जमीन पर खेती नहीं होती थी । वहां की संसद ने भूमि सुधार अधिनियम, बनाया जिसने सरकार को विशाल धन सम्पत्तियों का हरण करके भूमिहीन कृषकों में विभाजित करने का अधिकार सौंपा लेकिन इसकी गति इतनी धीमी थी कि भूमिहीन लोग अतिवादी बन गये ।

25.4 आर्थिक कारण-

प्रथम विश्वयुद्ध में स्पेन ने अपने को अलग रखते हुए अपना सारा ध्यान अपनी सम्पन्नता एवं विकास की तरफ केन्द्रित किया । अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने हेतु नये उद्योग एवं फैक्ट्रियां स्थापित की गई थी । यूरोप में स्पेन की वस्तुओं की भारी मांग थी लेकिन 1929 से 1933 तक की आर्थिक मंदी ने स्पेन की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया । इसके बावजूद भी पूंजीपतियों ने अपने अधिकाधिक लाभ हेतु मजदूरों का शोषण किया । पूंजीपति अपनी आमदनी में सरकार का साझा भी स्वीकार करने को तैयार नहीं थे । दूसरे, राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट पार्टी में लगातार अन्दरूनी विवादों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह अस्तव्यस्त हो गई । जो भी देश में गृह युद्ध का एक अहम कारण थी ।

25.5 राजनीतिक कारण-

प्रथम विश्व युद्ध में स्पेन की तटस्थता ने वहां आर्थिक सुदृढ़ता प्रदान की लेकिन राजनीतिक रूप से वहां अस्थिरता एवं अराजकता थी । केशिकेक्स स्वतंत्र थे राजा राजदण्ड का इस्तेमाल करने और स्थिति को अपने नियंत्रण में रखने में असमर्थ था । 1921 में स्पेन की सेना मोरक्को में 'रिफ्स' द्वारा पराजित कर दी गई थी जिसने जनरल प्रिमा डी रिवेरा की तानाशाही स्थापित करने में मदद की । वह फ़ौजी डाइरेक्टरी का अध्यक्ष बन गया, कोर्टेस को भंग कर दिया और राजा की सहायता से देश का शासन चलाने लगा । जन., 1930 में राजा की इच्छानुसार इस्तीफा दे दिया और 1931 में म्युनिसिपल चुनाव में रिपब्लिकन्श को पूर्णतया विजयी मिली । परिमाण स्वरूप स्पेन एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन राज्य बन गया और राजा अलफोंसो XIII को पद से हटा दिया । दिस. 1, 1931 से सत्ता में आने वाली सरकार पर रिपब्लिकन समाजवादी गठबंधन का नियंत्रण था जिसने शिक्षा, धर्म, अर्थव्यवस्था कृषि में व्यापक सुधार किये इसके बावजूद भी वह कृषकों और उच्च वर्ग के प्रति धार्मिक दृष्टिकोण को सही न कर सकने के कारण असफल रही ।

1933 में राइटिस्टों ने बहुमत प्राप्त करके गिल रोबल्स के नेतृत्व में सरकार बनाई । लेकिन इसकी प्रतिक्रियावादी नीतियों एवं अस्ट्रियास 1934 के विद्रोह में खून की नदियां बहाने की वजह से वह पुन: चुनाव नहीं जीत सके । 1935 में सुधारवादी एवं वामपंथी दलों ने रेडिकल्स, रिपब्लिकन्स, सोशलिस्ट सिंडिकेलिस्ट और कम्युनिस्टों के समर्थन से लोकप्रिय

सरकार बनाई । वामपंथी दल लोयसिस्ट के नाम से भी मशहूर था जो उत्तरी एवं पूर्वी स्पेन में अधिक मजबूत था ।

दूसरी तरफ, राइटिस्टों में राजतंत्रवादी, कार्लिस्ट, पुरातनवादी, गणतंत्रवादी और फासीवादी शामिल थे । यह समूह राष्ट्रवादियों के नाम से जाना जाता था । इनको पादरी व सेना का समर्थन प्राप्त था, इनके गढ़ पश्चिमी एवं दक्षिणी स्पेन में थे ।

25.6 सैनिक कारण-

सेना की भूमिका गृहयुद्ध की शुरुआत करने में कम महत्वपूर्ण नहीं थी । रिपब्लिकन सरकार सेवानिवृत्त फौजी अफसरों से ज्यादा आशंकित और डरी हुई थी जिन्होंने राजनीति में भाग लेना शुरू कर दिया था । इन अधिकारियों को एक अध्यादेश द्वारा अनिवार्य रूप से सेवानिवृत करके पेंशन दी गई थी । ऐसे अधिकारियों की जिनका रूझान राजनीति की तरफ था पेंशन बंद कर दी जिससे उच्च अधिकारियों में दहशत फैल गई । संदिग्ध अधिकारियों को या तो पदमुक्त कर दिया या उन्हें दूर-दराज इलाकों में भेज दिया गया ताकि वे राजनीति से दूर रह सकें । जनरल फ्रेंको को भी एक बार मोरक्को से सेनारी द्वीप में निष्कासित कर दिया गया था ।

इस तरह से गृह युद्ध के लिए हर चीज तैयार थी जो फौज की शुरुआत पर आकर रूक गई । राइटिस्ट नेता, काल्वो सोटेलो की हत्या ने फौज में जनरल फ्रैंको के नेतृत्व में बगावत करने का संकेत कर दिया ।

18 जुलाई, 1936 में जनरल फ्रेंको ने साम्यवादी कब्जे से स्पेन को आजाद करने हेतु राष्ट्रीय क्रान्ति की घोषणा कर दी । वह सेनारी द्वीप से मोरक्को आया जहां उसे फौजियों और कुछ मोरिश सैनिकों का नेतृत्व करना था । उसने तेजी से अपने को स्पेनिश मोरक्को का मालिक बना लिया । यहां पर बहुत पहले से ही विद्रोहियों को फासिस्ट ताकतों के साथ-साथ सेना, पादरी वर्ग, अभिजात वर्ग का पूर्ण समर्थन मिल रहा था ।

फ्रेंको की अनुशासित और हथियार बंद फौज के मुकाबले लॉयलिस्टों की फौज कहीं नहीं टिकती थी । नव. 1936 में मेट्रिड में बगावत हुई तब लॉयलिस्टो ने अपनी राजधानी वेलेंशिया में हस्तांतरित कर दी । 1936 के अंत तक फ्रेंकों दक्षिणी-पश्चिमी स्पेन सहित आधे स्पेन पर अपना अधिकार बनाने में सफल रहा । 1937 में बारके का पतन हुआ लेकिन मेट्रिड को हथियाने में फ्रेंको का लायलिस्टों ने पूरी ताकत से मुक़ाबला किया । जन. 1939 में बार्सेलोना का पतन हुआ और 29 महीने के घेरे के बाद मेट्रिड आत्मसमर्पण कर दिया । जैसे ही फ्रेंको ने पूरे स्पेन पर अधिकार किया 27 फर. 1939 को फ्रांस-ब्रिटेन ने फ्रेंको सरकार को अधिकाधिक तौर पर बिना शर्त मान्यता दे दी ।

25.7 महान युद्ध नीतियां (विदेशी हस्तक्षेप)

इस संकट की घड़ी में यह विद्रोह 1936 के अन्त तक कुचल दिया जाता यदि उसे तन, मन और धन से विदेशी फासिस्ट शक्तियों का सहयोग प्राप्त नहीं होता । हालांकि स्पेनिश फौज ने फ्रेन्को को अपना पूर्ण समर्थन दे दिया था लेकिन अब भी वह नौ सेना या वायुसेना पर

नियंत्रण करने में असमर्थ होता और यह उसकी गंभीर कमी रहती यदि इटली और जर्मनी उसकी मदद को नही आते ।

25.7.1 इटली- इस लाभहीन और खर्चीले खेल में मुसोलिनी अपना हाथ डालने वाला नहीं था । यदि उसे अपनी व्यक्तिगत परेशानी न होती । उसके द्वारा पश्चिमी मेडिटेरानियन क्षेत्र में अपने प्रभाव के क्षेत्र के विस्तार का अनुमान लगाया गया । दूसरी बात यह थी कि वह स्पेन में फासिस्ट राज्य का विकास करने की भी इच्छा रखना था । जिसके कारण मुसोलिनी को स्पेनिश गृह युद्ध में हस्तक्षेप करना पड़ा ।

25.7.2 जर्मनी- इसी तरह से हिटलर को स्पेन के गृह युद्ध में प्रवेश ने उसे अपनी सैनिक नीतियों का प्रयोग करने, उसे कार्यरूप प्रदान करने, वायु सैनिक युद्ध में श्रेष्ठ तरीकों की खोज करने का एक स्वर्णिम अवसर प्रदान किया । इसलिए उसने हथियार, जहाजी बेड़ा, लड़ाकू बमवर्षक विमान, समुद्रीय युद्धपोत आदि भेजे जिनकी फ्रेन्कों को अत्यधिक आवश्यकता थी । हिटलर स्पेनिश गृहयुद्ध को दो ताकतों-साम्यवाद और फासिस्ट-के मध्य संघर्ष मानता था । प्रवृत्ति से उसे रूस से नफरत थी । चूंकि रूसी स्वयंसेवक स्पेन में साम्यवादी सरकार की मदद कर रहे थे इसलिए वह स्पेन के फासिस्टों को मदद देना एक पवित्र कार्य मानता था । मुख्य रूप से जर्मनी का स्पेन के गृह युद्ध में प्रवेश करने का मकसद अपने सैनिकों, अधिकारियों को प्रशिक्षित करना और वायु व नौसैनिक युद्ध में नवीन खोजे गए आधुनिक हथियारों को नापना और उनका प्रयोग करना था ।

25.7.3 सोवियत रूस- फासिस्टों द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया था कि स्पेन के गृह युद्ध में प्रवेश करने का उनका मकसद शुद्ध और पूर्णरूप से यूरोप में साम्यवाद के विस्तार को रोकना था । जबकि स्पेन में साम्यवाद की सफलता के लिए सोवियत रूस ने जो भूमिका निभाई वह भद्दी और महत्वहीन थी । उनकी सामान और मानवीय शक्ति के रूप में दी जाने वाली सहायता अनियमित और अपूर्ण थी । सोवियत सरकार और सोवियत वासी दूरस्थ स्पेन में हस्तक्षेप करने की बजाय अपने अंदरूनी मामलों में अधिक ध्यान देना चाहते थे । 1937 में यह अन्दाजा लगाया गया था कि अभी करीब 2000 रूसी स्पेन की रिपब्लिकन सेना की विमान चालक और तकनीशियन के रूप में सेवा कर रहे है ।

25.7.4 ब्रिटेन- ब्रिटेन ने अपनी उन आन्तरिक परेशानियों की वजह से स्पेन के गृह युद्ध में अपने को सीधे रूप से शामिल नही किया जो 1936 में राजा एडवर्ड VIII को गद्दी से हटाने के कारण पैदा हुई थी । इसका हस्तक्षेप सिर्फ एक अहस्तक्षेप की एक अंतर्राष्ट्रीय समिति के गठन की शुरुआत तक सीमित थी । 1937 में जब ब्रिटेन में चेम्बरलेन प्रधानमंत्री बना तब वहां की स्थिति ने एक गंभीर मोड़ लिया जिसके तहत उसने संतुष्टीकरण की नीति अपनाई और फासिस्टों को स्पेन में अपना कार्य करने की अनुमति दे दी ।

25.7.5 फ्रांस- वास्तव में प्रथम विश्व युद्ध के बाट फासिस्टों के हमले से अपने को बचाने के लिए वह बुरी तरह से अपनी बाह्य सुरक्षा की तलाश में था । जब स्पेन में गृह युद्ध छिड़ा तब फ्रांसिसी प्रधानमंत्री लियोन ब्लूय स्पेनिश रिपब्लिकन सरकार को अधिक सक्रिय समर्थन का प्रस्ताव रखना चाहता था लेकिन अपनी आन्तरिक अस्थिरता और तीन तरफ से

फ्रांस पर आक्रमण-मेडिटेरानियन, राइन के साथ-साथ पाईरेनीज और पूर्व में बेल्जियम के खतरे की वह से वह ऐसा करने से हिचकिचा रहा था । इसलिए फ्रांस सरकार ने अहस्तक्षेप की नीति का पालन किया यहां तक वह उसने फ्रेन्क्रो-सोवियत संधि में भी शामिल हो गया ।

25.8 निष्कर्ष -

मंचूरिया पर जापानी आक्रमण रोकने या राइनलैण्ड को बचाने में प्रभावी रूप से हस्तक्षेप करने में राष्ट्रसंघ ने असमर्थता प्रकट कर दी थी । स्पेनिश गृहयुद्ध, जो शुद्ध रूप से सिर्फ एक आंतरिक मामला था, राष्ट्र संघ से संबंधित नहीं था । इसका काम सिर्फ संघ मशीनरी को इस बात के लिए प्रभावी बनाना था कि स्पेन की आंतरिक शक्तियों को इस बात से रोकना था कि कही यह कलह सामान्य यूरोपीय युद्ध का रूप न ले ले । इसलिए सितं., 1936 को लंदन में ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, रूस ने मिलकर एक अन्तर्राष्ट्रीय समिति बनाई और यहां वे सब इस बात के लिए सहमत हुए कि स्पेन के आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप को रोकने के लिए अहस्तक्षेप की नीति को प्रभावी बनाया जाए । लेकिन स्पष्ट रूप से राष्ट्र संघ पूर्णतया साम्यवादी और फासिस्टवादी ताकतों के खुले रूप सें स्पेन में दखल को रोकने और हस्तक्षेप बंद करने में असफल रहा ।

हालांकि, राष्ट्र संघ की अहस्तक्षेप की नीति लागू कर दी गई थी तो दूसरी तरफ फ्रांस ने अपने 70,000 सैनिक स्वयं सेवकों के रूप में भेजकर अपने को स्पेन के गृह युद्ध में शामिल कर लिया । यह भी कहा जाता है कि इटली ने 763 विमान, 141 युद्ध विमान, 1.672 टन बम, 9,25,000 राऊण्ड गोलियां, 1,930 तोपें और भारी तादाद में हथियार भेजे थे । 1939 में इटलीवासियों के अनुसार इटली के विमान युद्ध की अवधि में 1,35,265 घंटे तक उड़े थे 5318 वायु हमले किये, 224 जहाजों को निशाना बनाया, 266 बम गिराये, और 903 हवाई जहाजों को नष्ट किया ।

जर्मनी के करीब 10,000 सैनिक इस युद्ध में शामिल थे और जनरल फ्रेन्क्रों को 500 मिलियन जर्मन मुद्रा से भी अधिक की सहायता दी थी । सोवियत रूस ने भी एक बड़ी तादाद में सैनिक और आर्थिक मदद दी थी ।

यह स्पेन का गृह युद्ध ही था जिसने दुनिया के दो नेताओं-हिटलर, मुसोलिनी-को एक दूसरे को समझने और आपसी सहयोग को मजबूत करने में और अधिक करीब लाने में सहायता दी थी । दोनों देशों के स्वयंसेवकों ने स्पेन की विद्रोही सेना का साथ दिया और साम्यवादी ताकतों के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े थे । युद्ध स्थल में उनके सहयोग ने उन्हें एक राजनीतिक संधि की तरफ मोड़ा । परिणामस्वरूप 25 अक्टू., 1936 को एक इटली-जर्मन समझौता हुआ जिसने 'रोम-बर्लिन' धुरी की बुनियाद डाली ।

जब फासिस्टों और साम्यवादियों द्वारा भारी तादाद में सैनिकों, विशाल आर्थिक सहायता और भारी हथियारों, गोला बारूद स्पेन भिजवाया जा रहा था तब भी प्रजातंत्र और पूंजीवाद का समर्थक- अमेरिका-चुपचाप स्थिति का जायजा लेता रहा ।

इन तमाम बातों के पीछे कई कारण थे । प्रथम-ब्रिटेन, फ्रांस, यू. एस. एस. ने यूरोप में साम्यवाद को नष्ट करने में सहायता देने के कारण फासीवादी ताकतों को नही रोका । सोवियत यूनियन के स्पेन के गृहयुद्ध में शामिल होने की वजह से फासिस्टों को सहायता मिली।

ब्रिटेन, जो प्रजातांत्रिक सरकार का समर्थक और संरक्षक था, ने अपनी साम्राज्यवादी नीति को सुरक्षित बनाए रखने और अपने बाजारों को बचाने की दृष्टि से स्पष्ट रूप से स्पेन के आन्तरिक मामले में अहस्तक्षेप की नीति को अपना लिया था । जब फ्रांस को अपनी बाह्य सुरक्षा की अत्यधिक आवश्यकता थी, ब्रिटेन ने अहस्तक्षेप और सन्तुष्टीकरण की नीति अपनाई । जन., 1937 में जैन्टलमेन समझौते के तहत मेडिटरेनियन में इटली के समान अधिकार को मान्यता दे दी । सित., 1938 में म्यूनिख समझौते ने चेकोस्लोवाकिया पर जर्मनी के दावे को सही माना ।

इस तरह से परोक्ष या अपरोक्ष रूप से ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ही थे जिन्होंने नैतिक रूप से फासीवादी ताकतों को अपनी नीतियों-अहस्तक्षेप, संतुष्टिकरण और तटस्थता-से समर्थन दिया और फासीवादी ताकतों ने इस स्थिति का फायदा उठाकर ऐसी स्थिति पैदा कर दी जिसने विश्व को द्वितीय विश्व युद्ध की तरफ मोड़ दिया ।

25.9 संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. दी स्पेनिश सिविल वार, ह्ग थोमस,
2. यूरोप इन दी नाईन्टींथ एवं टूवनटीथ सेंचुरीज, ग्रांट, टेम्परले
3. हिस्ट्री ऑफ यूरोप सिंस 1500, हेज
4. ए हिस्ट्री ऑफ यूरोप, 1648-1948, पॉल ड्यूक्स
5. ए. टेक्स्ट बुक आफ माडर्न यूरोपियन हिस्ट्री, 1789-1939 रघुवीर दयाल

MAHI-03/ISBN13/978-81-8496-262-8